Preservation Unit
12-8-84
Fumigated
Out 8.2.84
Parliament Library

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

(बारहवां सत्र)

(Twelfth Session)

31.3.71

सत्यमेव जयते

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17, गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1970/12 अग्रहायण, 1892 (शक)

No. 17, गुरुवार, *December 3, 1970/ Agrahayana 12,1892 (Saka)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
481. किसानों को ऋण देने की और अनाज के क्रय विक्रय की प्रक्रिया में सुधार	Improvement in Credit to Farmers and Marketing of Food Grains	... 1—7
482. कृषिजन्य शेष पदार्थों के उपयोग के बारे में इंडियन पल्प एण्ड पेपर टेक्निकल एसोसियेशन के तत्वावधान में विचार गोष्ठी	Seminar under Indian Pulp and Paper Technical Association on use of Agricultural Residue	... 7—9
483. भारतीय समाचार-पत्रों पर विदेशी प्रभाव	Foreign influence on Indian Press	... 9—16
485. आंध्र प्रदेश में चावल का स्टाक उठाने में भारतीय खाद्य निगम की असफलता	Failure of Food Corporation of India to clear Stock of rice from Andhra Pradesh	... 16—17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
484. भारत में रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस का टेलीविजन केन्द्र	Radio Peace and Progress T. V. Station in India	... 17—18
486. चतुर्थ योजना के दौरान गहन कृषि पर आधारित खाद्य उत्पादन की लक्ष्य पूर्ति के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines to States for Food Production Target based on intensive Agricultures during IV Plan	... 18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
487. राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा शिक्षा के सम्बन्ध में गणमान्य व्यक्तियों पर वृत्त चित्र बनाने की कसौटी	Criteria for Documentary Films on Political, Religious, Historical and Educational Figures	... 19—20
488. चौथी योजना में रुई विकास कार्यक्रम सम्बन्धी परिव्यय	Outlay on Cotton Development during Fourth Plan	... 20—21
489. दिल्ली के सुपर बाजारों के घाटे को पूरा करने के लिए कार्यवाही	Steps to meet losses of Super Bazars in Delhi	... 21
490. भारतीय विज्ञापन बोर्ड, बंबई	Indian Advertising Board, Bombay	22
491. चीनी सम्बन्धी वर्तमान स्थिति और उस पर से नियन्त्रण का हटाया जाना	Present Position of Sugar and its Decontrol	... 23
492. राजस्थान में सोयाबीन की अधिक भूमि में काश्त	Extension of Cultivation of Soyabean in Rajasthan	... 23—24
493. छोटे किसानों को अच्छी किस्म के बीज वितरित करने के लिए कार्यवाही	Steps for distribution of Good quality seed to Small Farmers	... 24
494. पश्चिम बंगाल में शांति से सफल कटाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही	Steps to Ensure Peaceful Harvesting in West Bengal	... 24—25
495. उड़ीसा में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम	Rural Works Programme in Orissa	... 25
496. कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड	Central Wage Board for Agricultural Labour	.. 25—26

विषय ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
497. विदेशों को भेजे जाने वाले पार्सलों की डाक दरों में कमी करना	Lowering of Postage Rates on Parcels for Foreign Countries	26
498. सूरतगढ़ फार्म का कार्यकरण	Working of Suratgarh Farm	27
499. रोजगार के विकास की दर में वृद्धि	Increase in growth rate of Employment	27—28
500. कानपुर में मिल मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का दुरुपयोग	Misuse of Employees Provident Fund by Employers in Kanpur	28
501. एक ब्रिटिश निर्माता द्वारा मशीनी गाय का निर्माण	Mechanical cow developed by a British Manufacturer	28
502. तिलहनों की सप्लाई में वृद्धि और वनस्पति उद्योग की क्षमता	Increase in Supply of Oilseeds and capacity of Vanaspati Industry	29—30
503. कृषि विभाग में अमरीकी सलाहकार	American Advisers in Department of of Agriculture	30—31
504. समाचार पत्रों के विरुद्ध प्रेस परिषद् को प्राप्त शिकायतें	Complaints received by Press Council against News papers	31—32
505. खाद्य नियन्त्रण को उदारशील बनाना	Liberalisation of Food Control	32
506. कृषि श्रमिकों के कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए विधान	Legislation for Improvement of Working Conditions of Agricultural Labour	32
507. रेडियो स्टेशन से वंचित राज्य	States without Radio Stations	32—33
508. विदेशों से उर्वरकों के आयात की पद्धति	Mode of Import of Fertilizer from Foreign Countries	33
509. लोकार्नो फिल्म समारोह, 1970	Locarno Film Festival, 1970	33—34

विवष	Subject	पृष्ठ/Pagse
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
510. भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों की स्थापना	Setting up of Rice Mills by Food Corporation of India ...	34—35
अता० प्र० सं० **U.S.Q. Nos.**		
3145. टेलीविजन लाइसेन्सों की सूची	T. V. Licences on the Roll	36
3146. अवकाश गृहों की स्थापना	Establishment of Holiday Homes ...	36—37
3147. मिजो पहाड़ी जिले का विकास	Development of Mizo Hills District ...	37—38
3148. पंजाब सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने से हुई हानि	Loss due to Rise in Support Price of Paddy by Punjab Government ...	38—39
3149. चावल की वसूली के मूल्य में वृद्धि करने के लिए पंजाब प्रादेशिक चावल विक्रेता संघ की मांग	Demand by Punjab Provincial Rice Merchsants Asociation for rise in Procurement Price of Rice ...	39—40
3150. जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से आए आर०एस०.09 ट्रेक्टरों के बारे में शिकायतें	Complaints about RS. 09 Tractors received from GDR ...	40—41
3151. मोहनपुर सहकारी चीनी मिलों को हुई हानि	Loss incurred by Mohanpur Co-operative Sugar Mills ...	41—42
3152. सुपर बाजार, नई दिल्ली की आई० एन० ए०शाखा में लगी आग में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारी	Employees involved in Fire in INA Branch of Super Bazar, New Delhi ...	42—43
3153. केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक भूमि का रखा जाना	Union Ministers holding land beyond Ceiling ...	43
3154. अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती का मिट्टी पर प्रभाव	Effect of High Yielding Crop cultivation on Soil ...	43—44
3155. मणिपुर विद्युत कर्मचारी संघ को मान्यता देना	Recognition of Manipur Electricity Employees' Union	44

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3156. खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ करार	Agreements with FAO	... 44—45
3157. नयी मिलों की स्थापना	Setting up New Mills	... 45
3158. समृद्ध किसानों की और सहकारी बैंकों की बकाया राशि	Rich Farmers owing money to Cooperative Banks	... 45—46
3159. गुजरात राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of an Agricultural University in Gujarat	... 46—47
3160. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालयों में कार्य कर रहे डाक्टरों की मांगें	Demands of Doctors Working in Employees State Insurance Scheme Dispensaries	... 47—48
3161. मध्य प्रदेश में बसे पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	Refugees from East Pakistan Settled in Madhya Pradesh	48
3162. मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees State Insurance Scheme in Madhya Pradesh	... 48—49
3163. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन डाक्टरों के स्थानांतरण तथा नियुक्तियों सम्बन्धी नियम	Rules relating to Transfer and Posting of Doctors under ESI Scheme	... 49—50
3164. ऊबड़खाबड़ तथा ढलान वाली भूमि की फव्वारों द्वारा सिंचाई	Irrigation of Uneven Slopy Land by Fountains	... 50
3165. छोटी सिंचाई व्यवस्था के विस्तार के लिए बैंकों द्वारा सहायता	Assistance for Expansion of Small Irrigation by Banks	... 50—51
3166. अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संधि से भारत द्वारा अपना नाम वापस लिया जाना	India's Withdrawal from International Sugar Pact	... 51

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3168. दिल्ली में समाज सदनों में टेलिविजन कार्यक्रम दिखाने का शुल्क	Charges for T V. in Community Hall in Delhi	... 51—52
3169. केरल को खराब किस्म के चावल की सप्लाई	Supply of bad quality rice in Kerala	... 52
3170. मछली पकड़ने वाली नावों के लिए क्रेंगानोर बंदरगाह के चेनल को गहरा करना	Deepening Cranganore harbour channel for Fishing boats	... 52—53
3171. भारत स्विट्जरलैंड परियोजना मेट्टूपेट्टी (केरल) के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by staff of India Swiss Project Mattuppetty (Kerala)	53
3172. अखिल भारतीय नेत्र सुधार संघ लाजपत नगर, नई दिल्ली को भूमि पट्टे पर देना	Lease of land to Akhil Bharatiya Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi	... 53—54
3173. श्रम प्रधान फार्म योजना	Labour Intensive Farm Scheme	... 54—55
3174. कीट नियंत्रण के लिये नई प्रक्रिया	New procedure for pest control	... 55—56
3175. हिमाचल प्रदेश में बी० एस० एल० के कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना	Application of Employees Provident Fund Scheme to BSL employees in Himachal Pradesh	... 56
3176. कलकत्ता की मेटल बोक्स कम्पनी का बन्द होना	Closure of Metal Box Company Calcutta	... 56—57
3177. पंजाब और आंन्ध्र प्रदेश द्वारा केन्द्रीय भंडार के लिये गेहूं और चावल का समाहार	Procurement of wheat and rice by Punjab and Andhra Pradesh for Central Pool	... 57

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3178. बिहार के पटना और राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितताए	Irregularity in grant of telephone connections in Patna and Rajindra Nagar Telephone Exchange areas in Bihar Circle	58
3179. पटना निगम में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनिर्णीत आवेदन पत्र	Applications Pending for Telephone Connections in Patna Corportation area ...	58—59
3180. पटना में टेलीफोन बिलों के न प्राप्त होने की शिकायतें	Complaint Against Non-receipt of Telephone Bills in Patna	59
3181. दिल्ली के सुपर बाजार के लक्ष्य एवं उद्देश्य	Aims and Objects of Super Bazars in Delhi ...	59
3182. आगामी तीन वर्षों में जारी किये जाने वाले स्मृति डाक टिकट	Commemorative Stamps to be issued during coming Three Years ...	59—60
3183. कृषि कार्यक्रमों में छोटे किसानों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Small Farmers in Agricultural Programme ...	60
3184. छेहरटा (अमृतसर) स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के काम के बारे में शिकायत	Complaint Against Working of Telephone Exchange, Chheharta (Amritsar) ...	60—61
3185. केरल में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of Agricultural University in Kerala ...	61—62
3186. भूमि सुधार	Land Reforms ...	62—63
3187. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा पिलानी विज्ञान संस्थान के लिए टेलिविजन केन्द्र	T. V. Stations, for I.I.T. Kanpur and Pilani Institute of Science ...	63—64
3188. पोस्ट मास्टर जनरलों का सम्मेलन	Conference of Post Masters General	64

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3189. उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले में चूहों द्वारा फसलों को हानि	Damage of crops by Rats in Bulandshahar, Uttar Pradesh	... 64—65
3191. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को घटिया बीज देने के कारण क्षतिपूर्ति देना	Payment of Compensation to Farmers for Substandard Seeds Supplied to them by National Seeds Corporation	... 65
3192. सर्कस उद्योग में कर्मचारियों की दशा	Conditions of Labour in Circus Industry	... 65—66
3193. फलों और सब्जियों का उत्पादन तथा उन पर आधारित उद्योगों का विकास	Production of Fruits and Vegetables and Development of Industries based thereon	... 66
3194. उद्योगों को कच्चा माल देने वाली फसलों का विकास	Development of Crops Which provide Raw Material for Industries	... 66—68
3195. करनाल दुग्धशाला (हरियाणा) में निर्मित सूखे पनीर का उत्पादन	Production of Dry Cheese developed at Karnal Dairy (Haryana)	... 68
3196. आंध्र प्रदेश से चावल वसूली के लक्ष्य	Rice procurement target from Andhra Pradesh	... 69
3197. चंडीगढ़ में संचार विभाग के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of House for Class III and IV Employees of the communications Department in Chandigarh	... 69
3198. छोटी जोतों से अधिक उत्पादन	More Yield from Small Holdings	... 69—70
3199. किसानों पर पटवारियों का प्रभाव	Influence of patwaries on Farmers	... 70
3200. गोरखपुर उत्तर प्रदेश में डाकघरों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Gorkhhpur U.P....	70—72

तारां. प्र. संख्या U.S. Q.Nso.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3201.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में डाकघरों के लेखे की लेखा परीक्षा	Auditing of Accounts of Post Office in Gorakhpur, U. P.	... 72—73
3202.	क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज, ओखला, दिल्ली के कार्य संचालन के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against working of crossbar Telephone Exchange, Okhla, Delhi	... 73
3203.	राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कृषि की विद्यमान स्थिति के बारे में मांगा गया ज्ञापन	Memoranda on existing state of agriculture invited by National Commision on Agriculture	... 73—74
3204.	आकाशवाणी की निर्माण शाखा	AIR Construction Wing	... 74
3205.	पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on displaced persons from East Pakistan	... 74—77
3206.	मध्य प्रदेश में भिंड जिले में अटेर और गोर्मी डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था	Provision of Public Call Office at Ater and Gormi Post Offices in Bhind District, Madhya Pradesh	... 77
3207.	ग्वालियर के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति	Telephone Advisory Committe for Gwalior	... 77—78
3208.	सब डिवीजनल अधिकारी टेलीफोन्स, ग्वालियर के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against S.D.O. Telephones, Gwalior	... 78
3209.	ग्वालियर में स्वचालित टेलीफोन सेवा आरम्भ करने में विलम्ब	Delay in introduction of automatic telephone service in Gwalior	... 78—79
3210.	परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाटक मण्डलियों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार	Publicity of Family Planning Programmes in regional languages through Troupes	... 79

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	Subject	पृष्ठ/Pages
3211. वन सम्पदा का विदोहन	Exploitation of Forest Wealth ...	79—80
3212. केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा केरल के तट पर भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of Underground Water Resources in Coastal Belt of Kerala by Central Ground water Board ...	80—81
3213. गत तीन वर्षों में सूखा पीड़ित क्षेत्रों को सहायता	Help to Drought Affected Areas during last three years ...	81
3214. कृषि वस्तुओं के बीजों की नई किस्मों का तैयार किया जाना	Development of new variety of seeds of Agricultural Commodities ...	81—82
3215. विकसित बीज बुवाई के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र	Area under developed seeds, State-wise	83
3216. राज्यों द्वारा प्राप्त कृषि उपकर	Agricultural Cess Received by States	83
3217. भूमिहीन किसानों में सरकारी भूमि का वितरण और उससे लाभान्वित किसानों की संख्या	Distribution of vested land to landless and the number of farmers benefited therefrom...	83—86
3218. पश्चिमी बंगाल के बड़े, मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government advertisements to large, medium and Small newspapers of West Bengal	86
3219. पश्चिमी बंगाल में कृषि योग्य पड़ती भूमि पर पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का बसाया जाना	Rehabilitation of East Pakistan Refugees in Cultivable waste land in West Bengal...	87
3220. आकाशवाणी के हिन्दी आशुलिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति	Grant of Advance increments to AIR Hindi Stenographers ...	87
3222. मध्य प्रदेश में जोताधीन तथा परती भूमि का क्षेत्रफल	Acreage of Land under Cultivation and that lying unused in Madhya Pradesh ...	87—88
3225. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तथा तार कार्यालयों का कार्यकरण	Working of Posts and Telegraphs offices in Rural Areas ...	88—89

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
3226. भूमिहीन किसानों को फालतू भूमि के वितरण के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श	Consultation with State Governments regarding distribution of surplus land to landless Farmers ...	89—90
3227. पटना के बड़े डाकघर और रेलवे डाक सेवा के परस्पर विलय के कारण पटना में पत्रों के प्रेषण और डिलीवरी होने में विलम्ब	Delay in despatch and delivery of letters in Patna due to merger of CPO and RMS at Patna ...	90—91
3228. कोट्टायम, केरल के हाई रेंजज डिवीजन के डाक तथा तार कर्मचारियों को पहाड़ी प्रतिकर भत्ता और परियोजना भत्ता	Project and Hill Compensatory Allowance to Posts and Telegraphs Employees of High Ranges Division of Kottayam Kerala ...	91
3229. भारत नार्वे परियोजना, कोचीन, केरल, के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Staff of Indo Norwegian Project, Cochin, Kerala ...	91—92
3230. पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये उद्योगों में रोजगार की व्यवस्था करने पर किया गया व्यय	Expenditure on Rehabilitation of East Pak. Refugees in Industries ...	92—94
3231. पश्चिमी बंगाल में बटाईदारों (शेयर क्रोपर्स) के हितों की रक्षा	Safeguarding the interest of Share Croppers in West Bengal ...	94—95
3232. विवादग्रस्त भूमि के मालिकों के अंशों को राजनीतिक दलों द्वारा हड़पे जाने पर रोक	Step to prevent Political Parties from Usurping shares of owners of disputed Lands ...	95
3233. राष्ट्रीय एकता पर भाषाई प्रदेशों के लेखकों द्वारा लेख	Authors and writers to Write Scripts for National Integration	95
3234. मध्य प्रदेश में टेलीफोन और तार सेवाओं में विस्तार	Expansion of Telephone and Telegraph Services in Madhya Pradesh ...	96

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3235. मध्य प्रदेश में बेनामी तथा परती भूमि का वितरण	Distribution of Benami and Fallow Land in Madhya Pradesh	... 96
3236. मध्य प्रदेश में खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन	Opening of Public Call Offices in Madhya Pradesh	... 97
3237. चावल का निर्यात	Export of Rice	... 97—98
3238. डाक वस्तुओं के प्रेषण तथा वितरण में विलम्ब	Delays in Transit and Delivery of Postal Articles	... 98
3239. रोजगार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति की सातवीं बैठक	Seventh Meeting of Central Committee on Employment.	... 98—99
3240. कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index of workers	... 99—100
3241. डिघा (पश्चिम बंगाल) में राज्य मत्स्य पालन विकास निगम के अन्तर्गत मत्स्य पालन परियोजना	Fisheries Project under State Fisheries Development Corporation at Digha (West Bengal)	... 100—101
3242. रामताराखत (पश्चिम बंगाल) के अतिरिक्त विभाग शाखा कार्यालय का उप-डाकघर में परिवर्तन	Conversion of Ramtarakhat Extra Department Branch Office into Sub-post Office (West Bengal)	... 101
3243. मार्च से अक्तूबर, 1970 की अवधि में केन्द्रीय मंत्रियों के निवास स्थानों के टेलीफ़ोनों के बारे में व्यय	Expenditure on Telephones of Central Ministers; at their residences during March to October, 1970	... 102
3244. दिल्ली के चारों ओर के नगरों की टेलीफोन लाइनों की मरम्मत	Repair to Telephone lines of towns around Delhi	... 102—103
3245. बंध्या गायों से दुग्ध निकालने की औषध का विकास	Development of a Drug for Production of Milk in Dry Cow	103

विषय आ० प्र० संख्या U.S. Q. Nos,	Subject	पृष्ठ/Pages
3246. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक तथा लेखा अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि	Extension of Services to Scientific and Accounts officers in Indian Agricultural Research Institute ...	103—105
3247. महाराष्ट्र में छोटे किसानों की विकास एजेंसी योजनाओं का व्यय	Expenditure on Small Farmers Development Agency Schemes in Maharashtra...	105
3248. महाराष्ट्र के अहमदनगर और शोलापुर जिलों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति	Implementation of Rural Development Programmes in Ahmednagar and Sholapur Districts of Maharashtra ...	106
3249. राज्यवार विकास के लिये जिलों का चुनाव	Selection of Districts for Development, State wise ...	106—109
3250. ट्रालरों का आयात	Import of Trawlers	110
3251. राजस्थान के रेगिस्तान को 12 वर्षों में चरागाह में बदलने के लिये योजना	Plan for Conversion of Rajasthan Desert into Pabture in 12 Years	111
3252. सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल करना	Reinstatement of P & T Employees who took part in September, 1968 Strike ...	111—112
3253. स्वामी विवेकानन्द के जीवन और उनके उपदेश के बारे में नाटक	Play on Life and Teachings of Swami Vivekananda ...	112—113
3254. दुरुपयोग से बचने के लिए फलीडाल और एन्ड्राइन के वितरण को नियमित करने के लिए कार्यवाही	Steps to Regulate distribution of Falldol and Endrine to avoid misuse ...	113
3255. चीनी का निर्यात	Export of Sugar ...	113—114

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q, Nos.		
3256. दक्षिण को गेहूं की सप्लाई	Supply of wheat to the South	...114 —11 5
3257. बारहसिंगों की संख्या में कमी और उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए कार्यवाही	Fall in Number of Barasingha (Stag) and steps to prevent its extinction ...	115
3258. भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा बारौनी खेतों के लिए एक नई प्रोद्योगिकी का विकास	Development of a new Technology for Dry Land Farming ...	115
3259. अकाल संहिता में परिवर्तन करने की मांग	Demand for changes in Famine Code ...	115—116
3261. एक औसत भारतीय की खुराक का कैलारी मान तथा पोषणिक स्तर	Caloric value and Nutritional Level of diet of an average Indian ...	116—117
3262. हरियाणा में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के बारे में प्रगति	Progress made by AIR Station Haryana ...	117
3263. त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	Influx of East Pak refugees in Tripura	117
3264. रोजगार के लिए त्रिपुरा सरकार की योजना	Tripura Govt. Scheme of Employment. ...	117—118
3265. दिल्ली के सुपर बाजारों की आर्थिक स्थिति	Financial position of Super Bazars in Delhi ...	118
3266. दूरसंचार विभाग में मनीपुर की युवतियों को रोजगार देना	Employment of Girls of Manipur in Telecommunication Department ...	118—119
3267. मनीपुर में दूर संचार व्यवस्था की प्रगति	Progress of Telecommunication in Manipur ...	119
3268. चौथी योजना में इंफाल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना	Setting up of automatic Telephone exchange at Imphal during Fourth Plan ...	119—120

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3269. इम्फाल तक सूक्ष्म तंरग सम्पर्क का विस्तार	Extension of Micro-wave link to Imphal	120
32670. उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बाबतपुर गांव में डाक वस्तुओं की डिलीवरी में विलम्ब	Delay in Delivery of Postal Articles in Village of Babatpur, District Varanasi, U.P. ...	120
3271. कलकत्ता क्षेत्र में संसद सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था	Provision of Telephones at usual place of Residence of M.Ps. in Calcutta Area ...	120—121
3272. चतुर्थ योजना के दौरान राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाना	Installation of Telephones in Rural Areas during Fourth Plan, State wise ...	121—123
3273. भूमि की अधिकतम सीमा में कमी का मशीनों के प्रयोग तथा खाद्य उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Reduced Ceiling on Land on use of Machines and Food Production	123
3274. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान की विभागीय पदोन्नति समिति	Departmental Promotion Committee of Indian Agricultural Research Institute ...	124—125
3275. भिण्ड तथा इटावा के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था	Direct Dialling system between Bhind and Etawah ...	126
3276. त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली आरम्भ करना	Introduction of Three Tier Panchayati Raj System ...	126
3277. आरेलाम फार्म (केरल) का कार्यकरण	Working of Aaralem Farm, Kerala ...	126—127
3278. अखिल भारतीय फिल्म परिषद में केरल फिल्म वाणिज्य मण्डल का प्रतिनिधित्व	Representation of Kerala Film Chamber of Commerce on All India Film Council ...	127

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3279. लुधियाना में स्वः चालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए अभ्यावेदन — Representation for Automatic Telephone Exchanges at Ludhiana 127

3280. महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में कपास, ज्वार और मूंग पर पौधों के रोगों तथा कृमि कीटों और भारी वर्षा का प्रभाव — Effect of Heavy ra in, insects and plant disease on Cotton, Jawar, Moong at in certain Areas of Maharashtra ... 127—128

3281. ग्रामीण विपणन माला — Net work of Rural Markets 128

3282. रेलवे के पंजीकृत कार्मिक संघों के संरक्षित कर्मचारी घोषित किए गये पदाधिकारी — Declaration of Office Bearers of Registered Trade Unions on Railways as protected workmen ... 128—130

3284. चावल के लिए दक्षिण जोन बनाने से इन्कार — Rejection of Southern Zone for Rice ... 130—131

3285. दूसरी श्रेणी की डाक प्रणाली चलाना — Introduction of Second Class Mail ... 131—132

3286. सरकारी क्षेत्र के कारखानों में हड़ताल के कारण जन दिवसों की हानि — Man days lost due to strikes in Public Sector Plants ... 132

3287. चीनी के आरक्षित भंडार बनाने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन — Change in Policy regarding creation of Buffer Stocks of Sugar ... 132—133

3288. गन्ने के मूल्यों में परिवर्तन द्वारा गन्ना उत्पादकों की सहायता — Help to Cane Growers by revising Sugarcane Prices. ... 133—134

पुलिस द्वारा नागपुर में श्री कृ०मा०कौशिक के साथ कथित दुर्व्यवहार किए जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न — Question of Privillege Re. alleged Manhandling of Shri K.M Kaushik by police at Nagpur ... 134—136

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पुलिस उपायुक्त श्री के० पद्मानाभन और पुलिस उप-निरीक्षक श्री एम० पी० चौबे का सभा बार में परीक्षण	Examination of Shri K. Padmanabhan, Deputy Commissioner of Police and Shri M.P, Choubey, Sub-Inspectors of Police at the Bar of the House	... 134—136
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	... 136—137
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Pepers Laid on the Table	... 137—138
स्थापति विधेयक	Architects Bill	... 138—164
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य-सभा द्वारा पारित किए गये रूप में	Motion to consider; as passed by Rajya Sabha	... 140
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V.K.R.V Rao	... 138—140
खण्ड 2 से 44 और 1	Clauses 2 to 44 and 1	... 140—164
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में संसद अधिकारियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक	Motion to Pass as amended, Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Bill	... 165—171
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	... 165
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramaiah	... 165,168,169,170
श्री फ० गो० सेन	Shri P.G. Sen	... 165
श्री रंगा	Shri Ranga	... 166
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	... 166, 167
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	... 166—167
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	167
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	... 167—168

श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	168
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K.M. Abraham ...	168
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha ...	168
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ...	168
खण्ड 2 और 3	Clauses 2 and 3 ...	170—171
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ...	171
श्री अब्दुल गनी डार	Shai Abdul Ghani Dar ...	171
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramaiah ...	170—171
टी डिस्ट्रिक्टस एमीग्रेन्ट लेबर (निरसन) विधेयक	Tea Districts Emigrant Labour (Repeal) Bill ...	172—173, 175—178
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	172—176
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad ...	172—173
श्री फ० गो० सेन०	Shri P.G. Sen ...	175—176
खंड 2,3 और 1	Clauses 2,3 and 1 ...	176—178
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में,	Motion to pass as amended ...	177—178
एक सदस्य को कथित धमकी दिया जाना	Re. Alleged Threat to a Member ...	173—175
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ...	173, 174
देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिलों के बारे में चर्चा	Discussion re. economically backward regions in the country especially the Eastern Districts of U. P. ...	178—194

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	... 178—179
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	... 180
श्री शम्भू नाथ	Shri Shambhu Nath	... 180—181
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjeet Singh	... 181—182
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	... 182
श्री क० ना० तिवारी	Shri K.N. Tiwary	... 182—183
श्री जी० कुचेलर	Shri G. Kuchelar	... 183—184
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	... 184—185
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	185
श्री उमानाथ	Shri Umanath	... 186—187
श्री क० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	... 187—188
श्री शिव चन्डिका प्रसाद	Shri Shiva Chandika Prasad	188
श्री अवैद्यनाथ	Shri Avedya Nath	... 188—189
श्री ए० श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	... 189—190
श्री आर० एस० अरुमुगम	Shri R. S. Arumugam	... 190—191
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	191
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	191
श्रीमती नन्दिनी सत्पथी	Shrimati Nandini Satpathy	... 191—194

लोक–सभा
LOK-SABHA

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1970/12 अग्रहायण, 1892 (शक)
Thursday, December 3, 1970/ Agrahayana 12, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*}**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

किसानों को ऋण देने की और अनाज के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में सुधार

*481. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को ऋण देने और खाद्यान्नों के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) और (ख) . इस दिशा में किए गए समस्त उपाय ये हैं। सहकारी ऋण तथा विपणन ढांचे को सुदृढ़ करना, सहकारी समितियों द्वारा फसल ऋण पद्धति को लागू करना, मण्डियों का अधिकाधिक नियमन करना, आय बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऋण तथा अन्य सेवायें प्राप्त करने

हेतु छोटे किसानों तथा कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए दो विशेष योजनाओं की क्रियान्विति और 14 मुख्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना ।

(ग) सहकारी समितियों द्वारा सप्लाई किए गए ऋण की मात्रा तथा विपणन किए गए खाद्यान्नों का मूल्य पहले ही काफी बढ़ गया है । नियमित मण्डियों की संख्या भी बढ़ गई है । वाणिज्यिक बैंकों ने भी अधिक मात्रा में कृषि ऋण देना शुरू कर दिया है ।

Shri Beni Shankaer Sharma : There are two aspects of my questions. Firstly, to make available the reuqired loans to farmers in time and, secondly, to have the marketing facilities available to them so that they might sell their produce at rumenrative prices. So for as the first question is concerned, the hon Minister has replied in a big way but we could not make out anything of I am reminiscent of the last world war when the forces of Germany were marching ahead and the British used to say that they were winning. In the same way there are big talks of providing facilities to farmers but when we go to them, we find that like previously the farmer has to get loan from the money lenders by paying 25% and 50% as interest.

I want to know what facilities have been given to the farmers in this regard after the Bank Nationalization ? I have a specific question in this respect. So far the question of giving loans by the banks is concerned, the farmers are given loans on mortgage of land. The problem of mortgaging the land is very complicated. By the time the loan by mortgaging the land materi alises, the sowing season is over and the water, manure, seeds and other inputs are no more required, May I know whether the hon Minister will try to solve the problem of providing loans on mortgage in an equitable basis and whether loans will be provided on the documents of land ?

Shri Jagannath Pahadia : Th Government is already alive to the problem to which the hon Member has drawner our attention. Government have made arrangement to provide loans on mortgaging land. The Banks have started Crop loan system and implemented it in all the states. No such complain have been received in that respect. If any Complaint regarding the non-working of the system is brought to our notice, we will certainly taken action on that

Shri Beni Shankar Sharma : You have set up Food Corporation for purchasing food grains from the farmers. Their work is to procure foodgraims from the farmers. In principle, the farmers should get the.minimum price fixed by the Government. But it has been seen in chhattisgarh area of Madhya Pradesh that the farmers made distressed sale of rice at the rate of Rs 40 and Rs. 42 per quintal while the minimum priee was fixed at Rs 56 per quintal· The reason was the absence of any personal or branch of Food Corporation there. The same thing also happened in Andhra Pradesh and complaints have been also received from there. May I know whether Government have ensured the branches and personnals of Food Corporation are present at every big markets, so that the farmers can get remunerative prices for their produces in the harvest season,

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : हमने काफी सीमा तक भारतीय किसानों को आश्वासन दिया है कि हम वसूली मूल्य पर उनका उत्पादन खरीदने को तैयार है । माननीय सदस्य ने खेती के सम्बन्ध में कतिपय कठिनाइयों

का उल्लेख किया है तथा कुछ कठिनाइयां वास्तविक हैं क्योंकि हमें अन्त में राज्य सरकारों की सलाह से वसूली करने का तरीका निर्धारित करना पड़ेगा। अतएव सरकार द्वारा निश्चित किया गया वसूली का तरीके का भी अपनी कुछ भूमिका है। उदाहरण के लिए यदि राज्य सरकारें चाहती हैं कि खाद्य निगम केवल मिल-मालिकों के द्वारा ही वसूल करे तो स्वभावतः ही मिल मालिक किसानों से वसूल करेंगे तथा कभी मिल-मालिक किसानों को वसूली मूल्य नहीं देते हैं, परन्तु जब भी राज्य सरकारें चाहती हैं कि हम सीधी खरीद के लिए केन्द्र खोलें तो हम यथासम्भव अधिक केन्द्र खोलने का प्रयत्न करते हैं ताकि किसानों को वसूली कीमत मिल सके। हम स्थानीय सहकारी संस्थाओं की भी सेवा ले रहे हैं। ऐसा हमारा दृष्टिकोण रहा है।

श्री क० लकप्पा : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत किसानों को ऋण देने की सुविधाओं का ह्रास हो रहा है। राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंक ऋण देने के बारे में वही प्रक्रिया पर चल रहे हैं यथा बड़े उद्योगपतियों को ब्याज की कम दर तथा छोटे किसानों और छोटे भूमिधरों को ब्याज की अधिक दर लेना, बिड़लाओं तथा टाटा को पहले ही 6 प्रतिशत तथा उससे कम पर लगभग 64 करोड़ दिए गए हैं जब कि छोटे किसानों के लिए यह दर 10 प्रतिशत है, अब छोटे तथा सीमित लाभ लेने वाले किसानों को गांव के साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि 45 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं। क्या सरकार छोटे किसानों को ऋण की व्यवस्था बिना किसी ब्याज पर करेगी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जहां तक ब्याज की दर का सम्बन्ध है सरकार को इसके बारे में पता है तथा वह इस पर अलग से विचार कर रही है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया ऋण केवल 35 करोड़ था परन्तु राष्ट्रीयकरण के उपरान्त कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण 342 करोड़ रुपये हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण से पूर्व दिया गया सीधा ऋण बहुत ही कम था जब कि यह अब 184 करोड़ रुपये हैं।

अब स्वयं माननीय सदस्य ही यह निर्णय करे कि इस सम्बन्ध में प्रगति हुई है अथवा नहीं।

श्री क० लकप्पा : बैंक छोटे किसानों को तो अत्यधिक ब्याज पर ऋण देते हैं और बड़े उद्योगपतियों को ब्याज की थोड़ी दर पर। यह भेदभाव क्यों हैं? सरकार ब्याज की प्रतिशतता बताये।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस प्रश्न पर कि क्या छोटे किसानों को उपलब्ध किए जाने वाले ऋण पर ब्याज की कम दर हो सकती है वित्त मंत्रालय विशेष रूप से विचार कर रहा है तथा आशा है कि इस बारे में निकट भविष्य में ही निर्णय हो जाएगा। ऋण गारंटी निगम द्वारा समस्या के इस पहलू का ध्यान रखे जाने की आशा है जैसे कि क्या गांवों में छोटे किसानों तथा कर्मकारों को रियायती दरों पर ऋण दिये जा सकते हैं।

Shri Bhola Nath Master : The farmers get loans on land mortgage basis. The main difficulty with the farmers is that there are no model rules for them which could be applied at All India Level. The farmers have to pay exorbitant interest. The Commercial Bank are coming forward and providing sympathetic, but the land mortgage banks are still

following the old system. Would you frame such model rules which would enable the land mortgage banks also to come parallel to commercial banks; which would make the procedure easy, reduce the rate of intrest so as to help the farmers who have to get loans from land mortgage banks by mortgaging their lands.

Shrj Jagannath Pahadia : It is a question both of the loaning policy and procedure. The hon. Member has drawn our attention to the procedure only. But Government have taken notice of not only the procedure but that of the loaning policy also. The whole question was discussed in the conference of Ministers of Co-operative in the states. The hon. Member is also aware that recently the finance Minister called the chairmen of all the land—mortgage banks and discussed this matter there. After discussing all these things we will decide how to devise an easy process so that the farmers could be saved from these difficulties. We know the difficulties of the farmers; it takes a long time for them to get loans and also that many agents come in between. We are taking action in regard to eliminating the agents and provide loans to the farmers in time through an easy process very quickly. This does not only involve the procedure but we are considering the whole loaning policy also.

श्री पीलू मोदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अन्न की वसूली के बारे में कोई नीति बनाई है। देश में कई जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है जिनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन जिलों में किसानों को कटाई के तुरन्त बाद ही बहुत कम मूल्यों पर अपनी फसल बेच देनी पड़ती है तथा ऋतु के अन्त में आवश्यकता के समय अत्यन्त ऊंचे मूल्यों पर भी खाने के लिए अन्न खरीदना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आज चावल 12 रुपये दर बेचा जा रहा है तथा कुछ मास पश्चात् उसे बाजार में जाकर यही चावल 22 रुपये की दर से खरीदना पड़ेगा। इसलिए विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों तथा जिलों में, जिन्हें सरकार ने पिछड़ा हुआ घोषित किया है, अनाज की वसूली के लिए क्या नीति निर्धारित की है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जैसा कि माननीय सदस्य को स्वयं मालूम है, और वह सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन भी करेंगे... (**व्यवधान**)

श्री नाथपाई : वह ऐसा कभी नहीं करेंगे।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं उनसे अपील करूंगा तथा मुझे आशा है कि वह इसका समर्थन करेंगे।

हमने भारतीय खाद्य निगम के समान एक सरकारी संस्था स्थापित की है जिसका इस संदर्भ में अत्यधिक योगदान होगा। उदाहरण के लिए, माननीय सदस्य को मालूम होगा, कि यदि भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा तथा पंजाब में इतने बड़े स्तर पर कार्यवाही नहीं की होती तो इतने बड़े माने पर गेहूं की खरीद तथा वसूली नहीं होती। बाजार में इतनी भारी मात्रा में अनाज आया था कि यदि उक्त खाद्य निगम ने इतने बड़े स्तर पर कार्यवाही नहीं की होती तो लाखों किसानों को नुकसान उठाना पड़ता।

पिछड़े क्षेत्रों के बारे में भी हम ध्यान दे रहे हैं और हम माननीय सदस्य के सुझाव को भी

ध्यान में रखेंगे। हमने पहले ही से कुछ कार्यवाही आरम्भ कर दी है। जैसे सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बस्तर, जहां आदिवासी आदि रहते हैं, वहां हम सीधी-खरीद केन्द्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि कोई बिचौलिया बीच में न आए तथा यह सरकारी सस्था इन पिछड़े क्षेत्रों के शोषित तथा निर्धन किसानों की सहायता कर सके ।

श्री ए०श्रीधरन : भारत की ऋण सम्बन्धी प्रणाली अत्यंत पुरानी तथा जटिल है। अतः इसमें परिवर्तन लाने और इसे नई दिशा देने की आवश्यकता है। जहाँ तक कृषकों का सम्बन्ध है आज वे भुगतान स्थानों पर 10 प्रतिशत ब्याज अदा कर रहे हैं क्योंकि रिजर्व बैंक 6 प्रतिशत, अन्य बड़े बैंक $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत, ज़िला तथा स्थानीय बैंक क्रमशः $1\frac{1}{2}$ तथा 2 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। इस चार चरणों में फैली प्रणाली में यह ब्याज 10 प्रतिशत के लगभग हो जाता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़े व्यापार गृहों को कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है क्या सरकार कृषकों के लिए भी ब्याज की दर कम करने तथा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मेरे विचार में माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि रिजर्व बैंक अन्य बड़े बैंकों को रियायती दर पर ऋण दे रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि बड़े बैंक, ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा स्थानीय सहकारी समितियां ब्याज की दर में वृद्धि कर देती हैं। किन्तु सब स्थानों पर यह 10 प्रतिशत नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या ग्रामीण सहकारी समितियों तथा ज़िले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समाप्त कर दिया जाए। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण विषय है। माननीय सदस्य का यह विचार ठीक नहीं कि बड़े व्यापार गृहों तथा कृषकों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज की दरों में कुछ भेदभाव है।

श्री ए० श्रीधरन : बड़े व्यापार गृहों को कम दर पर ब्याज देना पड़ता है। अतः इसलिए मैं कहता हूं कि सम्पूर्ण ऋण प्रणाली में सुधार किया जाए तथा कृषकों के लिए ब्याज की दर में कमी की जाए।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि भारत में मुख्य समस्या सहकारी समितियों और बैंकों द्वारा दिए जाने वाली ऋण की सीमितता की है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में महाजन लोग अपना प्रभुत्व जमाए है। आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी समितियों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण को बढ़ाया जाए। मैं नहीं समझ सकता कि कई राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की दर वस्तुतः बहुत अधिक है। किन्तु माननीय सदस्य अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते है। हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहें हैं कि क्या किसी राज्य में बड़े बैंक या ज़िले के केन्द्रीय सहकारी बैंक की दर में कुछ कमी की संभावना हो सकती है।

श्री पीलू मोदी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय से तीन बार पूछा गया है कि

ब्याज की दरों में भेदभाव क्यों है ? वह या तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है अन्यथा वह वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ! मैं चाहता हूँ कि मंत्री बहुत संक्षिप्त उत्तर दें ताकि अनुपूरक प्रश्न भी कम उठाए जाएं।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सब लोग जानते है कि रिजर्व बैंक कृषि कार्यों के लिए सामान्य ब्याज की दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज पर देता है।

श्री पीलु मोंडी : फिर आपने इस वक्तव्य का खण्डन क्यों नहीं किया कि उद्योगपतियों को कम दर पर ब्याज देना पड़ता है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैंने किया था, आपने सुना नही।

श्री नम्बियार : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की ओर से कृषकों को 2000 करोड़ रुपये तक की ऋण दिलाने की व्यवस्था पर विचार करेगी यदि हां तो क्या ब्याज की दर को कम करने पर भी विचार किया जाएगा ताकि कृषकों को कुछ लाभ हो सके।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं। यह केवल सुझाव है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : योजना आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया है और यह सिफारिश की है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 2000 करोड़ रुपये तक का ऋण कृषकों को दिया जाना चाहिए। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि कैसे इस आवश्यकता की पूर्ति की जाए।

Shri Randhir Singh : The policy of the Government seems to be not to budge and from its position of status quo. For the last three or four years through you are at other fomms, I have been trying to impress upon the Government to introduce a new scheme of rural credit financing under which pass books containing details of the farmers landed property and particulars soas to his identity should be issued and there should be specific directions to the banks requiring them to advance loans to the farmers within a period of one week, failing which they should be black listed and also requiring them to have the repayment of their loans in kind as well if the farmer so chooses. May I know whether government have applied their mind to this scheme and if so by what time it will be implemented.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हमने राज्य सरकारों से इसके लिए सिफारिश की है और अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करें।

श्री रंगा : फसल की कटाई और खाद्य निगम तथा उसके अभिकरणों, अर्थात्, चावल मिलों के मालिकों और गेहूं के आटे की मिलों के मालिको द्वारा अनाज की खरीद के बीच थोड़े समय का अन्तर अवश्य रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सभी बैंकों को रिजर्व बैंक के

माध्यम से यह अनुदेश देगी कि वे किसानों के अनाज को अपने पास गिरवी रख कर उन्हें ऋण दे दें ताकि उन्हें कम दामों पर खुले बाज़ार में अनाज न बेचना पड़े ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हमारी ऋण देने की पद्धति सभी सदस्यों को मालूम है। हम सट्टे को बढ़ावा नहीं देना चाहते। किसानों की उचित मांगे सहकारी समितियों द्वारा पूरी की जाती है और हमारी नीति उनके मार्ग में बाधक नही है।

श्री रणजीत सिंह : खाद्य निगम को अनाज, (क) गेहूं तथा (ख) पैड़ों की खरीद अथवा बिक्री पर प्राप्त होने वाले लाभ की दर क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काफी विस्तृत है तथा प्रस्तुत प्रश्न के सीमा क्षेत्र में भी नहीं आता। अतः मुझे खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रणजीत सिंह : खाद्य निगम द्वारा अत्यधिक लाभ कमाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। प्रश्न यह है कि किसानों को ऋण देने की और अनाज के क्रय विक्रय की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और यदि आप खाद्य निगम के सम्बन्ध में कुछ विशेष सूचना प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको एक पृथक प्रश्न सभा पटल पर रखना होगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध क्रय-विक्रय से है और क्रय-विक्रय का मूल सम्बन्ध परिवहन से है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क यातायात के प्रश्न को उच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी, यदि हां तो क्या सरकार किसी आवर्तक निधि की व्यवस्था करेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के रख-रखाव पर शीघ्र ध्यान दिया जा सके।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सरकार ने, कुछ सिंचाई प्रधान क्षेत्रों में मंडियों के लिए सड़को के विकास की एक योजना बनाई है सामान्यतः सड़कों के विकास का कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

Seminar under Indian Pulp and Paper Technical Association on use of Agriculture Residue.

***482. Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state

(a) whether a seminar was held in New Delhi on the 7th and 8th November, 1970 under the auspices of the Indian pulp and Paper Technical Association to discuss the prospects of making use of Agricultural residues; and

(b) if so, the conclusion arrived at as the result of the discussions there to ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। 7 और 8 नवम्बर, 1970 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में खोई और कृषिजन्य शेष के पल्पिंग पर इन्डियन पल्प और पेपर टैकनीकल ऐसोसियेशन ने अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी की थी।

(ख) गोष्ठी का कार्यवृत अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, यह पता चला है कि गोष्ठी में खोई की, जो कि देश में मुख्य कृषिजन्य शेष उपलब्ध है, उपलब्धता तथा उत्पादन तथा उससे पल्प और पेपर बनाने के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत विचार किया गया। यह भी पता चला है कि गोष्ठी में रुई के लिन्टरों और पटसन की छड़ियों के पल्प और पेपर बनाने के लिए, प्रयोग की सम्भाव्यताओं पर भी विचार किया। यह महसूस किया गया कि रुई लिन्टर की अधिक लागत होने के कारण, इससे पल्प या पेपर बनाना आर्थिक रूप से ठीक नहीं होगा। पटसन की छड़ियों के बारे में, यह महसूस किया गया कि जहां यह सामग्री पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्यों पर उपलब्ध है, इसका पेपर बोर्ड बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : ay I know whether it is a fact that the heavy shortage of paper is attributable to the shortage of raw material and whether the shortage of raw material is also coming in this way of setting up of new Paper mills and also the expansion of the existing mills and if so, steps taken by the Government for the use of bagasse and other agricultural residues for the manufactures of paper ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सच है कि अखबारी कागज के लिए कच्चे माल की भारी कमी है और गन्ने की खोई, इस कागज को तैयार करने के लिए काफी अच्छे कच्चे माल के रूप में सिद्ध हो सकती है किन्तु आजकल इस गन्ने की खोई का प्रयोग चीनी मिलों द्वारा अपने बायलर जलाने के लिए किया जा रहा है अतः यह प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस प्रकार गन्ने की खोई को बचाया जाए, इसके लिए या तो कार्यकुशलता को बढ़ाना होगा या उसके लिए अन्य विकल्प ढूंढना पड़ेगा और निकट भविष्य में इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir the hon minister has just stated that the bagasse is being used by sugar factories as fuel. I want to know whether he has got any information regarding the availability of bagasse in the sugar mills and how much of it is used up by these mills as fuel and how much left over because according to my information a lot of bagasse is left unused. I also want to know the time by which the fuel oil will be made available to the sugar mills so that bagasse could be diverted to the manufacture of paper.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह अनुमान लगाया गया है कि चीनी मिलों में लगभग 126 टन गन्ने की खोई का प्रयोग किया जाता है 90 प्रतिशत का प्रयोग ईधन के रूप में बायलर जलाने के लिए किया जाता।

श्री द० ना० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि फैक्टरियों में जलाने के लिए गन्ने की खोई सस्ती पड़ती है या कोयला लकड़ी ? यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इसके कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं निकाले गए किन्तु यह सिद्ध हो गया है कि अखबारी कागज के उत्पादन के लिए गन्ने की खोई एक अच्छे कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा सकती है। लागत के आंकड़े निकाले जा रहे हैं।

श्री द० ना० तिवारी : मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता था कि गन्ने की खोई अथवा लकड़ी-कोयले दोनों में से कौन सी चीज चीनी की मिलों में जलाने के लिए सस्ती पड़ती है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया। कुछ संगठनों द्वारा यह अध्ययन किया जा रहा है।

श्री श्रीचंद गोयल : मंत्री महोदय यह अवश्य महसूस कर रहे होंगे कि देश में अखबारी और अन्य कागज की भारी कमी है और साथ ही कागज की कीमत भी बहुत अधिक है। सरकार सस्ती दरों पर कागज उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो सकी हो सकती है गन्ने की खोई से अखबारी कागज बनाने की विधि सरकार की नई उपलब्धि हो किन्तु हम पहले से ही लकड़ी के गूदे से बने कागज का प्रयोग भारी मात्रा में कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश तथा अन्यत्र राज्यों में यह गूदा भारी मात्रा में उपलब्ध है और इस क्षेत्र में कारखाने लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है किन्तु हम नहीं जानते कि हिमाचल प्रदेश में यह कारखाने सरकारी अथवा गैर सरकारी किस क्षेत्र में लगाए जाएंगे और यदि हां, तो कब ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : माननीय सदस्य कृपया इस प्रश्न को औद्योगिक विकास मंत्री को सम्बोधित करें।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : गोष्ठी के निष्कर्षों के अतिरिक्त, जोकि हमें अभी तक सरकार से प्राप्त नहीं हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकार ने गन्ने की खोई के सम्बन्ध में तथा पश्चिम बंगाल, आसाम तथा बिहार राज्य ने जूट के जंगलों के सम्बन्ध में इन कृषि जन्य पदार्थों के उपयोग के लिए कोई प्रस्ताव रखे हैं, यदि हां. तो क्या सरकार उन पर विचार कर रही है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सब सोच-विचार अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। कृषिजन्य कच्चे माल तथा सापेक्ष लागतों के सम्बन्ध में कुछ अध्ययन किए जा रहे हैं और उसमें कुछ कठिनाईयां भी सामने आ रही हैं किन्तु ऐसा लगता है कि गन्ने की खोई एक अच्छे तथा सस्ते कच्चे माल के रूप में सिद्ध होगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : No foreign aid, whether from USSR. or from U. S. A. or from any other conntry, is influencing the Indian Press to such an extent that it poses a threat to the sovereignty of the country. In view of this. may I know whether the **modus operandi** of foreign aid is that they help the Indian Journalists by inviting them to their country, they extend their help to some of the newspapers by way of releasing newsprints and giving advertisement etc. and if so, the salient features of the report received by the hon. Minister in this regard ?

Secondly, inorder to stop this dangerous trend immediately, no delay should be

made in bringing a Bill in this regard. But in case of delay anticipated in bringing forward a Bill what interim arrangements you are going to take to stop this trend immediately ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक मेरे मित्र द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सरकार को भी उतनी ही चिन्ता है। हम इस सम्बन्ध में बहुत आतुर हैं कि भारतीय समाचार पत्रों और पत्रकारिता पर विदेशी प्रभाव अथवा धन का अन्तःसरण ना हो। मेरे माननीय मित्र को याद होगा कि मैंने इस सदन में गृह मंत्रालय से कुछ मामलों की जांच करने के लिए कहा था। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं कि गुप्तचर विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तरिम रिपोर्टों से भी इन मामलों की पुष्टि होती है और इस दिशा में कार्यवाही करने के लिए अब ब्यौरों की जांच की जा रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I asked about the interim arrangements but the hon. Minister has not given any reply to that ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस स्थिति में मेरे लिए यह बताना कठिन है कि क्या अन्तरिम कार्यवाही की जा रही है, मैं केवल उन्हें इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : My second question is the foreign Missions here are publishing their own newspapers and according to my information the circulation of these newspapers is nearabout twenty lakhs. I had asked a question about the quantity of newsprint being imported by these missions because the missions of U. S. S. R. and U. S. A. imported 31 lakh tonnes and 12 lakh tonnes of newsprints respectively last year and may be, they purchased some quantity from here also. Similaris the case with the other Embasisses. Newspapers are being distributed free of charge on a large scale in the country. Many Indian newspapers are also making propaganda in a similar manner as the Asia Belletin and News Belletin of America ? I do not think the enquiry made by the hon. Minister will serve the desired purpose. I, therefore, want to know from the hon. Minister whether any high powered commission will be instituted just as you have appointed a Press Commission so that thorough probe may be made in to this matter ?

Secondly what steps are you going to have control over free distribution of foreign newspapers and when your Bill will be brought forward ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय मित्र को पता होगा कि गत वर्ष स्वयं पहल करके सरकार ने सबसे पहले सदन में इस बात की जानकारी दी थी।

श्री समर गुह : परन्तु आपको यह भी मानना होगा कि मैंने तीन या चार बार इस अत्यन्त महत्त्व के मामले को सदन में उठाया था, और स्वयं मंत्री महोदय ने उस दिन मुझे बधाई दी थी।

श्री इ० कु० गुजराल : उस समय मैंने बताया था कि प्रेस रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन में अब हमने एक अध्याय जोड़ दिया है जिसमें भारत में विदेशी मिशनों के प्रकाशनों का ब्यौरा दिया

गया है। अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार 1969 के अंत तक भारत में विदेशी मिशनों द्वारा प्रकाशित 14,18,730 प्रकाशन परिचालित हुए हैं। यह आकड़े गत वर्ष के आकड़ों से 11.4 प्रतिशत अधिक हैं। रूसी दूतावास ने 46 प्रकाशनों की 6,56,047 प्रतियां परिचालित की हैं। अमरीकी दूतावास के 17 समाचार पत्रों में से 16 समाचार पत्रों की 6,32,393 प्रतियां परिचालित की है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Reply to my question has not been given when the Press Commission would be appointed and Legislation would be brought forward ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक विधान का सम्बन्ध है मैं वस्तुतः तिथि नहीं बता सकता क्योंकि विधान तो गृह-कार्य मंत्रालय लायेगा।

जहां तक प्रैस आयोग का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि इस विशेष उद्देश्य के लिए प्रैस आयोग की नियुक्ति की जायेगी। मैं समझता हूं कि समस्या के पहलुओं को जानने के लिए गुप्तचर विभाग के प्रतिवेदन की सर्व प्रथम आवश्यकता है, और यह प्रतिवेदन अब यहां उपलब्ध है। मैं समझता हूं कि अब हमें द्वि-पक्षीय आधार पर दूसरा कदम उठाना चाहिए, प्रथम तो इसके लिए विधान बनाना चाहिए; और दूसरे एक केन्द्रीय एजेंसी के द्वारा इसकी ब्यौरेवार जांच की जानी चाहिए।

मैं अपने प्रवर सहयोगी को यह बताना चाहता हूं कि सरकार इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता की जांच-पड़ताल भी कर रही है।

Shri Ramavatar Sharma : Is the hon. Minister aware of the fact that the consulate of North Korea has been constantly giving advertisements in the Indian Press on which they have incurred Rs. 80 lakh a part of which has gone to higher officers ? Will an enquiry be held into it ?

Sir, I have a submission to make. I am prepared to lay the entire information on the table of the House in case the hon Minister gives a negative reply. Will you kindly admit a Short Duration Discussion on this matter.

श्री इ० कु० गुजराल : हम सब को उन विज्ञापनों की जानकारी है जो अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं हम सब उन विज्ञापनों को पढ़ते भी हैं। इस पर कितना धन खर्च हुआ यह बताना मेरे लिए कठिन है, परन्तु यदि मेरे माननीय मित्र के पास इसकी ब्यौरेवार सूचना है तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, the issue of advertisement has been raised advertisements are the well known means of influencing the papers. Have the Government considered the suggestion that all the foreign missions would give their advertisements through the Ministry of Information and Broadcasting and Communication and Government would distribute those advertisements and most Foreign Mission shall not give advertisements direct to the newspapers.

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक विदेशी दूतावासों द्वारा विज्ञापन दिए जाने का सम्बन्ध है,

सम्भवत: मैं इस मामले को देखने के लिए वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री म० ला० सोंधी : आप 'पेट्रियट' को नियंत्रण में कर सकते है, परन्तु वह आपको नियंत्रण में किए हुए हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : श्री सन्धी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनके पत्र में भी अनेक विदेशी दूतावासों ने विज्ञापन दिए हैं।

जहां तक दूतावासों के द्वारा विज्ञापन दिए जाने का सम्बन्ध है मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा, परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन देने वाले ऐसा करने के लिए अनेक प्रकार के भ्रामक तरीके जानते हैं और हमें इन सबकी गहराई में जाना है और यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव उपाय करने होंगे कि भारतीय समाचार पत्रों और पत्रकारिता को धन से प्रभावित न होने दिया जाये।

श्री अनन्त राव पाटिल : जहां तक भारतीय समाचार पत्रों पर विदेशी प्रभाव का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए प्रैस परिषद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रैस परिषद को प्रभाव पूर्ण कार्य करने के लिए उसे पर्याप्त अधिकारों से लस करने को तैयार है ?

श्री इ० कु० गुजराल : कभी-कभी हम प्रैस परिषद की भूमिका को भूल जाते हैं। यह समाचार पत्रों का स्वयं व्यवस्थित संगठन है। अत: इसे अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं उठता। गलत तरीकों के माध्यम से विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए सरकार को ही अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, और इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है।

Shri Ram Charan : May I know the manner in which leading papers of India take money from foreign countries ? So far as I know, to decieve the audit they deposit the money obtained from embassies towards the end of every month as proceeds from the sale of newspapers. From the vouchers it is not clear to whom these papers have been sold. Has any report been received by the ministry to the effect that leading newspapers like 'Patriot' deposit at the end of the month the money obtained from the embassies to dodze the audit that their sale of the paper was to that extent ? Is the hon. Minister aware of the fact that these newspapers swell their balances lyakhs of rupees in this manner.

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि इस मामले की जांच की जा रही है। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र को मेरे से यह अपेक्षा करना उचित नहीं होगा कि मैं किसी व्यक्तिगत समाचार पत्र के बारे में बातचीत करूं अथवा किसी का नाम लूं। क्योंकि यदि मैं ऐसा करने लगूं तो मेरे अन्य मित्र, श्री पीलु मोड़ी कठिनाई अनुभव करने लगेंगे।

श्री पीलु मोडी : मैं इस बारे में आपकी किसी भी बात का स्वागत करूंगा।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : विज्ञापनों के बारे में उल्लेख करते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार भी अपनी प्रगति के बारे में विदेशी समाचार पत्रों में विज्ञापन देती है ?

श्री इ० कु० गुजराल : जब कभी विज्ञापन देने की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो हम विज्ञापन अवश्य देते हैं।

श्री सु० कु तापड़िया : मंत्री महोदय ने विदेशी दूतावासों के द्वारा अपने विज्ञापनों में अनेक प्रकार के अन्य भ्रामक तरीकों के प्रयोग किए जाने का उल्लेख किया है। क्या उनकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन दूतावासों द्वारा आयात किए गए पत्र अनेक समाचार पत्रों को किसी विशिष्ट प्रकाशन की आवश्यकता के अतिरिक्त बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता है और बहुत अधिक धन दिया जाता है और प्रकाशकों अथवा समाचार पत्रों के व्यक्तियों से उस धन को राजनीतिक दलों में बांटने के लिए कहा जाता है ? क्या मंत्री महोदय यह निदेश जारी करेंगे कि दूतावासों द्वारा प्रकाशित की जाने वाले समस्त प्रकाशन, पत्रिकाएं तथा साप्ताहिक केवल सरकारी प्रैसों में मुद्रित की जायेंगी, अन्यत्र नहीं ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय मित्र को पता होगा कि पहले मैंने सदन में आठ बातों का उल्लेख किया था जिनके बारे में हमने गृह कार्य मंत्रालय से जांच करने को कहा था, और इसमें मुद्रण प्रभार का खर्च भी सम्मिलित था। ऐसा जान पड़ता है कि इस मामले की और आगे जांच करने की आवश्यकता है। अत: मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को यहीं छोड़ दे क्योंकि हम इस मामले की ब्यौरेवार जांच कर रहे हैं।

श्री रंगा : प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या वे इस बात की आवश्यकता को सुनिश्चित करने का विचार करेंगे कि विभिन्न दूतावासों के प्रकाशन विशेषकर समाचार पत्र केवल सरकारी मुद्रणालयों में ही मुद्रित होंगे।

श्री इ० कु० गुजराल : इसकी जांच की जा सकती है।

श्री समर गुह : मुझे तो यह डर हो गया है कि बाद में आकर हमारे भारतीय समाचार पत्र अनेक विदेशी दूतावासों के बड़े-बड़े उत्सव आयोजनों का स्थान बन गये हैं। गत चार वर्षों में मैंने अनेक प्रश्नों में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयास किया था; अब अन्त में मैं सफल हो गया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारतीय पत्रकारिता पर विदेशी धन के प्रभाव के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच करने के लिए गृह-मंत्रालय को 12 सूत्री कार्य भेजा है ? मैं उन कार्यों को जानना चाहता हूं जिससे यह समस्त सदन और सारा देश इसे जान जाये। दूसरे, यह भी कहा गया है केन्द्रीय जांच ब्यूरों के द्वारा जांच की जा चुकी है। जांच के क्या परिणाम निकले हैं। तीसरे विदेशी धन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? चौथे अनेक दूतावास दिल्ली के समाचार पत्रों में उन बहुत से देशों की आलोचना सम्बन्धी बड़े-बड़े विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं जिनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण राजनीतिक सम्बन्ध है। क्या यह बात अपेक्षित है ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक गृह-कार्य मंत्रालय को मामले भेजने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने पहले ही इस सदन में उनका उल्लेख किया था। परन्तु फिर भी उनकी सूचना के संक्षेप में वे इस प्रकार है।

(एक) विभिन्न दूतावासों द्वारा इस देश में आयात किए गये समाचार पत्र के कागज की मात्रा, अपने प्रकाशनों पर उपयोग की गई कागज की वास्तविक मात्रा, और शेष कागज का, उपहार इमदादी तौर पर बिक्री, ऋण के तौर पर निपटान करना आदि;

(दो) विभिन्न देशों के दूतावासों आदि द्वारा उपयोग में लाये गए मुद्रणालय उनके द्वारा मुद्रण कार्य पर खर्च किया गया धन, चाहे यह सहायता के रूप में सम्मिलित क्यों ना हो, और सहायता का यही स्पष्टीकरण है।

(तीन) भारत में कार्य कर रहीं विभिन्न भारतीय एवं विदेशी समाचार एजेंसियों का कार्यकरण चाहे वे स्वतंत्र हैं अथवा सहायता प्राप्त; और इन बातों के साथ साथ उनके बीच और अथवा किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी संगठनों के साथ सम्पर्क पाया जाना;

(चार) विदेशों अथवा विदेशी संगठनों के खर्चे पर पत्रकारों द्वारा भारत तथा भारत से बाहर यात्रा करना, चाहे इन यात्राओं के लिए किन्हीं स्वतंत्र न्यासों अथवा एजेंसियों द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से सहायता दी जाती है, अथवा इन यात्राओं का आयोजन विनियम के आधार पर किया जाता है;

(पांच) आया कि किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका ने विदेशों अथवा विदेशी संगठनों से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त की है अथवा कर रहा है और अथवा क्या ये छुपे साधनों से धन प्राप्त करते हैं।

(छः) क्या किसी पत्रकार ने विदेशों में समाचार भेजकर अत्यधिक धन कमाया है, चाहे इन्हें सामान्य दर पर क्यों न भुगतान किया जाता है अथवा किसी पत्रकार को बहुत अधिक अनुरक्षण शुल्क मिलता है;

(सात) आया कि विदेशी हितों द्वारा भारत में अत्यधिक संख्या में मुद्रित समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं का खरीदा जाना, तथा विदेशी हितों द्वारा किसी समाचार पत्र, पत्रिका अथवा पत्रकार को किसी अन्य प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अत्यधिक विपुल मात्रा में उपदान देना।

ये बातें हैं जिन पर जांच करने की पहल की गई है और जैसा कि मैंने कहा है प्राथमिक रिपोर्ट तो प्राप्त हो गई है। हम मामले की और आगे जांच कर रहे हैं।

श्री समर गुह : वह क्या बातें हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने अभी उन बातों को पढ़ा है।

श्री समर गुह : केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन के बारे में क्या हुआ !

श्री इ० कु० गुजराल : मैं केवल इतना ही संकेत करूंगा कि गुप्तचर विभाग की प्रथम रिपोर्ट से यही संकेत मिलता है कि मामले की और जांच की जानी चाहिए, और हम इस मामले के ब्यौरे की जांच कर रहे हैं।

मैं इस बात को ठीक कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि अन्ततोगत्वा इस सदन में इस चर्चा से यह संकेत ना हो कि भारतीय समाचार पत्र विदेशी धन से भ्रष्ट हो गये हैं। यदि इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार किया जाये तो मैं अत्यन्त सम्मान के साथ जोर देकर कह सकता हूं कि भारतीय समाचार पत्र विदेशी प्रभाव से मुक्त है।

श्री समर गुह : परन्तु विदेशी दूतावास तो हमारे समाचार पत्रों को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray : The hon'ble Minister has stated that he will look into the flow of foreign money into the Indian Press. May I know the terms of reference of the proposed Enquiry Commission ? Will the hon'ble Minister give an assurance that the Enquiry Commission will be announced before the end of this session.

श्री ई० कु० गुजराल : मेर विचार में इस सम्बन्ध में कोई तिथि निश्चित नहीं की जानी चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि इन सब बातों की ओर हम ध्यान दे रहे हैं और हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगे, हम सभा को बता देंगे।

श्री हेम बरुआ : इस देश में विभिन्न राजनीतिक दल विदेशी दूतावासों से धन प्राप्त कर कुछ समाचार-पत्र प्रकाशित करते हैं। क्या सरकार ने अखबारी कागज का कोटा देते समय इस पहलु पर विचार किया है।

श्री इ० कु० गुजराल : इस प्रश्न का क्षेत्र बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। हम भारत के समाचार पत्रों पर विदेशी पूंजी के प्रभाव की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। अतः मैं इस अवस्था में राजनैतिक दलों के साथ बातचीत करना उचित नहीं समझता।

श्री हेम बरुआ : यह इसी प्रश्न का अंग है। विदेशी समाचार-पत्रों अथवा विदेशी धन का हमारे समाचार-पत्रों पर प्रभाव।

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know the number of newspapers which indulge in sabotaging the national integration by creating the feeling of separation among the Muslims and by making Pakistani propaganda ? Will the hon'ble Minister let this House know the number of newspapers being published from Bombay, Calcutta, Kanpur and Delhi ?

Mr. Speaker : This does not arise out of this question.

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य ने साम्प्रदायिकता के बारे में समाचार-पत्रों के एक वर्ग विशेष पर अनावश्यक रूप से आरोप लगाने का प्रयत्न किया हैं, मैं उन्हें केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस देश से कुछ समाचार पत्र हैं जो साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं परन्तु ऐसे समाचार किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश से चावल का स्टाक उठाने में भारतीय खाद्य निगम की असफलता

485. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य से चावल का स्टाक उठाने के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम की असफलता पर शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस शिकायत के बारे में जांच की है; और

(ग) उक्त शिकायत को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) रैयतों से स्टाक उठाने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चिंता प्रकट की थी।

(ख) इस मामले पर आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की गई है।

(ग) धान की भारी अधिप्राप्ति के लिए भारतीय खाद्य निगम और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध किए गए हैं।

Shri Sitaram Kesri : The Chief Minister of Andhra Pradesh has complained against the Food Corporation. May I know the reason as to why stocks were not cleared and whether it is a fact that price of paddy fell as a result thereof and the cultivators had to suffer ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारीता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : यह कहना उचित नहीं कि हमने आन्ध्र प्रदेश से समय पर स्टाक नहीं उठाया है। गत वर्ष तूफान के कारण धान को कुछ क्षति पहुंची थी और भारतीय खाद्य निगम ने उसको स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उसकी किस्म औसत किस्म से घटिया थी। बाद में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री अहमद से बातचीत की थी और इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे हैदराबाद भेजा गया था। अब जैसाकि वक्तव्य में उल्लिखित है भारतीय खाद्य निगम ने भारी अधिप्राप्ति कार्यक्रम आरम्भ किया है और मेरे विचार में आन्ध्र प्रदेश सरकार भारतीय खाद्य निगम के कार्य से संतुष्ट है। अब वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है।

Shri Sitaram Kesri : It has been stated that the crop was destroyed in the cyclone. May I know whether it is not a fact that the Mill owners, who are supplied this paddy get it condemned and thereafter the mill owners sell it at higher price to other regions or export it. May I know whether this aspect has been looked into and whether Punjab Government had also blamed the Food Corporation for not clearing thes tock ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस प्रश्न का सम्बन्ध आन्ध्र प्रदेश से हैं। किसी भी राज्य को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना चावल का निर्यात करने की अनुमति नहीं है। जहां तक क्षतिग्रस्त चावल का सम्बन्ध है, इस बारे में हमारा समझौता हो गया है। जो अनाज भारतीय खाद्य निगम को स्वीकार्य होगा वही वसूल किया जाएगा। शेष अनाज के निर्यात की अनुमति दे दी जाएगी।

श्री लोबो प्रभु : यह समस्या केवल आन्ध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है। मैसूर में भी कुछ पुराना स्टाक पड़ा है जिसे वह बेचना या निर्यात करना चाहता है। उसके पास काफी भण्डार जमा है जिसे वह बेच नहीं सकता है। सरकार दक्षिण क्षेत्र को चावल का क्षेत्र बनाने के क्यों विरुद्ध है? सरकार इस सम्बन्ध में तमिल नाडु के दबाव के आगे क्यों झुकती है ? दक्षिण जोन बन जाने से जोन के अन्दर अनाज निर्बाध रूप से आ-जा सकेगा और अनाज बिलकुल बेकार नहीं जाएगा ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की गई थी। सामान्यत: मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में आम राय के अनुसार कार्यवाही की जाती है और दक्षिणी चावल जोन बनाने के बारे में आम राय नहीं थी।

श्री लोबो प्रभु : मुख्य मंत्रियों की नहीं, आप की क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों की राय के बारे में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत में 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस' टेलिविजन केन्द्र

*484. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस' को भारत में अपना टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की हाल ही में अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ योजना के दौरान गहन कृषि पर आधारित खाद्य उत्पादन की लक्ष्य पूर्ति के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त

*486. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि-योग्य भूमि की कमी के कारण गहन कृषि पर आधारित खाद्य उत्पादन की लक्ष्य पूर्ति करने हेतु बरती जाने वाली नीति का स्पष्टीकरण करते हुए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चतुर्थ योजना में, वर्षवार, खाद्य उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग ने राज्यों को 1971-72 की वार्षिक योंजनायें बनाने के लिए मार्ग-दर्शी-पत्र भेजे हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन मार्गदर्शनों में यह व्यवस्था की गई है कि खेती के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि लाने का सीमित क्षेत्र होने के कारण उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की नीति मुख्य रूप से सघन कृषि पर निर्भर करती है और इसके निम्नलिखित मुख्य अंग हैं :—

(i) सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को जारी रखना और कृषि पद्धतियों का नवीकरण, जल प्रयोग, विशेषकर भूमि तथा लत ही जल का एकीकृत प्रयोग, विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से मौजूदा सिंचाई सम्भाव्यताओं के उपयोग में सुधार और फसलों की सघना को बढ़ाने के उपाय करना।

(ii) उर्वरकों के सम्भरण, पौध रक्षा सामग्री, फार्म मशीनरी और ऋणों की व्यवस्था का विस्तार।

(iii) धान्यों और मोटे अनाजों के मामले में नए किस्म के बीजों द्वारा उपज बढ़ाने की सम्भाव्यताओं का पूरी तरह से उपयोग करना;

(iv) चुनिन्दा उपयुक्त क्षेत्रों में मुख्य वाणिज्यिक फसलों के उपज के स्तर को बढ़ाने के प्रयत्नों को तेज करना; और

(v) उत्पादक के हित में मुख्य कृषि जिन्सों के न्यूनतम मूल्यों का आश्वासन के साथ-साथ कृषि विपणन पद्धति में सुधार करना।

(ग) चौथी योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1290 मीटरी टन निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के पश्चात ही प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 1969-70 के लिए 1010 लाख मीटरी टन और 1970-71 के लिए 1060 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1971-72 के लक्ष्य के बारे में इस समय राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा शिक्षा संबंध में गण्यमान्य व्यक्तियों पर वृत-चित्र बनाने की कसौटी

*487. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजनीतिक ऐतिहासिक, धार्मिक तथा शिक्षा के क्षेत्रों में गण्यमान्य व्यक्तियों पर वृत-चित्र बनाने के लिए कोई कसौटी निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय नेताओं के नाम क्या हैं जिनके जीवन पर सरकार ने अब तक वृत्त-चित्र बनाये हैं; और

(ग) अगले तीन वर्षों में किन-किन नेताओ पर वृत-चित्र बनाये जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) . फिल्मों के विषय चयन करने की कोई निश्चित कसौटी नहीं है। विषयों को फिल्म प्रभाग की क्षमता और उसके साधनों के अनुरूप ही तदर्थ आधार पर उसके निर्माण कार्य-क्रम में शामिल किया जाता है। फिल्म प्रभाग द्वारा जिन भारतीय नेताओं पर फिल्में ही बनाई जा चुकी हैं, उनके नामों को दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) : फिल्म प्रभाग का फिल्म निर्माण कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। 1970-71 के निर्माण-कार्यक्रम में निम्न लिखित डाकुमेंट्री फिल्में शामिल हैं :—

1. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
2. पंडित जवाहर लाल नेहरू
3. डा० जाकिर हुसेन
4. देशबन्धु सी० आर दास
5. डा० राजेन्द्र प्रसाद

विवरण

जिन राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों पर वृत चित्र (आवश्यक रूप से पूरी लम्बाई की जीवनी फिल्में नहीं) बनाए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. लोकमान्य तिलक
2. महात्मा गांधी

3. लाला लाजपत राय
4. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
5. सरदार पटेल
6. जवाहर लाल नेहरू
7. सरदार भगतसिंह
8. श्री विनोबा भावे
9. श्री लाल बहादुर शास्त्री
10. श्रीमती इन्दिरा गांधी
11. श्री सी० एन अन्नादुरे
12. डा० जाकिर हुसैन
13. गौतम बुद्ध
14. स्वामीविवेका नन्द
15. आचार्य जगदीश चन्द्र बोस
16. आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय
17. डा० रविन्द्र नाथ टैगोर
18. डा० विश्वेश्वरैया
19. डा० कर्वे
20. कंदुकुरी वीरशालिंगम् पंतुलु
21. श्री स्वामी तिरूमल महाराज
22. शंकरनरु वकु ओरु सोधानन्
23. अकबर—रंग-चित्रों के माध्यम से ।

चौथी योजना में रुई विकास कार्यक्रम संबंधी परिव्यय

*488. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में रुई विकास योजनाओं के लिये 8.4 करोड़ रुपये उपलब्ध किये जाने थे;

(ख) क्या सरकार ने बाद में उक्त राशि रुई विकास के लिये उपलब्ध न करने का निर्णय किया है :

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1970-71 तथा चौथी योजना के अन्य वर्षों में रूई विकास पर सरकार का विचार वास्तव में कितनी राशि खर्च करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा कपास के लिये 8.4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। चतुर्थ योजना के दौरान 390 लाख रुपये का परिव्यय पर्याप्त समझा गया।

(घ) 1970-71 की अवधि में कपास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए 89. 85 लाख रुपए का बजट प्रावधान है। सन् 1971-72 के लिए 209 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है। सन् 1972-73 तथा 1973-74 के वित्तीय परिव्ययों के ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

दिल्ली के सुपर बाजार के घाटे को पूरा करने के लिए कार्यवाही

*489. **श्री बलराज मधोक** :
श्री केदार नाथ सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सुपर बाजारों को चालू वर्ष में और अधिक घाटा हुआ है;

(ख; क्या उनमें से कुछ सुपर बाजार वस्तुओं के अभाव में संकट की स्थिति में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सुपर बाजार के घाटे को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि सार्वजनिक कोष पर और अधिक बोझ न पड़े ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली द्वारा चलाए जाने वाले सुपर बाजार तथा इसकी शाखाओं को 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में भी हानि हुई है।

(ख) जी नहीं, परन्तु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप में पूरा करने और बिक्री को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की आवश्यकता है।

(ग) उनके कार्यकरण में सुधार करने, ऊपरी व्यय में किफायत करने, परिचालन तथा लेखा प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाने और बिक्री तथा अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इन उपायों के फलस्वरूप, सुपर बाजार को भविष्य में आर्थिक रूप से एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य हो जाना चाहिए।

भारतीय विज्ञापन बोर्ड बम्बई

*490. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञापन बोर्ड, बम्बई ने कुछ समय पूर्व सरकार पर यह आरोप लगाया था कि वह विज्ञापन सम्बन्धी अपनी नीति से पीछे हट गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी इस नीति को पूर्ण रूप से पालन करने की स्थिति में है कि विज्ञापन सम्बन्धी सभी कार्य केवल भारतीय विज्ञापन अभिकरणों को सौंपा जाए ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं।

(ख) समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को केन्द्रीय सरकार के सभी विज्ञापन (रेलवे के विज्ञापनों को छोड़कर) सीधे विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए जाते हैं; किसी विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से नहीं। रेलवे के विज्ञापन केवल पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाली तथा भारतीयों द्वारा नियन्त्रित विज्ञापन एजेंसियों के ही माध्यम से दिए जाते हैं।

जहां तक सरकारी उपक्रमों के विज्ञापनों का सम्बन्ध है, एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि सरकारी उपक्रम, सांविधिक निकाय, निगम आदि केवल उन्हीं विज्ञापन एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग करें जो पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाली तथा भारतीयों द्वारा नियन्त्रित हो और वे विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में हों। अप्रैल, 1970 में मैसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसियेट्स लि० द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अन्तरिम आदेश के कारण सरकार फिलहाल उन 11 उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि के बारे में अपनी नीति को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है, जो इस समय इस एजेंसी की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं।

2. इंडियन एयरलाइन्स का आंशिक विज्ञापन कार्य मैसर्स क्लैरिअन मैकन एडवरटाइजिंग सर्विसिज प्रा० लि०, जो आंशिक रूप से विदेशी स्वामित्ववाली विज्ञापन एजेंसी है, के द्वारा किया जाता है। इस एजेंसी ने सरकार को सूचित किया है कि वह इस सम्बन्ध में सरकारी नीति के अनुरूप अपने को पुनर्गठित कर रही है और इस दिशा में आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने तक, इंडियन एयरलाइंस उनकी सेवाओं का प्रयोग कर रही है।

चीनी संबंधी वर्तमान स्थिति और उस पर से नियन्त्रण का हटाया जाना

*491. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में उत्पादन, निर्यात, आन्तरिक खपत और मूल्य की दृष्टि से चीनी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ पक्षों की ओर से इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि चीनी पर से नियंत्रण पूरे तौर पर उठा लिया जाये और चीनी का सम्पूर्ण भण्डार आन्तरिक खपत के लिए खुले बाजार में बेचा जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सप्लाई स्थिति काफी अच्छी है। 1969-70 और 1970-71 में राज्यवार चीनी का उत्पादन, 1969-70 में चीनी का निर्यात और 1969-70 में आन्तरिक खपत बताने वाला एक विवरण (विवरण-1) और विभिन्न राज्यों की प्रमुख मंडियों में लेवी और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के थोक मूल्य बताने वाला दूसरा विवरण (विवरण 2) सभा के पटल पर रखा जाता है। समूचे देश के लिए 1969-70 में चीनी की आन्तरिक खपत 32.61 लाख मीटर टन थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4471/70]

(ख) कुछ राज्य सरकारों और अन्य संगठनों ने चीनी के विनियंत्रण की सिफारिश की थी।

(ग) 1970-71 के लिए चीनी संबंधी नीति पर विचार हो रहा है।

राजस्थान में सोयाबीन की अधिक भूमि में काश्त

*492. **न० कु० सांधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को यह सलाह दी है कि वे अगले खरीफ के मौसम में व्यापक रूप से सोयाबीन की काश्त करें और राजस्थान में 5000 एकड़ से भी अधिक भूमि में सोयाबीन की खेती करने सम्बन्धी योजना बनाई जा रही हैं; और

(ख) क्या राजस्थान के किसान सोयाबीन की खेती करने में इसलिए संकोच करते हैं कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य कम है; और राज्य में कोई परिष्करण संयंत्र नहीं है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान में सोयाबीन परिसंस्करण का कोई संयंत्र नहीं है।

छोटे किसानों को अच्छी किस्म के बीज वितरित करने के लिये कार्यवाही

*493. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को विशेष रूप से छोटी जोतों वाले किसानों को, अच्छी किस्म के बीज आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किसानों को बीजों का वितरण करने के लिये कौनसी मुख्य एजेंसियां उत्तरदायी हैं; और

(ग) छोटे किसानों को सस्ते मूल्यों पर बीज सप्लाई करने का प्रबन्ध करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे : (क) यह देखना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि सभी किसानों को अच्छी किस्म का बीज सरलतापूर्वक उपलब्ध हो। बीजों की कमी के बारे में भारत सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु पूर्वी राज्यों में गेहूं के प्रमाणित बीजों की कुछ कमी रही है।

(ख) किसानों को बीज वितरित करने वाली मुख्य एजेंसियां राज्य सरकारों की विभागीय समितियां सहकारी संस्थायें तथा ग़ैर सरकारी व्यापारी हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बीज निगम और भूतपूर्व तराई विकास निगम भी अपने व्यापारियों तथा डिपुओं के माध्यम से बीज बेचते हैं।

(ग) छोटे किसानों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये बीजों के क्रय-मूल्य में कोई अन्तर नहीं रखा जाता और कुछ ऐसे राज्यों को छोड़कर जहां बीजों की बिक्री पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को राज सहायता दी जाती है, सरकार द्वारा बीजों की बिक्री पर कोई राज सहायता नहीं दी जाती है।

पश्चिमी बंगाल में शान्ति से सफल कटाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही

*494. **श्री समर गुह** :क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अमान फसल की कटाई के समय कुछ राजनीतिक दलों ने बटाइदारों से छापा मारकर लगभग दो करोड़ रुपये के मूल्य का धान इस बहाने प्राप्त किया था कि वे काश्तकारों की रक्षा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष पश्चिमी

बंगाल में फसल की कटाई के समय शान्ति बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ख) इस वर्ष शान्ति पूर्वक ढंग से कटाई करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं। नीति के तौर पर जिस व्यक्ति ने वास्तव में भूमि में काश्त की है और फसल उगाई है उसे ही फसल काटने की अनुमति दी जायेगी। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में काश्तकार से जबरन फसल उठाने या भूमि के वास्तविक कब्जे के बारे में किसी झगड़े या वास्तविक कब्जे के विषय में रिपोर्ट प्राप्त होते ही और यह झगड़ा पैदा होते ही कि उस भूमि पर किसने खेती की है और किसने फसल उगाई है सत्य जानने के लिए राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय रूप से शीघ्र जांच की जायेगी और यदि समझौते के प्रयत्न विफल हो जायें तो यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उड़ीसा में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम

*495. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये ज़िलों का चयन किस आधार पर तथा किस ढंग से किया जाता है; और

(ख) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये उड़ीसा में चुने गये ज़िलों के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे):(क) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिए बारबार सूखे से प्रभावित होने वाले ज़िलों का चयन वर्षा की मात्रा, सूखे की बारंबारता और उसकी मात्रा, सिंचाईगत क्षेत्र के प्रतिशत और अन्य सम्बद्ध बातों आदि के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ज़िलों का चुनाव और वास्तविक परियोजना क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है।

(ख) उड़ीसा में इस कार्यक्रम के लिए कालाहाण्डी और बौध फुलवानी नामक दो जिले चुने गए हैं।

कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड

*496. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों का मजूरी ढाचा निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ एक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह विचार किया जाता है कि कृषि क्षेत्र में मज़दूरी दरें निर्धारित करने के प्रश्न पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, जिसकी परिधि में कृषि-रोज़गार पहले से ही आता है, अधिक उचित ढंग से विचार किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों को भेजे जाने वाले पार्सलों की डाक-दरों में कमी करना

*497. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग ने विश्व के अनेक देशों को भेजे जाने वाले पार्सलों की डाक-दरों में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन दरों में कमी करने के क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) पार्सलों की वर्तमान डाक दरों की तुलना में इस समय की गई कमी के कारण क्या लाभ होगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) जी हां।

(ख) दरों में कमी इसलिए संभव हुई है कि अब कुछ देशों के साथ बिना किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप के सीधे जहांजरानी की सुविधा उपलब्ध है। अन्य मामलों में छोटे मार्ग अपनाए गए हैं और पारगमन में पड़ने वाले देशों की संख्या भी कम की गई है। इस तरह जिन देशों में से होकर पार्सलों को गुजरना पड़ता है, उन्हें भुगतान किए जाने वाले पारगमन शुल्क में कुछ बचत हो गई है।

(ग) जर्मन संघीय गणराज्य, पोलैंड, नीदारलैंड, बेल्जियम, कनाडा, साइप्रस, जिब्राल्टर, चकोस्लोवाकिया, स्पेन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, मारिशस, मदगास्कर, आस्ट्रेलिया और फिजी।

(घ) जहां तक विभाग का संबंध है, उसे कोई बचत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो बचत होनी थी, वह अब दरों में कमी किए जाने के कारण इस सेवा का प्रयोग करने वालों को ही होगी। किंतु अन्य देशों को किए जाने वाले विदेशी मुद्रा के भुगतान में प्रति वर्ष 2.13 लाखों रुपये की कमी हो जाएगी।

Working of Suratgarh Farm

*498. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Suratgarh Farm, set up in collaboration with the Soviet Union, has been continuously incurring heavy losses for the past several years;

(b) If so, the reasons therefore; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to improve the working there of ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, sir, The profit/loss of the Farm for the last few years is as follows :—

1966-67		Rs. 18.71 lakhs	Profit
1967-68		Rs. 49.52 lakhs	Profit
1968-69		Rs. 2.11 lakhs	Loss
1969-70	.....	Rs. 45.14 lakhs (Approximately)	Profit

(b) Does not aries.

(c) While the Farm was on the whole doing well, there was room for improvement in its working. The Government, therefore, set up a Public Sector Undertaking, namely, the State Farms Corporation, to run this farm amongest others, on commercial lines. The Corporation took over the administration of the Suratgarh Farm on Ist August 1969, and has streamlined its activities to increase its profitability. As a result, a profit of about Rs. 45.14 lakhs has accrued even during the Ist year of the working of the Corporation.

रोजगार के विकास की दर में वृद्धि

*499. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के विकास की दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय विकास दर क्या है;

(ग) इसके साथ-साथ बेरोजगारी की वृद्धि की दर क्या रही है; और

(घ) रोजगार के विकास से किस दर तक इस बेरोजगारी को दूर किया जा सका है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख) . नियोजन क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करने वाले कार्यक्रम के अधीन इकट्ठी की जानकारी से पता चलता है कि संगठित

क्षेत्र में (अर्थात सरकारी क्षेत्र की सभी संस्थापनाओं और कृषि क्षेत्र के बाहर निजी क्षेत्र की वे संस्थापनायें जो 10 या इससे अधिक लोगों को नियुक्त करती है) मिलने वाले नियुक्त अवसरों में 1969-70 के दौरान 2.4% की वृद्धि हुई है, जबकि 1968-69 में यह वृद्धि 1.9% हुई थी।

(ग) बेरोजगारी का यथातथ्य अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

कानपुर में मिल-मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का दुरुपयोग

*500. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में कुछ मिल-मालिकों द्वारा भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान की भारी राशि का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन मिल-मालिकों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

एक ब्रिटिश निर्माता द्वारा मशीनी-गाय का निर्माण

*501. **श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटेन के एक निर्माता डा० ह्यू ग फ्रेन्कलिन ने एक ऐसी मशीनी गाय का निर्माण किया है जो 20 टन बन्द-गोभी के कटे हुए पत्तों से प्रति दिन 3600 गैलन दूध का उत्पादन कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सरकार पूर्ण विवरण के लिए प्रयास कर रही है, जिसके प्राप्त होने पर मामले की जांच की जाएगी।

तिलहनों की सप्लाई में वृद्धि और वनस्पति उद्योग की क्षमता

*502. **श्री जी० वाई कृष्णन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिलहनों की सप्लाई तथा वनस्पति उद्योग की निर्माण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. तिलहनों की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय दिए गए हैं :—

(क) **देश में अधिक से अधिक पैदावार करना :**

(1) जिन क्षेत्रों में निश्चित रूप से वर्षा होती है और सिंचाई की सुविधाएं हैं वहां बहुत बड़े क्षेत्र में पैकेज कार्यक्रम अपनाना ताकि शीघ्र पैदावार प्राप्त की जा सके।

(2) सिंचाई सुविधाओं का विस्तार जिससे अधिक से अधिक उपज हो।

(3) सीमित भू-साधनों को देखते हुए मौजूदा क्षेत्रों में निम्न तरीको से पैदावार बढ़ाने पर जोर देना :—

(क) उर्वरकों और सिंचाई के अनुकूल अधिक उपज देने वाली तिलहनों को मौजूदा किस्मों की बुवाई करना।

(ख) विशेषतया, परियोजना क्षेत्रों में थोड़ी अवधि में उगने वाले बहुफसली के तरीके कोअपनाकर तिलहनों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की बुवाई कर यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक उपलब्ध भूमि का उपयोग करना।

(4) कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षण और अन्य शुस्क खेती सम्बन्धी तरीके अपनाना ताकि तिलहनों की पैदावार में सामान्य रूप से और मूंगफली की उपज में विशेष रूप से होने वाली घट-बढ़ को बहुत ही कम किया जा सके।

(5) सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसे नये तिलहनों की खेती।

(6) **आयात**

(1) देशी तिलहनों/तेलों की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए 1970 के दौरान

निम्नलिखित मात्राएं आयात की गई हैं :—

(1) सोयाबीन का तेल——1,00,000 मीटरी टन

(2) सूरजमुखी का तेल——5,000 मीटरी टन

(2) जनवरी–जून, 1971 के दौरान 75,000 मीटरी टन तोरियां आयात करने के लिए कदम उठाए गए हैं :—

(2) वनस्पति उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पग उठाये गए हैं:—

(1) सितम्बर, 1968 से फ़रवरी, 1970 की अवधि के दौरान उद्योग पर से अंशतः लाइसेंस उठा लिया गया था इसके परिणाम स्वरूप, उत्पादन क्षमता में अब पर्याप्त, वृद्धि हो रही है ।

(2) मौजूदा फैक्ट्रियों को अक्तूबर, 1967 से छोटे-मोटे संतुलन उपकरण लगाकर अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक 25 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए नया लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

कृषि विभाग में अमरीकी सलाहकार

*503. **श्री शशि भूषण : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विभाग में अमरीकी सलाहकारों की संख्या, नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) फोर्ड फाउंडेशन तथा कृषि मंत्रालय में किस प्रकार का तालमेल है; और

(ग) कृषि विभाग के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो फोर्ड फाउंडेशन के कार्यालय में हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) (क) : पांच (जैसा कि परिशिष्ट 1 में दिया गया है)

(ख) और (ग) . सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय, सघन कृषि जिला कार्यक्रम परियोजनाओं के सम्बन्ध में लाए गए फोर्ड फाउंडेशन के अमरीकी विशेषज्ञों तथा कृषि के मुख्य विभाग के विभिन्न प्रभागों के बीच समन्वय से है । यह समन्वय दो प्रकार का है :—

1. ये अमरीकी विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता के अनुसार परामर्शदाता के रूप में कृषि के मुख्य विभाग में कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर कृषि इंजीनियरिंग सम्बन्धी परामर्शदाता मशीनरी प्रभाग के साथ संलग्न है और जल विकास सम्बन्धी परामर्शदाता से लघु सिंचाई तथा जल उपयोगिता प्रभाग द्वारा सलाह ली जाती है ।

2. फोर्ड फाउन्डेशन के विशेषज्ञों की सेवायें सात सघन कृषि जिला कार्यक्रम के ज़िलों में क्षेत्र परियोजनाओं के विस्तार के लिए भी उपलब्ध हैं। इसके लिए विस्तार निदेशालय के ग्यारह भारतीय अधिकारी 32 फीरोजशाह रोड नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए भवन में कार्य करते हैं।

विवरण

कृषि विभाग में अमरीकी विशेषज्ञ

क्रम संख्या	विशेषज्ञ का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र	नियुक्त किया गया
1.	मि० जे० टी० फेलन	मृदा तथा जल प्रबन्ध	अक्तूबर, 1966
2.	मि० ई० जे० पोप	ड्रेनेज इंजीनियरिंग	दिसम्बर, 1969
3.	मि० एफ० एम० राबर्टस	रिसोर्स इन्वेंटरी	जून, 1968
4.	मि० ई० एल० एलीथोर्प	नलकूप विशेषज्ञ	दिसम्बर, 1969
5.	मि० आर० डी० वैन्डरसीपैन	सरफेस-वाटर हाईड्रौलोजिस्ट	जुलाई, 1970

समाचार-पत्रों के विरुद्ध प्रेस परिषद् को प्राप्त शिकायतें

*504. **श्री रवि राय:** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद् को समाचार पत्रों के औचित्य तथा सुरुचि के नैतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करने के बारे में एक समाचार-पत्र के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान उन्हें कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ग) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इं० कु० गुजराल): (क) से (ग). समाचार-पत्र के नाम के अभाव में यह कहना संभव नहीं है कि माननीय सदस्य किस विशिष्ट समाचार-पत्र के बारे में पूछ रहे हैं। तथापि, प्रेस परिषद ने यह सूचित किया है कि दिसम्बर, 1969 से नवम्बर, 1970 तक की अवधि के दौरान दिसम्बर 1969 से पूर्व की 18 शिकायतों को मिलाकर ऐसे मामलों की संख्या 57 थी। इनमें से 32 शिकायते साम्प्रदायिक लेखों या ऐसे चित्रों जो अभद्र थे या अश्लीलता की सीमा से परे थे, के बारे में थीं। इनमें से 30 को वर्ष के दौरान निपटाया गया तथा शेष 27 जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। 6 शिकायतें ठीक मानी गई, 10 अस्वीकार की गई तथा एक को वापिस लिए जाने की अनुमति दी गई तथा एक अन्य पर मामला अदालत के विचाराधीन होने के कारण, परिषद द्वारा विचार किए जाने पर रोक लगा दी गई। दो सम्पादकों को चेतावनी

दी गई, 6 की निन्दा की गई तथा 4 अन्य के बारे में परिषद ने अपनी अप्रसन्नता या अस्वीकृति व्यक्त की।

खाद्य नियन्त्रण को उदारशील बनाना

*505. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य नियंत्रण को उदारशील बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि श्रमिकों के कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए विधान

*506. **श्री अदिचन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि श्रमिकों के कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अन्यो के साथ-साथ कृषि-रोजगार पर लागू होता है और इस अधिनियम के अधीन सम्बन्धित सरकारों को कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में मजदूरी की न्यूनतम-दरें निर्धारित करने और काम के घंटों, साप्ताहिक छुट्टी और समयोपरि के मामले में सेवा की शर्तें नियमित करने का अधिकार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेडियो स्टेशन से वंचित राज्य

507. **श्री दे० अमात् :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में कोई रेडियो स्टेशन नहीं है;

(ख) यदि हां तो उन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) उन राज्यों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा।

(ग) हरियाणा में रोहतक में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है।

विदेशों से उर्वरकों के आयात की पद्धति

*508. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेन्डर मांगने तथा तत्पश्चात् आयात करने की पद्धति की अपेक्षा, उर्वरकों के निजी विदेशी सप्लाई कर्ताओं के साथ सीधे बात चीत करना अधिक सफल और बचत पूर्ण सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार वास्तव में कितने धन की बचत हुई है; और

(ग) भारत के लिये आवश्यक अन्य वस्तुओं के मामले में इस पद्धति का अनुसरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सन् 1966 से ब्रिटेन, पश्चिम यूरोप और जापान से क्रय करके 7.49 करोड़ रुपए की बचत की गई है।

(ग) सरकार की यह नीति रही है कि खुले टेण्डरों के माध्यम से माल प्राप्त किया जाये। परन्तु प्रायः बातचीत उन मामलों में की जाती है जहां फर्मों को एकाधिकार हो, जहां आपसी समझौता स्पष्ट हो और टेण्डर में दी गई कीमतों का उस वस्तु के अन्तिम क्रय मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

लोकार्नो फिल्म समारोह, 1970

*509. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 'सारा आकाश' फिल्म जो भारत की ओर से लोकार्नो फिल्म समारोह, 1970 में प्रदर्शित की गई थी, के निर्माता निर्देशक श्री बसु चटर्जी से लोकार्नो फिल्म समारोह, 1970 के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो श्री चटर्जी द्वारा अपने प्रतिवेदन में किन प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) श्री बसु चटर्जी के प्रतिवेदन में जो मुख्य बातें दी गई हैं उनको दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) मामला मंत्रालय में विचाराधीन है।

विवरण

श्री बसु चटर्जी ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :—

भारत सरकार को चाहिए कि वह :—

(क) यह सुनिश्चित करे कि तकनीकी दृष्टि से अच्छे उप-शीर्षकों के साथ प्रिंट ही फिल्म समारोह को भेजी जाए।

(ख) प्रिंटों को भेजने और उनकी वापसी के लिए हवाई डाक का खर्च वहन करे या प्रिन्टों को डिप्लोमैटिक बैगो के माध्यम से भेजे।

(ग) इस बात पर जोर दे कि जिन फिल्मों की सिफारिश की गई है तथा भारत सरकार की सरकारी प्रविष्टि के रूप में भेजी गई है, उनका प्रदर्शन समारोह में अवश्य हो।

(घ) फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित फिल्मों की पर्याप्त मात्रा में प्रचार सामग्री प्रेस तथा सामान्य प्रचार के लिए समारोह को भेजें।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल-मिलों की स्थापना

*510. **श्री० म० सुदर्शनम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का कुछ राज्यों में चावल-मिलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनके स्थानों और उनमें लगी पूंजी के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चावल मिलों का स्थान बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों को स्थापित करने के लिए अनुमानतः कुल 309 लाख रुपये की पूँजी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित किए जाने वाले चावल मिलों का स्थान बताने वाला विवरण

1. ओलवक्कोठ (केरल)
2. थंजबूर (तमिल नाडु)
3. मन्नड़गुडी (" ")
4. सेम्बनारकोइल (" ")
5. चिदामवरम् (" ")
6. नील्लौर (आन्ध्र प्रदेश)
7. निजामाबाद (")
8. मिरयालागुडा (")
9. सत्तनपल्ली (")
10. हीराकुण्ड (उड़ीसा)
11. डुंगरीपल्ली (")
12. चनपटिया (विहार)
13. पुर्णिया (")
14. रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश)
15. करनाल (हरियाणा)
16. बटाला (पंजाब)
17. पटियाला (")
18. सूरी (पश्चिमी बंगाल)
19. बुनियादपुर (" ")
20. दुर्गापुर (" ")
21. होजाई (असम)
22. उत्तरी लखीमपुर (")
23. वांकुरा जिला (पश्चिमी बंगाल) } अस्थायी
24. कोरापुर जिला (उड़ीसा) } अस्थायी
25. इम्फाल (मणिपुर) } अस्थायी

टेलीविजन लाइसेंसों की सूची

3145. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

टेलीविजन लाइसेंस के चालू रजिस्टर में लाइसेंस प्राप्त कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं तथा एक लाइसेंस का वार्षिक शुल्क क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेरसिंह) : 30-6-1970 को टेलीविजन लाइसेंस के चालू रजिस्टर में 17,473 लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। विभिन्न प्रकार के टेलीविजन लाइसेंसों का वार्षिक शुल्क इस प्रकार है :

घरेलू लाइसेंस--	30 रुपये प्रति लाइसेंस
रियायती	10 रुपये प्रति लाइसेंस
व्यापारिक	60 रुपये " "
प्रदर्शनार्थ	30 रुपये " "
विक्रेता द्वारा कब्जे में रखने का लाइसेंस	40 रुपये " "
गैर विक्रेता द्वारा कब्जे में रखने का लाइसेंस	15 रुपये " "

अवकाश गृहों की स्थापना

3146. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए शिमला तथा मसूरी में दो अवकाश गृह स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दो अवकाश गृहों में कितने स्थान उपलब्ध होंगे ;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में औद्योगिक कर्मचारियों सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण किया है ; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में औद्योगिक कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए उक्त दो अवकाश गृहों में उपलब्ध स्थान अपर्याप्त होंगे ; और

(ड़) यदि हां, तो इन अवकाश गृहों में स्थान देने के लिए कर्मचारियों का चुनाव करते समय क्या मान दंड रखे जाएंगे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) (क) दिल्ली प्रशासन का, दिल्ली की दुकानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए, शिमला और मसूरी में दो विश्राम-गृह स्थापित करने का विचार है।

(ख) दोनों स्थानों पर 7-8 कमरों के दो मकान लेने की प्रस्तावना है।

(ग) औद्योगिक श्रमिकों का हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। परन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में इस समय 1620 पंजीकृत कारखाने हैं, जिनमें 82000 श्रमिक काम करते हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने इस प्रकार का प्रस्ताव पहली बार किया है। इसकी लोकप्रियता के अनुभव पर अधिक आवास की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

(ड़) विश्राम-गृहों की सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन-पत्र मागें जायेगे और दिल्ली प्रशासन के श्रमायुक्त कार्यालय के अधिकारियों की एक समिति द्वारा उनका चुनाव किया जायगा। केवल ऐसे श्रमिक जिनकी आय 5001—रु० मासिक तक है और जो छुट्टी की मंजूरी के बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत कर सकेंगे, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

मिजो पहाड़ी जिले का विकास

3147. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम सरकार को मिजो पहाड़ी जिले की आर्थिक समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने तथा उस क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने की सलाह दी है ; यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या असम सरकार ने कुछ क्षेत्रों में आबी खेती करने के लिए कुछ हजार एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने, दो या तीन आदर्श कृषि फार्म चलाने तथा अधिक उत्पत्ति करने वाले पशुओं को लाने की योजना बनाई है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि दो या तीन वर्षों में लगभग 50,000 एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जा सकती है और चावल के अतिरिक्त काफी, सन्गतरा, आलू, गन्ना, टपिओका तथा रबड़ जैसी नकदी फसलें पैदा की जा सकती हैं, और

(घ) यदि हां तो सरकार का उस क्षेत्र के विकास के लिए असम सरकार को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारत सरकार असम सरकार को मिजो पर्वतीय जिलों के द्रुत आर्थिक विकास के लिये योजनायें तैयार करने तथा उन के कार्यान्वयन के लिये सभी प्रकार की सहायता देती है। इस जिले

के विकास में सामान्तः कृषि, संचार, खाद्य आपूर्ति, रोजगार के अवसर जैसे आर्थिक पक्षों को सम्मिलित किया गया है।

(ख) जी हां। असम सरकार ने भारत सरकार के अनुरोध पर चालू वित्तीय वर्ष में थेनजावल क्षेत्र में एक प्रदर्शन फार्म की स्थापना की योजना तैयार की है। इस क्षेत्र में भूमि कृषि योग्य बनाने के उपरान्त 2,000 एकड़ का एक फार्म स्थापित किया जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष में उन का कानपुई क्षेत्र में भी एक अन्य प्रदर्शन फार्म स्थपित करने का प्रस्ताव है। ये मिश्रित फार्म होंगे।

(ग) मिजो पर्वतीय जिलों के समेकित कृषि विकास के लिये प्रथम 2-3 वर्षों की योजनाओं में (क) पांच पांच हजार एकड़ की तीन समेकित मार्गदर्शी परियोजनाओं तथा (ख) 8 चुन्निदा प्रगतिशील संरक्षित ग्रामों (पी० पीं० वी) में लगभग एक एक हजार एकड़ के 8 प्रदर्शन फार्मों की स्थापना की व्यवस्था है। परियोजनाओं के क्षेत्र, सर्वेक्षण के उपरान्त भूमि की वास्तविक उपलब्धि पर निर्भर करेंगे। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि भारतीय राजकीय फार्म निगम ने फरवरी, 1970 में लोकिचेरा में एक राजकीय फार्म की स्थापना की है। अन्तत : फार्म का क्षेत्र 2,500 एकड़ होने की संभावना है। धान तथा मक्का काश्त की जाने वाली मुख्य फसलें हैं। अनन्नास का प्रचलन कर दिया गया है और केला, कालीमिर्च, सुपारी, हल्दी, संतरे, लीची तथा नीबू की कृषि के भी प्रयत्न किये जारहे हैं। मुर्गी तथा सुअर पालन अनुभाग भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं, एक सुअर विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(घ) राजकीय फार्म निगम को तीन समेकित मार्गदर्शी परियोजनायें (बड़े फार्म) स्थापित करनी हैं। उन के लोकिचेरा फार्म में औसतन 50 मिजो लोगों को प्रतिदिन काम पर लगाया जाता है। स्थानीय लोगों को कृषि मशीनरी के प्रचालन तथा रख रखाव में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फार्म लोकिचेरा ग्राम को बिजली भी प्रदान कर रहा है और स्थानीय लोग फार्म द्वारा दिखाये जाने वाले फिल्मशोज का भी खूब लाभ उठाते हैं। प्रदर्शन फार्मों के लिए क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्र द्वारा मिजों पहाड़ियों में एक सर्वेक्षण दल भी भेजा जा रहा है।

पंजाब सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने से हुई हानि

3148. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के विद्युत संकट के बावजूद पंजाब में इस वर्ष धान की भारी फसल होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष में पंजाब में सरकारी एजेन्सियों को अब तक कितनी मात्रा में धान की सप्लाई की गई है;

(घ) क्या पंजाब प्रादेशिक चावल विक्रेता संघ द्वारा की गई गणना के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुचाने हेतु धान के समर्थन मूल्य में 3 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि किए जाने तथा चावल के मूल्य में और अधिक वृद्धि न करने के भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप व्यापारियों को लाखों रुपये की हानि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). इस वर्ष धान की पैदावार पिछले वर्ष के स्तर के आस-पास होने की आशा है।

(ग) पंजाब में धान पर लेवी है और इसलिए सरकारी एजेन्सियों को धान सप्लाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने मूल्य साह्याय उपाय के रूप में उत्पादकों से लगभग 1 लाख मीटरी टन धान खरीदी है।

(घ) और (ङ) पंजाब प्रान्तिय चावल व्यापारी एसोसियेशन ने व्यापार में हुए नुकसान, यदि कोई हो, के बारे में जो हिसाब लगाया है, सरकार के पास उस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। धान और चावल की मानक किस्मों के संकतिक मूल्यों में बढ़ोतरी की दिशा में संशोधन किया गया है। यह मूल्य धान के मामले में 52.50 रुपए से बढ़ाकर 53 रुपये और चावल का 84.75 रुपए से बढ़ाकर 85.50 रुपये कर दिया गया है। चालू वर्ष में मूल्य साह्याय के रूप में खरीदारी 51.00 रुपए पर की जा रही है जबकि पिछले वर्ष में 50.00 रुपए प्रति क्विंटल पर की गयी थी।

चावल की वसूली मूल्य में वृद्धि करने के लिए पंजाब प्रादेशिक चावल विक्रेता संघ की मांग

3149. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री दण्डपाणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब प्रादेशिक चावल विक्रेता संघ ने केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को यह चेतावनी दी है कि यदि चावल के वसूली मूल्य में 5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तुरन्त ही वृद्धि न की गई तो वे धान की कुटाई करना बंद कर देंगे;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने भी चावल के वसूली मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । 1970-71 मौसम में मानक किस्म के धान का मूल्य 1 रुपए तक बढ़ाने के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आये आर एस-09 ट्रैक्टरों के बारे में शिकायतें ।

3150. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक द्वारा सप्लाई कि ये गये आर एस-09 ट्रेक्टरों का उपयोग करने वाले किसानों की ओर से, राज्य-वार कुल कितनीं शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या 100 ट्रैक्टरों में से तमिलनाडु राज्य कृषि-उद्योग निगम ने केवल 12 ट्रैक्टर ही बेचे हैं तथा शेष 88 को वह केन्द्र सरकार को लौटाना चाहता है क्योकि वे बिकते नहीं है तथा जिन कुछ लोगों ने खरीदे हैं वे भी उन्हें वापस करना चाहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तमिलनाडु तथा राजस्थान राजकीय कृषि-उद्योग निगमों ने आर एस-09 ट्रैक्टरो के बारे में क्रमश: 40 और 113 शिकायतें प्राप्त की हैं । लेकिन गुजरात निगम ने इन ट्रैक्टरों पर 1400 मरम्मत कार्य किये हैं । अन्य राजकीय कृषि उद्योग निगम अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, पंजाब तथा मैसूर से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के आर एस-09 ट्रैक्टर आनेर्स एसोसिएशन के अभ्यावेदनों के अतिरिक्त, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) द्वारा भी किसानों से सीधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, जो निम्न प्रकार हैं :—

आन्ध्र प्रदेश	30
पंजाब	11
उत्तर प्रदेश	1
राजस्थान	1

(ख) तमिलनाडु राजकीय कृषि-उद्योग निगम ने सूचित किया है कि अब तक इसने 13 आर

एस-09 ट्रैक्टर बेचे हैं और शेष 87 ट्रैक्टर किसानों के विपरीत प्रभाव के कारण बिके नहीं है। एक व्यक्ति ने रुपया वापिस मांगा है और अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसा करने की संभावना है।

(ग) यह मामला जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रतिनिधि मंडल तथा राजकीय व्यापार निगम के साथ उठाया गया। किसानों को बेचे गए तथा राजकीय कृषि-उद्योग निगमों द्वारा भंडार में रखे गए सब ट्रेक्टरों में दोषयुक्त पुर्जों को नए सुधरे हुए पुर्जों से बिना लागत के बदलना जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के सम्भरणकर्ताओं ने स्वीकार किया है। उन्होंने उचित रूप से वारन्टी अवधि को बढ़ाना भी स्वीकृत किया हैं। भारतीय परिस्थितियों के लिए इन ट्रैक्टरों की समस्त उपयुक्तता के मूल्यांकन की दृष्टि से 5 सुधारे गए ट्रैक्टरों विभिन्न स्थानों पर पहले ही क्षेत्र परिक्षण किए जा रहे हैं। जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के सम्भरणकर्ता, राजकीय कृषि-उद्योग निगमों से मांग करने पर शीघ्र सप्लाई करने के लिए अतिरिक्त पुर्जों तथा नये सुधारे हुए पुर्जो के तीन हवाई जहाज भी लाए है। उन्होंने अपने तकनीसियनों के दल में 15 अतिरिक्त सुयोग्य व्यक्तियों को भी बढ़ाया है। इस प्रकार तकनीसियनों की कुल संख्या लगभग 30 तक हो गये। इसके अतिरिक्त, आशोधन की प्रक्रिया को शीघ्र करने की दृष्टि से सम्बन्धित कृषि उद्योग निगमों की स्वीकृति से भारतीय तकनीसियनों की संख्या नियुक्त की जा रही है। आशा है कि किसानों के पास के काफी ट्रैक्टर दिसम्बर, 1970 तक सुधारे जायेंगे। इन मशीनों के कार्य-निष्पादन की जांच के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई है।

मोहनपुर सहकारी चीनी मिलों को हुई हानि

3151. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहनपुर सहकारी चीनी मिलों को वर्ष 1969-70 के दौरान 12 लाख रुपये की हानि हुई थी तथा उनके पास 4 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी का भण्डार बेकार पड़ा है;

(ख) क्या इन मिलों ने 90 लाख रुपये के ऋण पर ब्याज के रूप में औद्योगिक वित्त निगम को 32 लाख रुपये तथा 20 लाख रुपए के ऋण पर ब्याज के रूप में भारतीय पुनर्वित्त निगम को 6 लाख रुपए की अदायगी की है;

(ग) क्या तमिलनाडु के चीनी मिल मालिकों ने इस संकट के निवारणार्थ शीघ्र ही उपाय करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) तमिलनाडु के चीनी के कारखानों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तमिलनाडु में सेलम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मोहनपुर के 30 जून, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की अभी लेखा-परीक्षा होनी रहती है। राज्य सरकार ने वर्ष 1969-70 के लिए इस शुगर फेक्टरी की हानि का अस्थायी अनुमान 12.35 लाख रुपए लगाया है। 15

नवम्बर, 1970 को इस सहकारी समिति के पास चीनी का जो स्टाक था उसका अनुमानित मूल्य 1.31 करोड़ रु० था ।

(ख) इस सहकारी समिति ने 27.2.64 से 20.6.70 तक की अवधि के लिए औद्योगिक वित्त निगम को 32·65 लाख रु० के कुल ब्याज का और 5.3.64 से 30.6.70 तक की अवधि के लिए पुनर्वित निगम को 5.95 लाख रु० के ब्याज का भुगतान किया है ।

(ग) साऊथ इण्डिया शुगर मिल्स एसोशिएशन, तमिलनाडु शाखा ने भारत सरकार को वर्तमान आधिक्य को कम करने हेतु उपाय करने के लिए एक अभ्यावेदन भेजा है ।

(घ) देश में कारखानों के पास पड़े अधिक माल से उत्पन्न हुई स्थिति का निराकरण करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं :—

(1) राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे उन शहरी क्षेत्रों में चीनी वितरण के मानकों को बढ़ाएं जहां कि वे कम हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कार्य को उदार बनाएं :

(2) राज्यों को घरेलू उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए लेवी चीनी के मासिक यथांश 1968-69 के 17.32 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1969-70 में 28.18 लाख मीटरी टन कर दिए गए है ।

(3) मुक्त बिक्री के लिए दी जाने वाली चीनी की मात्रा 1968-69 के 9.83 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1969-74 में 14.37 लाख मीटरी टन कर दी गई है ;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के उपबन्धों के अन्तर्गत यथासम्भव मात्रा में चीनी का निर्यात करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(5) मुक्त बिक्री वाली चीनी के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगाए गए प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं ।

सुपर बाजार, नई दिल्ली की आई० एन० ए० स्थित शाखा में लगी आग में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारी

3152 . **श्री शशि भूषण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार की आई० एन० ए० शाखा में नवम्बर, 1970 के दौरान आग लगने की घटनाओं में सुपर बाजार के कुछ कर्मचारियों का भी हाथ पाया गया है और यदि हां, तो उनके नाम तथा उनसे संबंधित अन्य ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार हैं ; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया): (क) दिल्ली पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है । पुलिस ने जांच के सम्बन्ध में अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, सुपर बाजार के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की है । जांच के परिणाम अभी तक ज्ञात नहीं हुए हैं और इसलिए इस अवस्था में यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या आग लगने की घटनाओं में किसी कर्मचारी का हाथ था ।

(ख) सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं, जिनमें अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति, अचानक जांच, आग बुझाने के उपकरणों का समय-समय पर परीक्षण, तथा आग बुझाने की ड्रिल में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना भी सम्मिलित हैं । व्यापारिक माल, फर्नीचर और फिक्चर्स का अग्नि बीमा किया हुआ है।

केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक भूमि का रखा जाना

3153. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों के पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख). लगभग सभी राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा के विषय में कानून बना दिए हैं । निर्धारित सीमा से अधिक अधिशेष भूमि पर राज्य का अधिकार होता है । भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्थायें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम-बंगाल और दिल्ली में लागू कर दी गई है और अधिशेष भूमि के बारे में निश्चय करने तथा उसे कब्जे में लेने के लिए और कदम उठाये जा रहे हैं । जहां लागू कर दिया गया है वहां कोई भी व्यक्ति चाहे वह केन्द्रीय मन्त्री हो या कोई अन्य व्यक्ति हो निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि नहीं रख सकता और निहित भूमि को कब्जे में लेने के लिए कानूनी उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

उन केन्द्रीय मन्त्रियों के सम्बन्ध में जिनके पास निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है और जो अधिकतम सीमा के विधान से प्रभावित होंगे, जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती का मिट्टी पर प्रभाव

3154. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली फसलें बोई गई थी, उनकी मिट्टी में लवणों, खनिजों, जस्ते तथा तांबे की कमी हो रही है;

(ख) क्या उक्त सारे मामले की जांच करने तथा उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों का कोई केन्द्रीय दल नियुक्त किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस कमी से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) अधिक उत्पादनशील किस्मों द्वारा देशीय किस्मों की तुलना में मुद्रा से वनस्पति पौषक तत्वों की अधिक खपत होने की सम्भावना है। इसको मानते हुए उचित मात्रा में उर्वरक डालने की सिफारिश की गई है।

विस्तृत पैमाने पर मुद्रा परीक्षण करने से एकत्र हुए आंकड़ों से पता चला है कि हमारी काश्त भूमि में साधारणतया नाईट्रोजन की कमी है। कई मृदाओं में फासफोरिक एसिड और पोटाश की कमी है। चावल और गेंहूं उत्पादक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मृदा में जिंक माईक्रोन्यूट्रीशन तत्वों की कमी और कुछ मृदाओं में कीपर की कमी बताई गई है। इन कमियों को पूरा करने के लिए मृदा परीक्षणों के आधार पर उर्वरक डालने की सिफारिश की गई है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मणिपुर विद्युत कर्मचारी संघ को मान्यता देना

3155. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने मणिपुर विद्युत कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त मान्यता प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ करार

3156. **श्री ए० श्रीधरन** :

श्री दण्डपाणि :

श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) ने संयुक्त राष्ट्र के 'भूख से मुक्ति दिलाओ' अभियान के अन्तर्गत नई सहायता परियोजनाओं के लिए हाल में भारत से चार करार किये हैं ; और

(ख) सहायता का प्रयोजन तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4472/70]

नयी मिलों की स्थापना

3157. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कितनी नई चावल मिलें, मत्स्य चूर्ण उत्पादन मिलें तथा वनस्पति तेल मिलें स्थापित की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : मत्स्य चूर्ण तैयार करने वाली कोई मिल स्थापित नहीं की गयी है। चावल मिलों और वनस्पति तेल मिलों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

समृद्ध किसानों की ओर सहकारी बैंक की बकाया राशि

3158. **श्री बे० कु० दास चौधरी :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि देश में समृद्ध किसानों ने सहकारी बैंकों को अधिक राशि देनी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन किसानों से ऋण वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अखिल-भारतीय ग्राम ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (1961-62) से पता चलता है कि जून, 1962 में, सहकारी समितियों के बकाया ऋणों का 55 प्रतिशत भाग दो अधिकतम परिसम्पत्ति वाले दलों के नाम था जो समस्त ग्रामीण परिवारों में केवल 13.3 प्रतिशत थे। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से भी पता चला था कि सहकारी ऋण का केवल 15 प्रतिशत भाग 5 एकड़ अथवा उससे कम वाले, 39 प्रतिशत भाग 5-10 एकड़ वाले तथा 46 प्रतिशत भाग उससे भी अधिक वाले भूमिधारियों को मिला है। 30.6.1969 को केन्दीय बैंक स्तर पर अतिदेय कुल बकाया ऋणों के 26 प्रतिशत थे। 24 अक्तूबर, 1970 को सह-

कारिता के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में अतिदेयों के प्रश्न पर विचार किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ निम्न निर्णय लिए गए थे :—

(1) अतिदेयों को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(2) बकायादारों को सहकारी संस्थाओं अथवा अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं के चुनाव के लिए खड़े होने अयोग्य ठहराया जाना चाहिए, जबकि बकायादार समितियों के नामितों को उच्च स्तर के संगठनों के प्रबन्ध मंडलों में पद ग्रहण करने से वंचित किया जाना चाहिए।

(3) बहु सस्योत्पादन जैसी नयी बातों के सन्दर्भ में इस समय ऋण देने तथा वापसी-अदायगी की अवधियां निश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले मानकों का पुनर्विलोकन किया जाए, ताकि अतिदेयों का सही स्तर निश्चित करने के लिए एक उचित मानदण्ड अपनाया जा सके।

राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है कि सहकारी समितियां अपनी ऋण देने की नीतियों तथा प्रक्रियाओं को पुनरीक्षित करें और उन्हें पुनर्गठित करें ताकि छोटे किसानों को अधिक मात्रा में धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और विशेष रूप से यह सुनिश्चत किया जा सके कि :

(1) यदि समिति विशेष को उपलब्ध संसाधन उसके अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो वह यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगी कि छोटे कृषकों की आवश्यकताएं प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त रूप में पूरी की जाएं।

(2) बड़े कृषकों, जो ऋणों की अदायगी कम अवधि में कर सकते हैं, को निवेश के लिए मध्य-कालीन ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि भूमि विकास बैंकों से दीर्घ-कालीन ऋण की अधिक मात्रा छोटे किसानों को सुलभ की जा सके।

(3) चतुर्थ योजना की राज्य योजना स्कीमों में सहकारी बैंकों तथा समितियों को विशेष अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत उनके लिए छोटे किसानों को उत्पादन प्रयोजनों के लिए अधिक मात्रा में ऋण देने के प्रलोभन के तौर पर पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की जाती है।

गुजरात राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

3159. **श्री देवराव पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं। यह मामला गुजरात सरकार के विचाराधीन है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालयों में कार्य कर रहे डाक्टरों की मांगें

3160. **श्री रा० बरुआ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालयों में कार्य करने वाले डाक्टर अपने काम की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं तथा और अधिक लाभों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है तथा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी देख-रेख की व्यवस्था दिल्ली के संघीय क्षेत्र को छोड़कर, राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है। दिल्ली के संघीय क्षेत्र में डाक्टरी देख-रेख की व्यवस्था, सीधे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी, राज्य बीमा निगम द्वारा की जाती है। निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) दिल्ली के संघीय क्षेत्र को छोड़कर, किसी भी राज्य से औषधालयों में काम करने वाले डाक्टरों में असंतोष की कोई शिकायत कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा अधिकारी संघ ने तारीख 15 सितम्बर, 1970 को 27-9-70 से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया ।

(ख) चिकित्सा अधिकारियों की एसोसियेशन के नोटिस में हड़ताल के लिए निम्नलिखित कारण दिए :—

(i) दिल्ली में तमाम कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में थोड़े-थोड़े समय की पारियों की प्रणाली का लागू किया जाना ।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा अधिकारियों की मान्यता न प्राप्त

एसोसियेशन के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श करने से इन्कार।

(iii) एसोसियेशन के अध्यक्ष को, जिनको 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था, सताया जाना।

(iv) एसोसियेशन के पदाधिकारियों को, जिनका थोड़े-थोड़े समय के पारी वाले औषधालयों में स्थानान्तरण कर दिया गया था, सताया जाना।

(v) एसोसियेशन के अध्यक्ष से क्वाटर खाली करने के लिए कहना।

(ग) उपर्युक्त विषयों पर चिकित्सा अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ 18 और 19 सितम्बर को विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के परिणाम-स्वरूप, एसोसियेशन के साथ एक समझौता हो गया और हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया गया।

Refugees from East Pakistan settled in Madhya Pradesh

3161. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees displaced from East Pakistan during the last four months rehabilitated in the refugee camps in Madhya Pradesh; and

(b) the amount of financial assistane given to the State during the same period for solving the housing problem ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) From 1-8-1970 to 20-11-1970, 4,066 persons have been dispersed to Camps run by the Government of Madhya Pradesh. The above figure does not include the persons sent to Centrally administered Camps at Mana and to Camps in the Madhya Pradesh part of the Dandakaranya Project area.

(b) The question of giving any financial assistance to the State Government for solving housing problem for East Pakistan refugees living in Camps run by them does not arise, as the entire expenditure on renovation of barracks and purchase of tents etc. for accommodating these refugees while in Relief Camps, is being borne entirely by the Government of India.

Employees State Insurance Scheme in Madhya Pradesh

3162. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of places in Madhya Pradesh where Employees State Insurance Scheme is being implemented along with the names of such places and the number of employees insured under it and the number of Medical Dispensaries housed in the employees quarters at these places;

(b) whether Governm nt propose to introduce the said scheme at several other places in Madhya Pradesh during the coming years; and

(c) if so, the details thereof, the number of employees likely to be benefited therefrom, the number of new medical dispensaries tobe opened and the names of the proposed places ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The Employees, State Insurance Corportion has furnished the following information:—

(a) The Employee's State Insurance Scheme is expected tobe implemented in two places, Kumhari and Amlai in January, 1971. The number of employees in those places is 1200 and 2700 respectively.

As arrangements for medical care have not so far been completed by the State Government, it is not known where the dispensaries will be located.

(b). and (c) The State Government proposes to implement the Employec's State Insurance Scheme in the following areas during the year 1971-72:—

Sl. No.	Name of area	No. of employees
1.	Khandwa	2000
2.	Itarsi	800
3.	Korba	1300
4.	Niwar	600

Proposals for opening of new dispensaries for these areas have not yet been received from the State Government.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन डाक्टरों के स्थानान्तरण तथा नियुक्तियां सम्बन्धी नियम

3163. **श्री तेन्नेटी विश्वनाथम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन कार्य करने वाले डाक्टरों के स्थानान्तरण तथा नियुक्तियों सम्बन्धी नियम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी राज्य बीमा योजना, दिल्ली, के अधीन कार्य कर रहे सभी डाक्टरों को दिल्ली में कुछ निश्चित वर्षों की सेवा के पश्चात स्थानान्तरित कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौनसे मामले है जहां इन नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश अधिकारी दिल्ली में, और कुछ दिल्ली से बाहर के स्थानों पर, नियुक्त हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम से अन्य केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के पदों पर उनका स्थानान्तरण, स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार विनियमित होता है, परन्तु, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत दिल्ली से बाहर स्थित स्थानों में उनका स्थानांतरण, जहां जनता के हित में या सामान्य ड्यूटी अधिकारी ग्रेड–I से सामान्य ड्यूटी अधिकारी, ग्रेड II के पदों पर पदोन्नति होने पर आवश्यक है, निगम द्वारा किया जाता है।

(ख) कोई विशिष्ट समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Irrigation of uneven Slopy land by Fountains :

3164. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the progress made so far in popularising the system of irrigating the un-even slopy land by fountains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : In order to popularise the irrigation of uneven sloping land by means of sprinklers, demonstrations are being conducted on the two Regional Soil and Water Management Pilot Projects at Patiala and Bellary in Punjab and Mysore States respectively with the technical collaboration of the U S. A. I. D. Similar pemonstrations are also being conucted in Indo-German Project at Mandi in Himachal Pradesh.

The sprinkler irrigation system is specially adopted for sandy soils having rapid intake rate. Good wheat crop has been raised on sand dunes in the Patiala Pilot Project with the help of sprinkler irrigation and the farmers in that area appear to be very enthusiastitic. As the system involves high initial investment as well as fairly high recurring cost, it is necessary to convince the farmers of its utility and economics before any large scale adoption of this method can take place.

Assistance for Expansion of Small Irrigation by Banks

3165. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the assistance provided to the individuals by the banks for expansion of small irrigationduring the past year and the assistance likely to be given during the curren year; and

(b) whether efforts are being made to persuade the banks to grant more loans for improving irrigation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) It is estimated that about Rs. 115.00 crores would be advanced during the year 1969-70 by institutional sources like Land Development

Banks, Agricultural Refinance Corporation, Central Cooperative Banks; Commercial Banks, etc. to the cultivators for minor irrigation works like dug-wells, improvement of wells, installation of pumpsets and tubewells. For the curreut year, it is estimated that an amount of about Rs, 120 crores would be advanced by the Banks for this purpose.

(b) Consistent efforts are being made to mobilise institutional finances on an increasing scale, for minor irrigation works in the States.

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संधि से भारत द्वारा अपना नाम वापस लिया जाना

3166. **श्री केदारनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संधि से अपना नाम वापिस लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बड़ी मात्रा में चीनी फालतू होने की दृष्टि से चीनी के मूल्यों में कमी करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । मुख्यतः घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए लेवी के रूप में अधिग्रहण की गई चीनी का मूल्य टैरिफ कमीशन द्वारा अभिस्तावित और सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसूचियों और क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित किया जाता है । सरकार खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का मूल्य निर्धारित नहीं करती है ।

दिल्ली में समाज सदनों में टेलीविजन के कार्यक्रम दिखाने का शुल्क

3168. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विभिन्न समाज सदनों में टेलीविजन के कार्यक्रमों के प्रदर्शन की सुविधायें सभी के लिए है तथा इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि आई० ए० आर० आई० के अधिकारी आई० ए० आर० आई० समाज सदन में टेलीविज़न कार्यक्रम दिखाने के लिए जनता से शुल्क लेते हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) :

(क) जी, हां। सामुदायिक केन्द्रों में जहां सरकार ने टेलीविजन सैट दिये हैं।

(ख) आई० ए० आर० आई० के समाज सदन के लिए सरकार ने कोई टेलीविजन सैट नहीं दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल को खराब किस्म के चावल की सप्लाई

3169. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : की

(क) क्या प्रधान मंत्री को तेलीचेरी तालुक की उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों से, जो कि गत कुछ सप्ताहों से कन्नौर जिले को चावल की सप्लाई कर रहे हैं, न खाये जा सकने वाले चावल काएक पार्सल प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या न खाये जा सकने वाले चावल के पार्सल के साथ कोई ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार ने इस किस्म के चावल के सप्लाई करने के बारे में गम्भीर रवैया अपनाया है तथा सप्लाई को वापिस ले लेने के लिये कोई अनुदेश दिये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान तेलीचेरी में उचित मूल्य के दुकानों से दिये गये चावल के नमुने का एक पार्सल प्रधान मंत्री को तेलीचेरी तालुक की उचित मूल्य की दुकान एजेन्टस एसोसिऐशन से उनके 29-10-1970 के पत्र के साथ प्राप्त हुआ था। पत्र में यह शिकायत की गई थी कि उक्त चावल बहुत ही घटिया किस्म का था जो कि मानव उपभोग के अयोग्य था और जिस मूल्य पर बेचा जा रहा था उतनी कीमत का नहीं था।

(ग) और (घ) . इस शिकायत की जांच-पड़ताल की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

मछली पकड़ने वाली नावों के लिए कैंगनोर बंदरगाह के चैनल को गहरा करन।

3170. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन तटवर्ती क्षेत्र के विभिन्न भागों के मछुओं ने सितम्बर, 1970 में जिला कलक्टरों के समक्ष यह मांग करते हुये प्रदर्शन किया था कि कैंगानोर

बन्दरगाह के चैनल को गहरा करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाये ताकि वहां मछली पकड़ने वाली नावें चलाई जा सकें; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) (क) : जी हां

(ख) राज्य सरकार चैनल में से कीचड़ आदि निकालने के लिये एक "ड्रैजर" प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही है। एक सुरक्षित चैनल (नौका सहित) की सीमा निश्चित करने हेतु अन्तरिम कदम उठाए जा रहे हैं। ताकि यन्त्रीकृत नौकाएं चैनल का उपयोग कर सकें।

भारत-स्विट्जरलैंड परियोजना मेहटू पैट्टी (केरल) के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3171. **श्री के० एम० अब्राहम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-स्विटजरलैंड की परियोजना मट्टूपैट्टी, केरल के श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में हाल ही में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है !

(ग) श्रमिको की मागें क्या थीं; और

(घ) श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सूचना प्राप्त हुई है कि श्रमिकों ने 12 अक्तूबर, 1970 से 27 अक्तूबर, 1970 तक हड़ताल की थी।

(ग) कर्मचारियों की मागें निम्न प्रकार थीं :—

(i) समस्त दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों को केरल सरकार द्वारा नियमित सेवा में लिया जाना चाहिए और

(ii) अंशदायी भविष्य निधि योजना श्रमिकों पर भी लागू की जानी चाहिए।

(घ) यह राज्य सरकार की परियोजना है और केरल सरकार मांगों पर विचार कर रही है।

Lease of Land to Akhil Bhartiya Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi.

3172. **Shri P. L. Barupal.** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to States :

(a) Whether his Ministry had allotted on lease 2 acres of land in Lajpat Nagar to 'Akhil Bharatiya Netra Sangh', 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi for opening an eye hospital; and.

(b) if so, the lay out of the said plot of land including its length and breadth according to the records available with the Ministry ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D Sanjivayya) : (a) Department of Rehabilitation had allotted 1.56 acres and not 2 acres of land in Lajpat Nagar, New Delhi to the 'Akhil Bhartiya Netra Sudhar Sangh' in November, 1953, for the construction of an eye hospital.

(b) According to the records of this Department, the plot is an irregular one and is situated in 2-F Lajpatnagar. It has got 8 sides and the dimensions of different sides of the plot are 53 ft., 257 ft. 90 ft., 74 ft., 240 ft., 80 ft., 89 ft.-9 inches and 259 ft.

श्रम-प्रधान फार्म योजना

3173. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम-प्रधान फार्म योजना पर और अधिक ध्यान देने की अपेक्षणीयता पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम सामने आये ; और

(घ) इस बारे में और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) . चौथी योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित श्रम-प्रधान फार्म योजनायें शुरू की जा रही हैं :—

(i) **बारानी भूमि कृषि विकास की समेकित योजना** : इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य उपअनुसंधान केन्द्रों के आसपास 24 मार्गदर्शी परियोजनाओं को स्थापित करने का विचार है। इनमें भूमि संरक्षण, भूमि विकास तथा जल उपयोग सम्बन्धी कार्य सम्मिलित हैं, जो सभी श्रम प्रधान हैं। सन 1970-71 के दौरान केवल 9 परियोजनायें शुरू की जारही हैं। शेष 15 परियोजनायें 1971-72 से शुरू की जायेंगी।

(2) **बहुफसली खेती की मार्गदर्शी ,परियोजनायें** : इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजना की अवधि के शेष तीन वर्षों के दौरान बहुफसली खेती की 51 मार्गदर्शी परियोजनाओं को स्थापित करने का विचार है। विशेषकर छोटे किसानों के सम्बन्ध में प्रति वर्ष प्रति एकड़ क्षेत्र में अधिक फसलों के फलस्वरूप पारिवारिक श्रम तथा बैल शक्ति संसाधनों का पूरा उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त, सघनखेती, भूमि विकास, भूमि को ठीक करने तथा भूमि को समतल करने आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्यक्रम से भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध करेंगे। यह योजना 1971-72 के प्रारम्भ से खेतों में शुरू की जायगी।

(3) **छोटे किसानों की विकास एजेंसी** : चौथी योजना के शेष वर्षों के दौरान 67·5 करोड़

रुपये की कुल लागत के 46 परियोजनाओं की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 38 परियोजनायें पहले ही स्वीकृति की जा चुकी हैं।

(4) **सीमांत कृषक तथा भूमिहीन मजदूर विषयक योजना** : चौथी योजना के दौरान 47.5 करोड़ रुपये की लागत से 40 परियोजनायें तैयार की गई है, जिनमें से 15 परियोजनाओं के लिये पहले ही पहले स्वीकृति दे दी गई है। ये सब परियोजनायें श्रम-प्रधान है और इनसे उत्पादन में वृद्धि होगी।

कीट नियत्रंण के लिये नई प्रक्रिया

3174. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि में कीट नियन्त्रण की कौन सी नई प्रक्रियें लागू की गई हैं ;

(ख) ये प्रक्रियायें अपने उद्देश्य में कहां तक सफल रही हैं ; और

(ग) उसके परिणाम स्वरूप अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पौद रक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रगतिशील अनुसंधानों के फलस्वरूप समग्ररूप से अब कीट नियंत्रण को लागू किया जा रहा है। मोटे तौर पर इसमें पद्धतियों के दो सैट होते हैं। पहले किसान को कीटनाशी, कृषिनाशी औषधियों आदि के प्रयोग पर ही निर्भर होने की अपेक्षा अपेक्षित समय पर कृषि, यंत्रीकृत, जैविकीय तथा कीट नियंत्रण की रासायनिक पद्धतियों को एक साथ प्रयोग में लाने की सलाह दी जाती है। दूसरे, सामान्य रूप से कृषि के मामले में उसे अपनी फसलों को हानि से बचाने के लिए पद्धतियों के पैकेज का प्रयोग करना चाहिए अर्थात् उसके सामने पूरे मौसम का पौद रक्षा कार्यक्रम होना चाहिए जो बीज तथा मृदा के उपचार से लेकर जमा किए जाने वाले अनाज के उपचार तक होना चाहिए।

इस नई पद्धति का अनुसरण करते हुए कीटरोग ग्रस्त फसलों के छिड़काव पर बल न देकर रोग निशेधक छिड़कावों की अपेक्षित संख्या पर बल दिया जाता है क्योंकि इससे हानि नहीं हो सकेगी। जंहा बड़े क्षेत्र में महामारी फैल जाती है या बड़े क्षेत्रों में स्थानिक मारी के रूप में कीट रोग होने का पता चलता है और जहां थोड़े समय में बड़े पैमाने के भू-कार्य करना सम्भव नहीं है वहां हवाई जहाज से कीटनाशक औषधियों आदि के छिड़काव की सिफारिश की जाती है। भारत सरकार महामारी वाले क्षेत्रों में कीटनाशक औषधियों की लागत का 50 प्रतिशत खर्च वहन करती है और स्थानिक मारी वाले क्षेत्रों में 7 रुपये प्रति एकड़ (अधिकतम सीमा) तक हवाई कार्यों पर हुए खर्च को पूर्णतया वहन करती है। इस वर्ष स्थानिक मारी क्षेत्र योजना लागू कर दी गई है और अब तक राज्य सरकारों को 12.89 लाख एकड़ भूमि पर हवाई कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

छिड़काव पद्धतियों के विकास में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर ली गई है। अधिक औषधि का छिड़काव करने वाली पद्धती के बजाए जिससे काफी कीटनाशक औषधि बेकार जाती थी, कीट नाशक औषधियों के सारकृत तरल द्रव्यों के छिड़काव की मात्रा को बहुत कम करके उपचार किया जा

रहा है और इस प्रकार समय, मेहनत तथा सामग्री की बचत की जाती है।

(ख) कीटनाशक औषधियों की खपत में प्रगतिशील वृद्धि (1959-60 में 569 मीटरी टनों से 1968-69 में 22,000 मीटरी टन), कम मात्रा तथा अत्यधिक न्यून मात्रा छिड़काव पद्धतियों की लोकप्रियता (इस पद्धति द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्र में 1959-60 में 24,814 एकड़ से 1968-69 में 15,21,142 एकड़ तक वृद्धि हुई है) और हवाई छिड़काव के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में (1959-60 में 24,814 एकड़ से 1969-70 में 11,35,000 एकड़ तक कि वृद्धि से पता चलता है कि नई पद्धतित था तकनीकियां लोक-प्रिय तथा प्रभावशाली हैं।

(ग) यह अनुमान लगाना कठिन है कि केवल पौद रक्षा उपायों द्वारा उपज में कितनी वृद्धि हुई किन्तु सामान्यरूप से यह कहा जा सकता है कि कीटों तथा रोगों के आक्रमण से पूर्णतया सुरक्षित फसल में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक उपज में वृद्धि हुई है।

Application of Employees Provident Fund Scheme to V.S.L. Employees in Himachal Pradesh

3175. **Shri Hukam Chand Kachwai :** will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to State :

(a) whether the Employees Provident Fund Scheme has not so for been made applicable to the Vyas Satluj Link Project employees in Himachal Pradesh;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken by Governmen. to make this scheme applicable to those employees ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The administration of thf Employees' Provident Fund is the concern of lhe Central Board of Trustees, an autonomous organisation set up under the Employees' Provident Funds Act 1952 and is not the direct concern of the Government of India. The Provident Fund authorities have reported as under :—

(a) to (c). Such of the establishments of the Vyas Satluj Link Project, as have been engaged in any of the scheduled industries cllasses of establishments covered under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and fulfil conditions for coverage have been covered under the said Act. The question of covering other sections of the Project is under examination.

Closure of Metal Box Company Calcutta

3176. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Metal Box Company of Calcutta in West Bengal had been closed down in the month of October, 1970; and

(b) if so, the reasons for its closure and the number of workers rendered jobless ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The information is being collected and would be laid on the Table of the House after it is received.

पंजाब और आंध्र प्रदेश द्वारा केन्द्रीय भंडार के लिए गेहूं और चावल का समाहार

3177. **श्री नारायणन :**

श्री सामिनाथन् :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और पंजाब ने केन्द्रीय भण्डार के लिए चावल और गेहूं खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब के लिए निर्धारित वसूली लक्ष्य में और वृद्धि कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों राज्यों में गेहूं और चावल के वसूली लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भण्डार के लिए कोई अलग से अधिप्राप्ति लक्ष्य में वृद्धि हुई है या नहीं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1969-70 और 1970-71 के खरीफ विपणन मौसम में पंजाब और आंध्र प्रदेश में अधिप्राप्त किए गए चावल और 1970-71 के रबी विपणन मौसम में पंजाब में अधिप्राप्त किए गए गेहूं का ब्यौरा इस प्रकार है—

अनाज	विपणन वर्ष	राज्य	(लाख मीटरी टन में) वास्तव में अधिप्राप्त की गई मात्रा
चावल	1969-70	आंध्र प्रदेश	1.69
,,	,, ,,	पंजाब	3.78
,,	1970-71	आंध्र प्रदेश	0.01 (22-11-70 तक)
,,	,, ,,	पंजाब	1.50 (19-11-70 तक)
गेहूं	1970-71	पंजाब	23.53 (19-11-70 तक)

बिहार के पटना और राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन एक्सचेंज देने में अनियमितता

3178. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में पटना और राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेन्ज में उसी क्रम से टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं जिसमें आवेदकों ने मांग-पत्र पर धन जमा किया था;

(ख) क्या एक व्यक्ति को, जिसने धन जमा किया था, एक महीने से अधिक समय तक कनेक्शन नहीं मिला जबकि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको धन तथा मांग पत्र जमा कराने के एक सप्ताह में ही टेलोफोन लाइन मिल गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस अनियमितता के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख). आम तौर पर डिमांड नोटों की अदायगी के क्रमानुसार टेलीफोन कनेक्शन लगाए जाते हैं परन्तु फिर भी विशेष कारणों से कभी-कभी ऐसा सम्भव नहीं भी होता। वे कारण होते है जैसे कि तकनीकी कठिनाइयां, भूमिगत केबुल डालने या जरूरी लाइन भंडार प्राप्त होने में विलम्ब, कनेक्शन लगाने के लिए लम्बी लाइन खड़ी करना, या डिमांड नोट की रकम अदा की हुई कापी का देर से पहुंचना आदि। पार्टियां जब डिमांड नोट की अदायगी कर देती है तो तुरन्त टेलीफोन कनेक्शन देने की पूरी-पूरी कोशिश की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटना निगम में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत आवेदन-पत्र

3179. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पटना में यह स्पष्ट घोषणा की है कि पटना निगम क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कोई प्रतीक्षा सूची न रहेगी और तथा तभी आवेदनों की आवश्यकता को शीघ्र पूरा किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है जिन्होंने निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा सभी आवेदकों को किस तिथि तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाएंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) जिन व्यक्तियों ने ऊपर (क) में उल्लिखित समय पर आवेदन दिये थे और मांग पत्र भेजे जाने पर भुगतान कर दिया था उन सभी व्यक्तियों को टेलीफोन दे दिए गए हैं। इस समय मांगें प्राप्त होते ही पटना निगम क्षेत्र के भीतर कनेक्शन मंजूर किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटना में टेलीफोन बिलों के न प्राप्त होने की शिकायतें

3180. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन बिलों और स्मरण पत्रों के न प्राप्त होने तथा तदुपरान्त 10 रुपये से भी कम धनराशि का भुगतान न करने पर टेलीफोन कनेक्शन काट दिए जाने के बारे में बहुत-सी शिकायतें की गई हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नवीनतम हिदायतों के अनुसार 25 रुपये से कम के बिलों की गैर अदायगी पर टेलीफोन काटने पर जोर नहीं दिया जाता जब तक कि उपभोक्ता लगातार अदायगी करने में लापरवाही न बरते।

Aims and Objects of Super Bazars in Delhi

3181. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the aims and objects of setting up the Super Bazars in Delhi and the extent to which these have been achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagannath Pahadia) : The Super Bazars in Delhi, like other Cooperative Department Stores in the country, were established with the object of making essential consumer goods available to the public at fair and reasonable prices, and exercising a healthy influence on the retail distributive trade by adopting fair trading practices and modern retailing techniques. These objectives have, by and large, been fulfilled.

Commemorative Stamps to be issued during coming three Years.

3182. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the names of those great men in whose memory

Government propose to issue commemorative postal stamps during the next three years?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): Particulars of the stamps to be issued in the next year viz in 1971, has so far been finalised. The stamps in honour of the following personalities will be issued during 1971.

1. Deenabandhu C.F. Andrews
2. Acharya Narender Dev
3. Guru Ravi Das
4. Ramana Maharishi
5. Raja Ravi Verma
6. Dadasaheb-Phalke
7. Swami Virjanand
8. Sakharam Ganesh Deuskar.

Participation of Small Farmers in Agricultural Programme

3183. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether only big and rich farmers have profited from various agriculture development programmes and the small farmers have reaped no benefits from them at all;

(b) if so, the reasons therfor and;

(c) the steps taken by Government to ensure participation of small farmers in such programmes ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Devlopment and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) to (c). It is true that some of the very small farmers could not reap the full benefits of the Agricultural Development Programmes. Government of India have, therefore, launched two Central Sector schemes e. g. Small Farmers Dev. Agencies (46) and Marginal Farmers and Agri. Labourers agencies (40) in 86 in selected districts of this country, to help the very small farmers, marginal farmers and agricultural labourers to obtain adequate credit facilities and other services to enable them to avail the benefits of advanced agricultural technology in order to raise their income through mixed and improved farming.

छेहरटा (अमृतसर) स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के काम के बारे में शिकायत

3184. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छेहरटा (अमृतसर) स्थित टेलीफोन एक्सचेंज सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है और टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों की ओर उचित ध्यान नही दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को एक विधान सभा सदस्य (पंजाब) से कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) छेहरटा (अमृतसर) एक्सचेंज संतोषजनक कार्य कर रही है। जब भी कोई शिकायतें आती हैं उन पर तुरंत कार्यवाही की जाती है।

(ख) श्री सत्यपाल डांग की संचार मंत्री को 28 सितम्बर, 1970 की लिखी एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस बारे में एक पत्र 21-9-70 के ट्रिब्यून में भी छपा है।

(ग) यह शिकायत टेलीफोन नं 331 के बारे में हैं। इस टेलीफोन की विस्तृत जांच की गई है। भीतरी उपस्कर या बाहरी यंत्र में कोई विशेष खराबी नहीं पायी गयी। अलबत्ता, ऐसा दिखाई दिया कि डायलटोन देर से आती हे। यह इस कारण है कि व्यस्त घंटों में कालों की संख्या ज्यादा होती है।

केरल में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

3185. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में जांच करने हेतु एक समिति की नियुक्ति की है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यह समिति किन मुख्य-मुख्य बातों पर विचार करेगी; और

(घ) यह समिति प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने केरल में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में कोई समिति नियुक्त नहीं की है। यह विषय राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में हैं। राज्य सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्ण योजना बनाने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। उसने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है और परामर्श मांगने पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी अपनी टिप्पणी तथा सलाह दी थी। पता चला है कि निकट भविष्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार आगे कार्यवाही कर रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं होते।

भूमि सुधार

3186. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां भूमि सुधार कानून या तो बनाए ही नहीं गये हैं अथवा उन्हें समुचित ढंग से लागू नहीं किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों में सीमा से अधिक भूमि रखने वाले भू-स्वामियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे भू-स्वामियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) सीमा से अधिक भूमि रखने के लिए इन भू-स्वामियों की कार्य-पद्धति क्या है;

(ङ.) क्या कृषि सुधार योजनाओं आदि के छोटे किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है; और

(च) यदि हां, तो छोटे किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) प्रत्येक राज्य को कुछ न कुछ भूमि सुधार उपाय प्रभावी रूप से लागू करने का श्रेय प्राप्त है किन्तु, फिर भी, कुछ उपायों के बारे में कानून और उनके कार्यान्वियन में काफी अन्तर है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के भूमि सुधार भाग में विभिन्न राज्यों में अपनाए गए विभिन्न भूमि सुधार उपायों की प्रगति का पुनरीक्षण किया गया है।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों में उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में बनाए गए कानूनों के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति की उच्चतम सीमा का पता नहीं लगा लिया जाता तब तक यह बताना संभव नहीं है कि कितने व्यक्तियों के पास उच्चतम सीमा से अधिक भूमि है। अधिशेष भूमि घोषित करने तथा उच्चतम सीमा अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उसे अधिकार में लेने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

(घ) निहित अधिशेष भूमि की अपवंचना के सम्बन्ध में किए एक अध्ययन के आधार पर बड़े-बड़े जमीदारों द्वारा अपनाए गए उपाय निम्न प्रकार है :—

(1) भूमिपति जानबूझकर इस तथ्य को छिपाता है कि उसके पास उच्चतम सीमा से अधिक भूमि है;

(2) वह भूमि का स्थानान्तरण अपने सम्बन्धियों तथा अन्य व्यक्तियों को कर देता है, किन्तु बेनामी के माध्यम से ऐसी भूमि को अपने पास ही रखता है;

(3) वह पूर्व तिथि में किए गए पट्टों तथा अमलनामों द्वारा भूमि का अन्तरण अपनी स्त्री, पुत्रों तथा पुत्रियों के नाम पर, विशेषकर उन क्षेत्रों में कर देते हैं, जहां कि उच्चतम सीमा एक व्यक्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है न कि एक परिवार के समस्त सदस्यों के अधिकार में विद्यमान औसत भूमि के आधार पर ।

(4) वह कृषि भूमि को उद्यान अथवा अन्य किसी श्रेणी की भूमि, जिन्हें कि उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त है वर्गीकृत करा लेते हैं ।

(5) जहां उच्चतम सीमा भूमि की श्रेणी पर आधारित है वहां वह श्रेष्ठ भूमि को निम्न कोटी की भूमि में वर्गीकृत करा लेते हैं ।

राज्य सरकारें अपवंचना की ऐसी विधियों से सामान्यत: परिचित हैं और उन्हें रोकने के लिये वे निरोधक कदम भी उठाती हैं ।

(ङ) और (च) . कुछ सीमा तक छोटे भू-स्वामी विशेषकर ऋण तथा अन्य आदानों की प्राप्ति में होने वाली कठिनाइयों के कारण तकनीकी विकास का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं । अत: चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चुनिंदा जिलों में विशिष्ट परियोजनाओं के रूप में एक विशेष योजना की सिफारिश की गई है । वित्त की निरन्तर व्यवस्था तथा इन विस्तृत परियोजनाओं को एक सामान्य आधार प्रदान करने की आवश्यकता के फलस्वरूप योजना को प्लान के केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है । 150 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष वित्तीय प्लान प्रावधान के अतिरिक्त छोटे तथा उप-सीमान्त कृषकों की योजना के लिये कुल 300 करोड़ रुपये की राशि तक की संस्थात्मक सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा पिलानी विज्ञान संस्थान के लिए टेलीविजन केन्द्र

3187. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, तथा पिलानी विज्ञान संस्थान को अपने टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) से (ग). इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, कानपुर का आवेदन पत्र सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा । जहां तक बिड़ला इन्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड साईंस, पिलानी का सम्बन्ध है, इसकी प्रार्थना पर तभी विचार हो सकेगा जबकि इससे लाइसेंस

प्रदान करने के लिए औपचारिक आवेदन-पत्र प्राप्त हो। अभी इक इस इन्सटीट्यूट ने आवेदन नहीं किया है।

पोस्टमास्टर जनरलों का सम्मेलन

3188. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व हुये पोस्ट मास्टर जनरलों के सम्मेलन में डाक तथा तार विभाग विभाग की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये कुछ सुझाव दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया गया। देखिए संख्या एल० टी०—4473/70]

उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में चूहों द्वारा फसलों को हानि

3189. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में चूहे फसलों को हानि पहुंचा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चूहों को समाप्त करने तथा फसलों के बचाव हेतु कोई योजना तैयार की हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चूहों की संख्या कम करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर मौसमी नियंत्रण अभियानों की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बुलन्दशहर जिले के लिये कोई विशेष नियंत्रण योजना तैयार नहीं की गई हैं। सन् 1968-69 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में चूहा नियंत्रण अभियानों की व्यवस्था करने के लिये 3.6 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। सन् 1969-70 के दौरान लगभग 4.18 लाख एकड़ भूमि में मूषक नियंत्रण के लिए उपचार किया गया था।

अप्रैल, 1969 से केन्द्रीय प्रायोजित मूषक नियंत्रण योजना राज्य क्षेत्र के सुपुर्द कर दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने सन् 1970-71 के दौरान 3.6 लाख रुपये की लागत से मूषक नियंत्रण की योजना के अन्तर्गत 18 लाख एकड़ क्षेत्र लाने की सिफारिश की है और इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बुलन्दशहर जिला विस्तृत रूप से आवृत किया जा सकता है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को घटिया बीज देने के कारण क्षतिपूर्ति देना

3191. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को देखते हुए कि राष्ट्रीय बीज निगम तेजी के साथ देश में प्रमाणित बीज की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा विक्रेता बनता जा रहा है, क्या सरकार का विचार उस स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिये किसी प्रक्रिया का निर्माण करने का है यदि निगम अपने द्वारा निर्धारित स्तर को बनाये रखने में असफल हो जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी, नहीं। फसल के खराब होने पर राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा क्षतिपूर्ति अदा करने का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि यह तो फसल का बीमा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त यह सिद्ध करना भी कठिन है कि फसल दूषित बीजों के कारण खराब हुई है। फसल की खराबी के लिये ठीक तरह से भण्डारण न करना, त्रुटिपूर्ण कृषि पद्धतियाँ, कृषि-जलवायु की परिस्थितियां आदि भी जिम्मेदार हो सकते हैं। निगम अपने द्वारा विपणन किये गये प्रमाणित बीजों की किस्म का अच्छी तरह से निरीक्षण करता है और उन बीजों को बदल देता है जहां उसके क्षेत्र अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही यह बता दिया शाता है कि वे बीज अंकुरण शक्ति विहीन हैं।

सर्कस उद्योग में कर्मचारियों की स्थिति

3192. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो ने देश में सर्कस उद्योग से सम्बन्धित कर्मचारियों की स्थिति के बारे में सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो श्रम ब्यूरो ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उन सिफारिशों पर विचार किया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की प्रतिक्रिया संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) सिफारिशों पर विचार किया गया है और फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति के समक्ष रखा जाय।

Production of Fruits and Vegetables and Development of Industries based thereon

3193. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the quantity of fruits and vegetables produced during the last year;

(b) how much of it was preserved in the form of juice and tinning; and

(c) the details of the efforts being made for the development of industries based on fruits and vegetables ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasheb Shinde): (a) No exact estimates of production of fruits and vegetables during last year are available. According to survey conducted in 1961-62, production of fruits and vegetables in the country was estimated to be 17. 68 million tonnes.

(b) The processing industry is estimated to have used approximately 70,000 tonnes of fruits and vegetables during the last year.

(c) (1) Government of India promulgated a Fruit Products Order, 1955, under the Essential Commodities Act to regulate the production of fruit and vegetable products in the country. The Order lays down minimum specifications to ensure manufacture of quality products under hygienic conditions.

(2) Necessary technical guidance is rendered to the industry for setting up fruit and vegetable processing factories and improving the quality of their products.

(3) Steps are being taken to popularise fruit and vegetable products through Community Canning Centres and Mobile Extension vans.

(4) Sugar is made available to exporters of fruit products at concessional rates,

(5) 50% freight commission is allowed on transport of products meant for export from centres of production to port towns.

(6) Draw back on tin-plate used for exported products is allowed.

(7) 10% import entitlement is given against exports to enable manufacturers to import machinery, spares and raw materials.

Development of Crops which provide Raw Material for Industries

3194. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of the crops which provide raw material for industries; and

(b) the names of the industries based thereon and the salient features of the programmes for the development of those crops ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Devlopment and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) & (b). Agricultural crops provide raw materials for all largecomplex of industries. A list showing the important crops which provide raw material for the various industries is given below;—

Crop	Industry
1. Fruits, fresh & dried & Vegetables	Canning, preserving and processing Industry.
2. Food-grains	Manufacture of grain mill products; manufacture of miscellaneous food preparation. Manufacture of bakery products.
3. Sugarcane	Sugar factories. refineries and sugar confectionery. Soft drinks and carbonated water industries.
4. Tobacco	Cigarette, Bidi, Cigar & Cheroot Hookah, Chewing and Snuff Industries etc.
5. Fibres viz; Cotton, Wool, Jute & Mesta	Spinning, weaving and finishing of textiles; knitting mills; Cordage, rope and twine industries and other jute goods.
6. Wood and Timber Forest products	Saw mills, planing and other wood mills; manufacture of cork and wood products. Manufacture of pulp, paper and paper board.
7. Oilseeds and Lac	Manufacture of paints, varnishes and lacquers.
8. Rubber	Manufacture of rubber products.
9. Cashewnut	Cashewnut processing for the production of kernels, shell liquid and other byproducts manufactured from it, such as paints industry. Cashew apple products such as Cashew liquor etc.
0. Oilseeds including Copra	Vegetable and animal oils and fats and Vanaspati
11. Guarseed	Guargum industry
12. Tea, Coffee, Cocoa	Beverage industries.

Crop	Industry

In addition to the normal development programmes being implemented under the State Plans, specific Centrally sponsored Schemes have been taken up for the development of some of the commercial crops. The salient features of the programe are :

1. Intensive cultivation on the lines of package programme.

2. Assured supply of all the essential inputs in time.

3. Aerial/ground spraying of urea and pesticides to increase yield and to control pests and diseases.

4. Provision of facilities to provide suitable price for the produce such as support price measures.

5. Provision of technical advice.

6. Adoption of scientific methods of cultivation.

7. Subsidy on Certified improved jute/mesta seeds.

8. Subsidy on Community retting tanks.

9. Setting up of demonstration plots.

10. Supply of seeds of improved varieties.

Production of Dry Cheese Developed at Karnal Dairy (Haryana)

3196. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased ta state the progress made so far in the production of dry cheese developed at the Karnal dairy Centre in Haryana ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasaheb Shinde) : A method has been developed for the production of dry cheese at the National Dairy Research Institute, Karnal. The dried-cheese on reconstitution with an equal amount of water will give a satisfactory cheese for use in making sandwitches. Packed in gas-filled hermetically sealed containers, the product has a shelf life of over six months under tropical conditions of storage.

The production of dried cheese on a commercial scale has not yet been undertaken However, the process is being utilized at the National Dairy Research Institute, Karnal for the production of dried-cheese for training purposes. The question of getting commercial concerns interested in the possibility of this utilizing porcess for commercial exploitation is under consideration of the Institute.

आंध्र प्रदेश से चावल वसूली के लक्ष्य

3196. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश से वर्ष 1970-71 के लिये चावल वसूली के लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . किसी राज्य में अधिप्राप्ति का लक्ष्य राज्य सरकार के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने यह अनुमान लगाया है कि वे 1970-71 में आन्ध्र प्रदेश में 4.5 लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति कर पायेंगे।

चंडीगढ़ में संचार विभाग के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

3197. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चण्डीगढ़ में संचार विभाग के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा तथा ये किस तिथि तक बन जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) चंडीगढ़ में डाक-तार कर्मचारियों के लिए 207 क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इनके प्राथमिक नक्शे तैयार करके चंडीगढ़ प्रशासन की स्वीकृति के लिए भेज दिए गए हैं। निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष में शुरू किए जाने की संभावना है।

More Yield from small Holdings

3198. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news under the caption 'Chhoti Joton se Adhik Pedawar Kaise Len' (How to get more yield from small holdings)

published on page 4 of the 'Uttar Pradesh Panchayati Raj' in its 9th Issue of May; 1969; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No. Sir. Experience gained in the implementation of the Intensive Agricultural District Programme (Package Programme) has shown that yields on small holdings can increase as fast as on large and medium holdings if the farmers adopt improved technology, based on the latest research recommendations for the area in which the holding exists. What is important is that the recommended practices relating to the use of seeds of High-Yielding Varieties, fertilisers, plant protection measures, use of improved implements etc. should be adopted on the farms in combination. For this purpose, the owners of small holdings, who have meagre resources, will need to be assisted with loans and other facilities.

(b) Does not arise.

Influence of Patwaries on Farmers

3199. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to an article published under the heading 'Patwarion ke Chungul se Kisanon ko Mukti Nahin Mili', (farmers not freed from the stranglehold of Patwaries) in column 2, page 3 of the daily 'Nav Bharat Times' dated the 7th November 1970; and

(b) if so, the action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes Sir.

(b) Specific instructions have been issued by State Government for issue of Pass Books containing certified copies of land records on payment of fees specifically prescribed for the various entries. Any patwari who is found to charge more than the prescribed fees is liable to punishment.

Opening of Post Offices in Gorakhpur U. P.

3200. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to refer the reply given to Unstarred Question No. 2564 on the 7th August, 1970 regarding Post Offices in Gorakhpur, U. P. and state :

(a) the details of the new post offices which have since been opened and the details of those which have not been opened so far; and

(b) the reasons for not opening the post offices within the stipulated period ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Out of the 27 pending applications

for the opening of new post offices in Gorakhpur district of Uttar Pradesh State, Post Offices have since been opened at 7 places during the year 1969-70 as indicated below :

Name of the Place	Date of opening of the Post Office
1. Semra Maharaj	2-1-1970
2. Kundur	15-1-1970
3. Charalaha	4-2-1970
4. Mahurakol	14-2-1970
5. Sonbarsa	19-2-1970
6. Bela Birbhan	21-2-1970
7. Belwa Tikar	25-2-1970

In addition to these, opening of post offices at Gangibazar and Dipgarh has been approved by the Postmaster General, Lucknow on 19-11-1970. These two post offices are expected to be opened shortly.

Out of the remaining 18 cases, proposal for opening of post offices at Murila Adai, Charpani, Phulwaria, Ojhauli, Palia and Gajai Kol could not be sanctioned as they were estimated to work beyond the permissible limits of loss. Since the interested parties were not prepared to pay a non-returnable contribution to cover the additional loss in these cases, the proposals had to be dropped.

Proposals for opening of post offices in respect of the remaining 12 villages as indicated below are still being examined by the Postmaster-General, Lucknow.

1. Kazipur
2. Dhusua Kalan
3. Bhawapar Sinagar
4. Shatruhanpur
5. Boriyandin Mathia
6. Kunwa
7. Bahadur Buzurg
8. Palia
9. Ajai Jagdishpur
10. Bahara Raj
11. Bholluwan No. 2
12. Patra

(b) According to the existing orders of the P & T Department, opening of a post office in a rural area is dependent on its fulfilling certain conditions like population, distance from the nearest post office and also on its anticipated capacity to produce an income at least 25% of its expected costs at the time of opening and to run within certain permissible limits of loss. Before opening a post office therefore detailed enquiries have to be made regarding all these aspects. In some cases the opinion of the revenue authorities had to be

obtained in regard to the correctness of distance etc. The estimate of the prospective revenue has to be based on the statistics of the mails received and delivered over a certain period. These enquiries in some cases take a lot of time in spite of efforts to finalise them as quickly as possible. In respect of the 27 proposals mentioned in (a) above, the Postmaster General, Lucknow expected to finalise the examination within certain stipulated periods, but it was not found possible to stick to these time limits as the enquiries took longer time than was expected earlier.

Auditing of Accounts of Post Office in Gorakhpur, U.P.

3201. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the statistics in regard to income and expenditure are not maintained Post office-wise or item-wise in Gorakhpur District;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether there is a possibility of misuse of the public money, of statistics are not maintained item-wise;

(d) whether the account of the above District are audited; and

(e) if so, the manner in which the accounts are audited in the absence of the item-wise details ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) and (b) The honourable Member seems to have in mind the financial transactions of post offices. A detailed daily account of all receipt and payments is kept in all post offices. These accounts are finally consolidated in the Head Post Office, which is responsible for the accounts of all branch and sub-post offices in its jurisdiction. The Head Post Office in its turn submits its accounts to the regional P & T Audit Office for check and audit.

Apart from this, there are regular periodical inspections of post offices by executive officers like Sub-divisional Inspectors, Asstt. Superintendents of Post Offices, Superintendents and Senior Superintendents of post offices. At such inspections the accounts of the office also are brought under scrutiny. In addition, there are periodic audit inspections by teams sent out by the Directors of Audit and Accounts, P & T working under the Accountant General P & T and the Superintendents of Post Offices.

Apart from these accounts of financial transactions, daily figures of the various types of transactions are maintained in each post office. These statistics are required mainly for estimating the adequacy of the staff sanctioned for office. Regular statistics of unregistered mails are not maintained. They are compiled only where there is need. There is also a half-yearly enumeration of unregistered articles delivered all over India in August and February to judge traffic and revenue trends.

The other type of statistics which are cellected is for judging whether any particular office earns enough revenue to defray its costs within the policy limits laid down by Government. For this purpose, the value of the stamps borne on articles handled by the office, the

number of registered articles booked, the number and value of money orders etc. is collected. Such returns are to be opened or for the retention or confirmation of experimental Post Offices.

क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज, ओखला, दिल्ली के कार्य संचालन के विरुद्ध शिकायतें

3202. **श्री वी० नरसिम्हा राव :**
श्री बलराज मधोक :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ओखला स्थित नये क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज के असन्तोषजनक कार्य संचालन के बारे में टेलीफोन उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली शिकायतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सेवा में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेरसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लगातार निगरानी रखी जा रही है। उपस्कर में आवश्यक समंजन किया जा रहा है। इस एक्सचेंज के कुछ ही महीनों में पूरी तरह से स्थायी तौर पर काम करने की संभावना है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कृषि की विद्यमान स्थिति के बारे में मांगा गया ज्ञापन

3203. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि की विद्यमान स्थिति को बताने वाले ज्ञापन देने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों से प्राप्त उत्तर क्या-क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेबशिन्दे) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से (तथा जहां, आवश्यक हो राज्यपालों और उप-राज्यपालों से) अनुरोध किया है कि वे राज्य के प्रवर तकनीकी अधिकारियों और सचिवालय के अधिकारियों के ऐसे ग्रुप बनायें जो राष्ट्रीय कृषि आयोग को उसके विचारार्थ विषयों में सोंपी गई समस्याओं पर प्राथमिक रूप से विचार करें। ये ग्रुप विभिन्न मदों के विषय में

जानकारी व सामग्री एकत्रित करें और नोट या ज्ञापन के रूप में अपने सुझाव आयोग को भेजें। आयोग ने विभिन्न अन्य व्यक्तियों और संगठनों को राष्ट्रीय कृषि आयोग के इसके विचारार्थ विषयों में सौंपी गई समस्याओं पर उनके विचार जानने के लिये पत्र लिखे हैं और लिखेगा। आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अपने पत्रों के उत्तरों में प्राप्त हुई सामग्री पर विचार करेगा।

आकाशवाणी निर्माण शाखा

3204. **श्री वी० नरसिम्हा राव :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का विचार, सरकार के केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से बिल्कुल पृथक अपनी निर्माण शाखा का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त नई शाखा के कृत्यों की रूप रेखा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) आकाशवाणी की विकास परियोजनाओं से सम्बन्धित सिविल कार्यों का समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए।

(ग) नये स्कन्ध को आकाशवाणी तथा इस मन्त्रालय के अन्य विभागों के भवनों के डिजाइन बनाने तथा उनके निर्माण एवं देखरेख करने का काम सौंपा जाएगा।

पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर किया गया व्यय

3205. **श्री बलराज मधोक :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापितों पर सितम्बर, 1970 तक कुल कितनी धन राशि खर्च की गई;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि उनको बेकारी अनुदान देने तथा शिविरों को बनाये रखने और पुनर्वास सम्बन्धी विशेष योजनाओं पर खर्च की गई;

(ग) राज्यवार उनमें से कितने व्यक्तियों को बसाया गया है; और

(घ) क्या यह सच है कि किसी भी विस्थापित को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में नहीं बसाया गया है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 31-3-1970 तक 322.59 करोड़ रुपये की धन राशि खर्च की गई थी। विभिन्न राज्य सरकारों ने, जिनके द्वारा विस्थापित व्यक्तियों पर अधिकांश खर्च किया जाता है, चालू वित्तीय वर्ष के 30-9-1970 तक के खर्च के आंकड़े अभी तक सूचित नहीं किए हैं।

(ख) चूंकि खर्च का ब्यौरा अनुदान-वार रखा जाता है, इसलिए खर्च का मद-वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

(ग) 31-3-1958 तक पूर्वी पाकिस्तान से 41.47 लाख व्यक्ति भारत आए। पश्चिम बंगाल में कुछ अवशिष्ट समस्याओं के अतिरिक्त, इन व्यक्तियों की पुनर्वास समस्या 1960-61 तक प्रायः हल हो चुकी थी।

इन प्रवासियों का राज्य-वार विभाजन अनुबन्ध—I में दिया गया है।

नए प्रवासियों की, अर्थात जो लोग 1-1-1964 से 21-11-1970 तक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए उनकी कुल संख्या नीचे दी गई है :—

उस राज्य का नाम जिसमें आये	प्रवासियों की संख्या
पश्चिम बंगाल	7,44,529
आसाम	2,11,822
त्रिपुरा	1,41,785
	10,98,136

वर्तमान नीति के अनुसार वे नए प्रवासी, जो कि पश्चिम बंगाल में ही ठहर गये हैं, कोई भी पुनर्वास सहायता पाने के पात्र नही हैं। शेष संख्या में से, 41,950 परिवार (लगभग 2,10,000 व्यक्ति) अनुबन्ध— II में दिये गये ब्यौरे के मुताबिक विभिन्न राज्यों में बसाये गये है।

(घ) जी, हां।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार से पूर्वी पाकिस्तान से आये किसी भी प्रवासी के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

विवरण I

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों (पुराने प्रवासियों) के राज्यवार वितरण के सम्बन्ध में विवरण ।

(31 दिसम्बर 1960 तक)

राज्य	बसाये गये व्यक्तियों की संख्या
अंडमान तथा निकोबार द्वीप	9,800
आसाम	4,87,000
बिहार	65,000
मध्य प्रदेश	17,500
मनीपुर	2,000
उड़ीसा	12,000
उत्तर प्रदेश	17,000
पश्चिम बंगाल	31,32,000
त्रिपुरा	3,74,000
राजस्थान	1,000
योग	41,17,000

विवरण II

पूर्वी पाकिस्तान से नये प्रवासियों (वे जो 1.1.1964 या उसके बाद आए, जिन्हें कि अब तक विभिन्न राज्यों में बसाया गया है, नवीनतम स्थिति के सम्बन्ध में विवरण ।

क्रम संख्या	राज्य	बसाये गये परिवारों की संख्या
1.	आंन्ध्र प्रदेश	1,093
2.	आसाम	12,188
3.	बिहार	1,449
4.	महाराष्ट्र	3,954
5.	मध्य प्रदेश	3,438
6.	मनीपुर	186
7.	नेफा	2,901

क्रम संख्या	राज्य	बसाये गये परिवारों की संख्या		
8.	उड़ीसा	375		
9.	पंजाब	3		
10.	त्रिपुरा	5,715		
11.	उत्तर प्रदेश	1,090		
12.	मैसूर	242		
13.	अंडमान	699		
14.	दण्डकारण्य	8,616		
		योग4	1,949	परिवार
			या 41,950	परिवार
		या लगभग	2,10,000	व्यक्ति

Provision of Public Call Office at Ater and Gormi Post Offices in Bhind District, Madhya Pradesh

3206. **Shri Atam Das** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether public call offices have been provided in post offices, where telephone connection is available; and

(b) if not, the reasons therefor and if so, the reasons for not providing such facility at Ater and Gormi Post Offices in Bhind district of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) & (b). Public Call Offices are generally provided in all Post Offices where telephone connections sccessible into the trunk tele. phone network of the country are available. However, telegraph gervice is sometimes extended to Post Offices by connecting telephone instruments at both ends of the telegraph line. Such telephone connections end at the next telegraph office and are not of appropriate quality for being converted into trunk telephone lines for integration with the general trunk network. Ater and Gormi Post Offices have been provided telegraph facilities on phonocom service in the above manner. Costly line re-construction and rearrangements would be required before public call offices for trunk telephone calls could be provided at these places.

Telephone Advisory Committee for Gwalior

3207. **Shri Atam Das** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the date on which Telephone Advisory Committee was formed in Gwalior and its term of office; and

(b) whether the term of office of the said Committee has expired and if so, the reasons for not constituting a new Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The Telephone Advisory Committee Gat walior was reconstituted in Feb. 1970, for a term of two years ending on 31-1-1972.

(b) Does not arise.

सब डिवीजनल अधिकारी टेलीफांस, ग्वालियर के विरुद्ध शिकायतें

3208. **श्री आत्म दास** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब डिवीजन अधिकारी टेलीफान्स, ग्वालियर वहां कब से काम कर रहा है;

(ख) उसके विरुद्ध कितनीं शिकायतें विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि कोई जांच पूरी हो गई हैं तो उसका निष्कर्ष क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेरसिंह) : (क) 4-10-1968 से।

(ख) नौ।

(ग) अभी जांच-पड़ताल चल रही है।

Delay in introduction of Automatic Telephone Service in Gwalior

3209. **Shri Atam Das :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the date from which the Automatic Telephone Service is introduced in Gwalior (M. P.)

(b) the reasons for which it could not be introduced within the stipulated period, the name of the Officer responsible therefor and the action taken against him;

(c) whether in violation of the rules the Sub-Divisional Officer (Telephones) in Gwalior has supplied new types of 'Priya Darshini' machines to some of his favourites and friends and thus due to the shortage of these machines the said scheme could not be introduced within the stipulated period; and

(d) if so, the action taken against the said Officer ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The new automatic exchange at Gwalior is likely to be commissioned during 1972.

(b) The delay is on account of non-receipt of equipment from M/S Indian Telephone Industries Bangalore.

(c) & (d). The matter relating to the alleged violation of rules by SDO Phones Gwalior in supplying 'Priya Darshini' telephones to some of the subscribers will be investigated if details and full particulars are furnished by the Hon'ble Member. The alleged shortage of 'Priya Darshini' instruments at present; does not contribute to the delay in commissioning of automatic exchanges. The delay has been due to the reasons mentioned against para (b) above.

परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाटक मण्डलियों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार

3210. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार के उद्देश्य से मार्च 1970 में गठित नाटक मण्डलियों ने काम करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्हें कितनी सफलता मिली ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (इ०कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) इन मण्डलियों द्वारा खेले गए नाटक लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं।

वन सम्पदा का विदोहन

3211. **स० अ० अगड़ी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन सम्पदा के विदोहन के बारे में कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). देश में वन सम्पदा के प्रयोग के लिए कोई विशेष योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी भारत सरकार दो परियोजनाएं चला रही है। :—

(i) वन संसाधनों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण और

(ii) काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र जो कि अप्रत्यक्ष रूप से देश की इमारती लकड़ी सम्पदा के पूर्णतर या उम्दा प्रयोग में सहायक होंगे।

वन संसाधनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण की परियोजना के अन्तर्गत वन-उद्योगों के लिए आर्थिक उपलब्धता का विशद अन्वेषण करने की व्यवस्था है। दूसरी ओर काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण परियोजना का उद्देश्य काष्ठ निष्कासन की विकसित प्रणालियों को लागू करने के उद्देश्य से काष्ठ निष्कासन कार्य में लगे व्यक्तियों को काष्ठ निष्कासन कार्य में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

वन संसाधनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण की परियोजना जो 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य तथा कृषि संगठन/भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में लागू की गई थी को तीन खन्डों में अर्थात उत्तर खन्ड (हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश) केन्द्रीय खन्ड (मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र और महाराष्ट्र) दक्षिणी खन्ड में (मैसूर तथा केरल) के अन्तर्गत 2922.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लागू किया गया है। इसके लिए अवमूल्यन से पहले के मूल्यों पर 131 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे उत्तरवर्ती कार्यक्रम में रूप में अतिरिक्त 85000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का निवेश पूर्व सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना स्वीकार की गई है। 1969-70 के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य के वन क्षेत्रों के विषय में फील्डकार्य पूरा किया जा चुका है।

जहां तक काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण परियोजना का प्रश्न है यह अगस्त 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य तथा कृषिसंगठन की सहायता से चालू की गई थी तथा 31-8-69 को इस परियोजना का सहायता प्राप्त रूप समाप्त हो गया। फिर भी चौथी पन्चवर्षीय योजना में इसे भारत सरकार की परियोजना के रूप में जारी रखा जा रहा है। 1965 में इसके आरम्भ किये जाने से सितम्बर 1970 तक 1302 वन कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वनों के प्रयोग के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों ने अनुबन्ध में प्रदर्शित कार्य किये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4474/70]

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा केरल के तट पर भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण

3212. **श्री मंगलाक्षुमागम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव-गठित केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, केरल के तट पर भूमिगत जल के संसाधनों का सर्वेक्षण कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सहायता के लिए मांग की जा रही है ; और

(ग) उत्तर त्रावनकोर के किन अन्य महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में भूमिगत जल के लिए ड्रिलिग किया गया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) केरल में आजकल भूमिगत जल समन्वेषण के बारे में कोई कार्य नहीं चल रहा है, किन्तु 1971-72 के दौरान क्विलन तथा उसके निकटस्थ क्षेत्रों में समन्वेषण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता । इसे बोर्ड के सामान्य क्रिया कलापों के रूप में ही किया जायेगा ।

(ग) भूतपूर्व समन्वेषी नलकूप संस्था द्वारा क्विलन, अल्लेप्पी तथा कोट्टायम के जिलों में 5 समन्वेषी बोर किये गये थे, जिनमें से क्विलन जिले के कुलाशेखरापुरम् नामक स्थान पर किया गया केवल एक बोर ही सफल सिद्ध हुआ और अन्यों को कम पानी मिलने या खारा पानी मिलने के कारण त्याग दिया गया था ।

गत तीन वर्षों में सूखा पीडित क्षेत्रों को सहायता

3213. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के सूखे ने बिहार और राजस्थान को विशेष रूप से और देश के कुछ अन्य भागों को सामान्य रूप से दयनीय बना दिया है और बहुत से किसानों और गांव के लोगों को जन, पशु और करोंडों रुपये की फसल की हानि उठानी पड़ी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सूखा पीड़ित व्यक्तियों को कितनी सहायता दी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख). विहार और राजस्थान के कुछ भागों सहित देश के कुछ भाग पिछले तीन वर्षों में सूखे से प्रभावित हुए थे और उतके परिणामस्वरूप, उन क्षेत्रों के लोगों को कठिनाइयां झेंलनी पड़ी लेकिन प्रभावित जनसंख्या को आवश्यक सहायता सुलभ करने के लिए सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त उपाय किए गए थे। किसी भी राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भूख से मौत होने की वारदात की पुष्टि नहीं की है । तथापि राजस्थान सरकार ने सूचित किया था कि कुछ मवेशी मरे थे ।

समय-समय पर नवम्बर, 1968, फरवरी और जुलाई, 1969 और अप्रैल 1970, में सभा के पटल पर खाद्य कमी की स्थिति सम्बन्धित विवरणों में सहायता सुलभ के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों और सम्बन्धित राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है ।

कृषि-वस्तुओं के बीजों की नई किस्मों का तैयार किया जाना

3214 . **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अनुसंधान विभाग द्वारा प्रत्येक कृषि-वस्तु के कितनी किस्म के बीज तैयार किये गए और कृषकों को उपलब्ध कराये गए और प्रत्येक राज्य में कृषिकों द्वारा प्रत्येक विकसित बीज की कितनी मात्रा प्रयोग में लाई गई ;

(ख) उक्त अवधि में सरकार ने इस विभाग पर कुल कितना खर्च किया ; और

(ग) कृषिकों के प्रति एकड़ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई और बीजों, उर्वरकों तथा ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि होने से उन्हें प्रति एकड़ कितना अतिरिक्त खर्च करना पड़ा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास तथा सहकार मंन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि अनुसंधान विभागों द्वारा विकसित तथा भूतपूर्व केन्द्रीय किस्म निर्मुक्तिसमिति एवं बीज निर्मुक्ति की केन्द्रीय उप-समिति द्वारा खेती के लिए निर्मुक्ति किए गए नई किस्म के बीजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4475/70**] राज्य उन बीजों की किस्म को निर्मुक्ति करते हैं, जिनका उनके क्षेत्र के अन्तर्गत उपयोग हो। इस सम्बंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से 1967-68 के दौरान 9.46 करोड़ रुपये, 1968-69 के दौरान 12·13 करोड़ रुपए तथा 1969-70 के दौरान 13.74 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

(ग) रखी जाने वाली जानकारी आदानों के मूल्यों के बढ़ने से सम्बन्धित नहीं है। अनुसन्धान तथा प्रयोग के करते समय उत्पादन लागत तथा उत्पादन से होने वाली आय के संबन्ध में जानकारी उपलब्ध है। यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विकसित बीज बुवाई के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र

3215. श्री **अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष में वर्षवार प्रत्येक राज्य में कितने-कितने ऐकड़ भूमि में विकसित बीज बोये गये;

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रतिवर्ष कुल कितनी एकड़ भूमि में खेती की गई : और

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रतिवर्ष कुल कितन उत्पादन हुआ और सुधरे बीज की बुवाई वाले क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1968-69 और 1969-70 के दौरान प्रत्येक राज्य में चावल, गेंहू, मक्का, ज्वार तथा बाजरा जैसी खाद्य फसलों की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती वाला क्षेत्र संगलग्न विवरण

में दिया गया है (विवरण 1) [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-4476/70 ।]

(ख) और (ग). 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान प्रत्येक राज्य में क्षेत्र तथा उत्पादन के संबंध में जानकारी संलग्न विवरणों में दी गई है (विवरण 2 तथा 3)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4476/70] बीजों की अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई वाले क्षेत्रों में हुए उत्पादन के आंकड़े अलग एकत्रित नहीं किए जाते है।

राज्यों द्वारा प्राप्त कृषि उपकर

3216. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, 31 मार्च, 1970 तक, प्रत्येक राज्य से प्रतिवर्ष कितना कृषि उत्पादन कर वसूल किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1967-68	1968-69	1969-70
1.	तमिल नाडु	6,24,258	15,12,266	18,23,049
2.	पश्चिम बंगाल	3,25,614	3,28,050	2.95,621
3.	महाराष्ट्र	30,62,794	25,06,236	20,36,354
4.	केरल	6,72,632	13,76,201	17,41,964
5.	गुजरात	10,15,798	16,79,998	16,48,470
6.	मैसूर	49,185	28,196	67,531
7.	आंध्र प्रदेश	2,33,335	74,087	88,960
8.	दिल्ली	46	——	——

भूमिहीन किसानों में सहकारी भूमि का वितरण और उससे लाभान्वित किसानों की संख्या

3217. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पड़ती भूमि के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) कुल सरकारी भूमि में कृषि योग्य तथा कृषि के अधीन भूमि का अनुपात क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को कुल कितनी भूमि बांटी गई और इस

प्रकार से वितरित भूमि में कृषि योग्य और कृषि के अधीन भूमि का क्षेत्रफल अलग-अलग क्या है;

(घ) सरकार की भूमि वितरण योजना के माध्यम से इस समय तक राज्यवार कितने भूमिहीन खेतीहर मजदूर परिवारों को लाभ हुआ है; और

(ङ) पश्चिमी बंगाल में जिलावार तथा थानावार ऐसी कुल कितनी भूमि वितरित की गई है और अब तक जिलावार और थानावार कितने भूमिहीन खेतीहर मजदूर परिवारों को लाभ हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण के पश्चात् अबतक अधिशेष घोषित की हुई या कब्जे में ली हुई भूमि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

('000 एकड़ों में)

आन्ध्र प्रदेश	74
असम	68
गुजरात	50
हरियाणा	92
जम्मू और काश्मीर	450
मध्य प्रदेश	84
महाराष्ट्र	271
पंजाब*	178
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	241
पश्चिम बंगाल	865
हिमाचल प्रदेश*	7

*भूतपूर्व पंजाब के क्षेत्रों की अधिशेष भूमि राज्य के अधिकार में नहीं है । परन्तु केन्द्र को उनपर विस्थापितों को बसाने का अधिकार है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य की 172,000 एकड़ कृषि भूमि जोकि विचौलियों के खास कब्जे में है, कृषि योग्य नहीं है ।

(ग) ऐसी भूमि के आवंटन के पात्र भूमिहीन कृषि मजदूरों और अन्यों में वितरित किया गया अधिशेष क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

	('000 एकड़ों में)
आन्ध्र प्रदेश	1
असम	1
गुजरात	25
हरियाणा	58
जम्मू और काश्मीर	450
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	123
पंजाब	64
तमिलनाडु	16
उत्तर प्रदेश	121
पश्चिम बंगाल	347

केवल कृषि योग्य भूमि ही वितरित की गई है।

(घ) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि अधिशेष भूमि के आवंटन से 31,688 परिवारों को लाभ हुआ है। अन्य राज्यों में अधिशेष भूमि के वितरण से वस्तुतः कितने परिवारों को लाभ हुआ, इस विषय में राज्यों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ङ) जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है। जून 1969 तक राज्यों के अधिकार में आई भूमि का जिलेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(क्षेत्र एकड़ों में)
जिले का नाम	**कृषि भूमित्रा**
मालदा	67,052
पश्चिम दीनापुर	58,893
बर्दवान	44,728
बंकुरा	31,944
24-परगना	75,432
मिदनापुर	2,00,908
मुर्शिदाबाद	21,999
वीरभूम	13,515
हावड़ा	3,577
हुगली	8,068

जिले का नाम	कृषि भूमि
नाडिया	13,044
कूच बिहार	45,074
जलपाईगुड़ी	93,980
दार्जलिंग	16,824
पुरूलिया	36,492
कुल	7,31,530

राज्य सरकार से और जानकारी प्राप्त होने की प्रतीक्षा है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी बंगाल के बड़े, मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन

3218. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1970 को पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाले बड़े, मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों के नाम क्या थे;

(ख) प्रत्येक समाचार-पत्र की वर्तमान बिक्री कितनी है; और

(ग) 1968-69 से 1970-71 के बीच वर्षवार प्रत्येक समाचार-पत्र को कुल कितने रुपये के सरकारी विज्ञापन दिए गए ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री(श्री इं० कु० गुजराल): (क) और (ख) .—प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत प्रत्येक कलैण्डर वर्ष समाचारपत्रों के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी जानकारी अनुवर्ती वर्ष की फरवरी के अंतिम दिन भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रर को प्राप्त होती है। 31 दिसम्बर, 1969 के दिन पश्चिम बंगाल के बड़े, मंझोले और छोटे समाचार-पत्रों के विवरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०** 4477/70] इन विवरणों में उन अखबारों की वर्तमान खपत संख्या भी दी गई है जिनके बारे में जांच की गई है। जिन समाचारपत्रों से वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी भी एक सूची संलग्न है।

(ग) प्रत्येक समाचारपत्र को दिए जाने वाले विज्ञापन तथा उन्हें दी गई धन राशि की सूचना गोपनीय समझी जाती है।

पश्चिमी बंगाल में कृषि योग्य पड़ती भूमि पर पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का बसाया जाना

3219. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में 8 लाख हैक्टेयर से भी अधिक कृषि योग्य पड़ती भूमि है;

(ख) क्या ऐसी भूमि का 50 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र 24 परगना, मिदनापुर ,बांकुरा और पुरूलिया नामक चार जिलों में है;

(ग) क्या इन चार जिलों में शरणार्थी परिवारों को बड़ी संख्या में मितव्ययितापूर्वक बसाया जा सकता है; और

(घ) गत तीन वर्षों में इन जिलों में शरणार्थी परिवारों के बसाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

Grant of advance increments to AIR Hindi Stenographers

3220. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 665 on the 30 July, 1970 and state :

(a) whether Government have not so far fulfilled its assurance given in reply to the question referred to above to the effect that the Hindi Stenographers who had passed the test prior to 30th April, 1970 would also be granted advance increments with effect from the date of passing the test; and

(b) if so the reasons therfore ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). Such cases are still under consideration.

Acreage of land under Cultivation and that lying unused in Madhya Pradesh

3222. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total acreage of land under cultivation in Madhya Pradesh at present;

(b) the approximat alacreage of land which is not being brought under cultivation for want of agricultural implements; and

(c) the amount of financial assistance proposed to be given by Central Government to the State Government for increasing agricultural production ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Coop·eration (Shri Annasaheb Shinde): (a) According to the latest land utilisation statistics of Madhya Pradesh available for the year 1968-69, cultivated area in the State is as under:—

	(Thousand hectares)
(i) Net area sown	18,074
(ii) Current fallows	737
Total Cultivated area (i+ii)	18,811

(b) Information regarding acreage of land which is not being brought under cultivation for want of agricultural implements has not been furnished by the State Government.

(c) According to the revised procedure for release of funds for State Plan schemes from 1969-70, Central assistance to State Governments is released in block loans and grants for the Annual Plan as a whole and is not relatable to any individual scheme/group of schemes or head of development. It is for the State Govt. to decide how much of the Central assistance they will use for the purpose.

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तथा तार कार्यालयों का कार्यकरण

3225. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तथा तार सेवा ठीक प्रकार से नहीं चल रही है क्योंकि अधिकतर डाकघरों में पर्याप्त कर्मचारी और कार्यकरण की सुविधा नहीं है ;

(ख) यदि कई डाकघर, विशेषकर ग्रामीण क्षेणों में, प्रायः बिल्कुल कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या उन डाकघरों में बचत बैंक की सुविधा भी बन्द हो गई है; और

(क) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों को उचित रूप से चलाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) यह बात नहीं कही जा सकती कि देहाती इलाकों में डाकतार सेवाएं ठीक तरह से काम नहीं कर रही है ।

देहाती इलाकों में डाक सेवाएं अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के जरिए दी जाती है । इसके अधीन जीवन में स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले या अपनी स्वतंत्र आय वाले व्यक्तियों को डाक सेवा का काम सौंपा जाता है जैसे कि भूस्वामी, विद्यालय के अध्यापक, दुकानदार आदि । जो डाक का लेन-देन करते हैं और जितनी देर ये डाकघर खोलते हैं, उसके लिए इन्हें भत्ता दिया जाता है । जहां उचित हो, अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टर की सहायता के लिए वितरण के काम के लिए अतिरिक्त

विभागीय वितरण एजेंट और डाक लाने ले जाने के लिए अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक रखने की इजाजत दी जाती है।

अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टर को आमतौर पर डाकघर के लिए अपने ही मकान का इन्तजाम करना होता है। अलबत्ता, उसे डाकघर के काम के लिए जरूरी फर्नीचर और उपस्कर दिए जाते हैं और आवश्यक फार्म भी दिए जाते हैं। उसे लेखन सामग्री के लिए भी भत्ता दिया जाता है।

(ख) तथा (ग). यह सही नहीं है।

यह बात जनता पर निर्भर करती है कि वे डाकघर द्वारा दी जाने वाली बचत बैंक की सुविधाओं का किस हद तक लाभ उठाते हैं।

(घ) सरकार ने अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के सामान्य कार्य करने की जांच करने और उसमें सुधार लाने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

प्रायोगिक देहाती डाकघर अनुमानत: लगभग 80 लाख रुपए के आवर्ती वार्षिक घाटे पर चल रहे हैं। डाक तार शुल्कदर जांच समिति ने यह सुझाव दिया था कि देहाती इलाकों में ऐसे डाकघर खोलने और उन्हें चालू रखने की शर्तों में कड़ाई बरती जाए। हालांकि यह शर्त मान ली गई कि डाकघर खोलते समय उससे कम से कम उसकी अपनी लागत की 25 प्रतिशत आय की उचित उम्मीद अवश्य हो, फिर भी यह निर्णय किया गया था कि विकास की मौजूदा स्थिति में इस तरह की कोई भी बंदिश वांच्छित नहीं होगी।

भूमिहीन किसानोंकों फालतू भूमि के वितरण के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श

3226. **श्री चेंगलरा नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में भूमिहीन किसानों में फालतू भूमि के वितरण के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के क्या मत हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच इस सम्बन्ध में कोई एकरूप नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय अधिशेषभूमि के निप-

टारे को प्राथमिकता देने की योजनाओं तथा भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया गया था। योजना में यह सिफारिश की गई थी कि जोत की अधिकतम सीमा को लागू करने के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली भूमि के निपटारे में वैयक्तिक खेती के लिए पुनर्ग्रहण की गई भूमि के फलस्वरूप विस्थापित काश्तकारों, अलाभकारी जोतों वाले कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

यह भी सुझाव दिया गया था कि जहां तक सम्भव हो निपटारा सहकारी आधार पर किया जाना चाहिए। जोत की अधिकतम सीमा के प्रस्ताव तैयार करते समय राज्य सरकारों द्वारा इन सुझावों को ध्यान में रखा गया था।

(ग) स्थानीय परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण राज्य सरकारों के लिए अधिशेष-भूमि के निपटारे के सम्बन्ध में प्राथमिकता देने की एक समान योजना को अपनाना संभव नहीं हो सका।

पटना के बड़े डाकघर और रेलवे डाक सेवा के परस्पर विलय के कारण पटना में पत्रों के प्रेषण और डिलीवरी होने में विलम्ब

3227. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 तक पटना का बड़ा डाक छटाई घर पटना टाऊन के लोगों को शेष देश से प्राप्त पत्रों को उसी दिन देने की जिस दिन वे पत्र पटना टाऊन पहुंचते थे, सुविधा देता था और वहां के लोगों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों के लिए मुहल्लों के लेटर बाक्स में डाले गए पत्रों के पटना के बड़े छटाई डाकघर के द्वारा शीघ्र निपटान की भी सुविधा देता था ;

(ख) क्या बड़े डाक छटाई घर की इमारत के गिराए जाने के कारण पटना के बड़े डाक छटाई घर का पटना रेलवे डाक सेवा में विलय होने से पटना के निवासियों को गत एक वर्ष से अपने पत्र शीघ्रता से प्राप्त करने और भेजने में व्यवहारिक रूप से वंचित रहना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पटना के बड़े डाक छटाई घर को विभाजित करने तथा पटना रेलवे डाक सेवा के साथ उसके अस्थायी विलय से पूर्व की स्थिति लाने सम्बन्धी पटना टाउन के 5 लाख लोगों की कठिनाईयों पर विचार करेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। पटना के बड़े डाकघर के छटाई डाकघर का पटना रेल डाक सेवा में विलय करने से जनता को डाक के पारेषण और वितरण की कोई सुविधा कम नहीं की गई है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोट्टायम, केरल के हाई रैंजेज डिवीजन के डाक तथा तार कर्मचारियों को पहाड़ी प्रतिकर भता और परियोजना भता

3228 **श्री के० एम० अब्राहम**: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम जिले के हाई रैंजेज डिवीजन के डाक तथा तार कर्मचारियों को पहाड़ी प्रतिकर भता और परियोजना भता नहीं दिया जाता जबकि डाक तथा तार कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाता है ;

(ख) इन कर्मचारियों के विरुद्ध भेदभाव रखने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या केरल के हाई रैंजेज डिवीजन में कार्य कर रहे डाक तथा तार कर्मचारियों को पहाड़ी प्रतिकर भत्ता और परियोजना भता देने के बारे में सरकार तुरंत विचार करेगी : और

(घ) यदि हां, तो कब करेगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) जिन स्थानों पर डाक-तार कर्मचारी पहाड़ी प्रति कर भत्ता और परियोजना भत्ता पाने के पात्र हैं, वहां उन्हें ये भत्ते दिए गए है। मुन्नार में डाक तार-कर्मचारियों को परियोजना भते का भुगतान करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता

भारत-नार्वे परियोजना, कोचीन-केरल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3229. **श्री के० एम० अब्राहम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत नार्वे परियोजना, कोचीन, केरल के लिपिक कर्मचारियों ने नवम्बर के प्रथम सप्ताह में एक दिन की कलम बन्द हड़ताल की थी, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को लिपिक कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में उनसे कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो कर्मचारियों ने उसमें क्या मुख्य मांगे रखी हैं ;

(ग) उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) भारत नार्वे परियोजना के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने परियोजना में हाल ही में अर्जित अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों के सम्बन्ध में 31

अक्तूबर, 1970 के अपराह्न को कलम बन्द हड़ताल की थी। परियोजना के लिपिक वर्ग के कुछ सदस्यों से कुछ प्रतिवेदन इस मन्त्रालय को प्राप्त हुऐ हैं। उनकी शिकायत यह है कि पद के लिए बनाए गए भर्ती नियमों के स्वरूप के अनुसार लिपिकों के संवर्ग को पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं होते ।

(ग) और (घ) . हाल ही में सर्जित पद के लिए कुछ संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु इस मन्त्रालय के आशुलिपिकों तथा वैयक्तिक सहायकों के प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में उनका तर्क है कि सर्जित किए जाने के समय इस पद का कार्य सचिवालय के समान ही था। भर्ती नियमों के प्रारूप के अन्तर्गत चुनाव की सीमा में दोनों आशु-लिपिक तथा प्रधान-लिपिक सम्मिलित हैं । परियोजना के कर्मचारियों के कुछ सदस्यों से (जो इन दिनों संवर्गों से सम्बद्ध है) कुछ प्रतिवेतन इस मन्त्रालय में 24 नवम्बर, 1970 को प्राप्त हुए थे जो विचाराधीन हैं।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए उद्योगों में रोजगार की व्यवस्था करने पर किया गया व्यय

3230. **श्री समर गुह : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए छोटे, मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में रोजगार की व्यवस्था करने पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है;

(ख) ऐसे उद्योगों की स्थापना किन-किन राज्यों में की गई है तथा इन उद्योगों में अब तक अनुमानतः कितने शरणार्थियों को खपाया गया है;

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान से 1967 से आने वाले नये शरणार्थियों को रोजगार देने के लिए अतिरिक्त छोटे, मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों की स्थापना किन-किन राज्यों में की जाएगी तथा उन पर कितना धन लगाया जाएगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ). मामला राज्य सरकारों से उठाया गया है और उनसे उपयुक्त योजनाएं तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	औद्योगिक योजना का सूक्ष्म ब्यौरा	राज्य का नाम	मंजूर की गई राशि	अब तक रोजगार पर लगाये गये पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	मदन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, हस्तिनापुर, की कताई मिल।	उत्तर प्रदेश	(रुपये लाखों में) 77.37	40	यह पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों और बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए संयुक्त योजना है। रोजगार पर लगाए गए प्रत्यावासियों की संख्या 211 है।
2.	इटारसी में सीमेंट कंक्रीट के उत्पादन का कारखाना।	मध्य प्रदेश	3.00	28	
3.	सूनाबेदा, थेरूवैली इत्यादि में लघु औद्योगिक एकक।	उड़ीसा	25.55	209	
4.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड,	पश्चिम बंगाल	649.00 †	5723†	यह पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड को

कलकत्ता, के माध्यम से उद्योगों में रोजगार।	31.3.70 तक भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए ऋण (346 लाख रुपए) और हिस्सा पूंजी (303 लाख रुपए) के योग-फल का निरूपण करता है।

पश्चिमी बंगाल में बटाईदारों (शेयर क्रोपर्स) के हितों की रक्षा

3231. **श्री समर गुह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इस समय खड़ी फसल की कटाई के दौरान बड़ी संख्या में बटाईदारों तथा वास्तविक काश्तकारों में फसल में उनके उचित हिस्से के सम्बन्ध में झगड़ा होने की आशंका है ; क्योंकि हाल ही में पारित बटाईदार अधिनियम (शेयर क्रोपर्स एक्ट) ठीक से लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे बटाईदारों तथा वास्तविक काश्तकारों, दोनों को ही उनका उचित भाग प्राप्त हो ; और

(ग) क्या उन्हें खास भूमि तथा बनामी भूमि के वास्तविक काश्तकारों को फसल काटने का अधिकार दिया जायेगा जिनके बारे में अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1955 को जिसे राष्ट्रपति के 1970 के 16वें अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया हैं, सख्ती से लागू किया जा रहा हैं। राजस्व अधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं कि जहां कहीं किसी प्रकार का झगड़ा उत्पन्न हो वे तुरन्त स्थानीय रूप से पूछ-ताछ करें और समझौते के प्रयास असफल होने पर अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करें। राष्ट्रपति के 1970 के 16 वें अधिनियम में की गई एक व्यवस्था के अनुसार बटाईदार को यह अधिकार दिया गया है कि यदि भू-स्वामी उत्पाद का अपना हिस्सा लेने अथवा उसकी रसीद देने में आनाकानी करता है तो वह भू-स्वामी के उस हिस्से को सम्बन्धित अधिकारी अथवा राजस्व अधिकारी के पास जमा करा दें।

(ग) नीति के तौर पर जो व्यक्ति भूमि जोतेगा तथा उस पर फसल उगाएगा उसे ही फसल काटने का अधिकार होगा। खास तथा बेनामी भूमियों के सम्बन्ध में भूतपूर्व बिचौलियों ने दीवानी न्यायालयों से जहां कृषकों के भूमि पर प्रवेश को रोकने के लिए एक तरफा निषेध आज्ञाएं प्राप्त की हैं या जहां आपसी समझौते कामयाब नहीं होते वहां आवश्यकता पड़ने पर शान्ति-भंग को रोकने के

लिए तथा दोनों दलों को भूमि पर कब्जा करने से रोकने के लिए मौजूदा कानून के अन्तर्गत निषेधाज्ञाएं जारी करनी होगी अथवा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस प्रकार की किसी कार्यवाही पर विचार करना होगा।

विवादग्रस्त भूमि के मालिकों के अंशों को राजनीतिक दलों द्वारा हड़पे जाने पर रोक

3232. **श्री समर गुह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही की है जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दल विवादग्रस्त भूमि या जिसके बारे में विवाद उठा दिया गया हैं ऐसी भूमि के वास्तविक स्वामियों से उनका अंश न हड़प सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : पश्चिम बंगाल सरकार ने राजस्व अधिकारियों को विवादग्रस्त मामलों की स्थानीय रूप से जांच-पड़ताल करने और विवादों को यथा सम्भव समझौते से हल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर कृषकों की फसल को किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा बलपूर्वक फसल काटने से रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

राष्ट्रीय एकता पर भाषाई प्रदेशों के लेखकों द्वारा लेख

3233. **श्री समर गुह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भाषायी क्षेत्रों के लेखकों से, राष्ट्रीय एकता का बड़े पैमाने पर प्रचार करने हेतु अपनी रचनाएं देने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लेखकों के नाम क्या है और उनका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अक्तूबर, 1970 तक उक्त योजना में अंशदान करने के लिये किसी बंगाली लेखक को आमंत्रित नहीं किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल): (क) जी,हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Expansion of Telephone and Telegraph Services in Madhya Pradesh

3234. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the scheme for the expansion of Telphone services and the setting up of Telegraph Offices in rural areas of Madhya Pradesh during the Fourth Plan;

(b) whether Government are satisfied with this progress; and

(c) if not, the fresh targets fixed and the new schemes formulated in this regard during the Fourth Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Since the beginning of Fourth Five Year Plan period, 34 Public Call Offices, 17 telephone exchanges and 48 telegraph offices have been opened in rural areas of Madhya Pradesh.

(b) Yes, Sir.

(c) Question does not arise.

Distribution of Benami and Fallow Land in Madhya Pradesh

3235. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State : whether Government have taken any steps to distribute the Benami and the fallow land in Madhya Pradesh among landless farmers, particularly among Adivasis and Harijans ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : In Madhya Pradesh legislation for imposition of ceiling on land holdings was enacted in 1960. It came into force with effect from 15th November, 1960. The ceiling legislation permitted the land, holders to transfer land within a period of 2 years from the date of commencement of the ceiling legislation by way of sale to joint farming and betterfarming societies, agricultural labourers, landless persons, displaced tenants and small holders. On expiry of the period of 2 years land held by a person in excess of the ceiling vested in the State. It is reported that 84,000 acres have thus been declared surplus so far out of which 13,000 acres have already been distributed by the State. Benami lands are treated to be lands held by the landholder and taken into account in determining the surplus lands of the landholder.

It has also been reported that about 2 lakhs acres of Government waste-lands have been distributed by Government of Madhya Pradesh in recent months among landless farmers particularly those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Opening of Public Call Offices in Madhya Pradesh

3236. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Information an Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the number of Public Call Offices proposed to be opened in Madhya Pradesh duing the year 1970-71 and the number of those opened during the year 1969-70; and

(b) the number of Public Call Offices proposed to be opened in Hoshangabad and East Nimar districts of Madhya Pradesh during the year 1970-71 and the names of places under consideration of the Department and the criteria adopted for selection of places for opening Public Call Offices ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) It is proposed to open 25 public call offices in Madhya Pradesh during the year 1970-71. 30 Public Call Offices were opened in Madhya Pradesh during the year 1969-70.

(b) During the year 1970-71, it is proposed to open one public call office in East Nimar District; but there is no proposal to open any such office in Hoshangabad District.

Proposals for opening public call offices at Siroli in Hoshangabad district and at Khakner in East Nimar District are under examination.

Proposal for opening public call offices can be initiated by any interested party. Normally such offices are opened if the schemes work out to be remunerative. But in order to exte nd telephone facility to undeveloped areas, the department has evolved a policy to provide this facility even on loss basis at certain categories of stations based on their administrative importance, population and remoteness from the general trunk telephone network. Limited number of tourist centres, pilgrim centres and Agricultural and Irrigation project sites and townships are also considered for opening of public call offices on loss basis.

चावल का निर्यात

3237. **श्री श्रद्धाकर सूपकार:** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से कुछ मात्रा में उत्तम किस्म के चावल का निर्यात करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना चावल निर्यात किया जाएगा और अनुमानत: उसकी कीमत कितनी होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) यह विचार है कि फसल वर्ष 1969-70 में निर्यात की गई 28758 मीटरी टन की मात्रा से फसल वर्ष 1970-71 (नवम्बर-अक्तूबर) में पर्याप्त अधिक मात्रा का निर्यात करने के

लिए प्रयत्न किए जाएंगे । यह मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मंडियों की स्थिति पर निर्भर करेगा ।

डाक-वस्तुओं के प्रेषण तथा वितरण में विलम्ब

3238. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत कुछ महीनों में डाक वस्तुओं के प्रेषण तथा वितरण में विलम्ब काफी बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोजगार संबंधी केन्द्रीय समिति की सातवीं बैठक

3239. **श्री नि० र० लास्कर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार से संबधित केन्द्रीय समिति की सातवीं बैठक नई दिल्ली में 6 नवम्बर, 1970 को हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किए गए थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) बैठक 8 नवम्बर, 1970 को आयोजित की गई थी।

(ख) और (ग) नियोजन सेवाओं की केन्द्रीय समिति की सातवीं बैठक के विचारणीय विषय तथा इस संबंध में समिति की सिफारिशों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

विचारणीय विषय	सिफारिशें
1. सेवानियोजन स्थिति का सिंहावलोकन 2. बेरोज़गार की स्थिति का मुकाबला करने के लिये कुछ सुझाव 3. नियोजन नीति से संबंधित आर्थिक मामलों पर विचार करने के लिए श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में एक विचार	परस्पर संबंधित इन चार मदों पर एक साथ विचार किया गया। समिति ने सिफारिश की कि बेरोजगारी की समस्या और उसको हल करने के उपायों पर योजना आयोग के तत्वावधान में आयोजित एक विशेष संगोष्ठी में विचार किया जाय अथवा विकल्प स्वरूप शीघ्र ही गठित

	गोष्ठी आयोजित करने की वांछनीयता।	की जाने वाली बेरोजगारी के सम्बंध में बनी
4.	इंजीनियरों के लिए उपलब्ध नियुक्ति अवसर।	विशेषज्ञों की समिति इन पर विचार करे।
5.	विकलांगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।	केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर दी है। राज्य सरकारों को भी यह सुझाव दिया जा सकता है कि वे इस प्रकार के केन्द्रों का विकासकरें। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के अनुभव का लाभ उठा सकतीं हैं।

कर्मचारिगों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3240. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों के तीन मुख्य वर्गों, औद्योगिक, कृषि और निर्माण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1970 से प्रत्येक महीने में सूचकांक में कितनी वास्तविक वृद्धि रिकार्ड की गई; और

(ग) उक्त प्रत्येक महीने में इन कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति औसत मजूरी कितनी थी और बढ़ते हुए निर्वाह व्यय को पूरा करने के लिये उनकी आय को कहां तक पर्याप्त समझा जा सकता है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रुख सम्बन्धी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में कोई अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार नहीं किए जाते।

(ग) श्रमिकों द्वारा अर्जित प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी के सम्बन्ध में मासिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

वर्ष मास	1949=100 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक			1960-61=100 के आधार पर कृषि श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक		
	सूचकांक का स्तर	पिछले महीने के मुकाबले में अंक परिवर्तन		सूचकांक का स्तर	पिछले महीने के मुकाबले में अंक परिवर्तन	
1669. दिसम्बर	215			189		
1970.						
जनवरी	215		–	191	+	2
फरवरी	215		–	192	+	1
मार्च	218	+	3	193	+	1
अप्रैल	220	+	2			–
मई	222	+	2	193		–
जून	225	+	3	196	+	3
जुलाई	226	+	1	198	+	2
अगस्त	227	+	1	198		–
सितम्बर	228	+	1	197	–	

डिघा (पश्चिम बंगाल) में राज्य मत्स्य पालन विकास निगम के अन्तर्गत मत्स्य पालन परियोजना

3241. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में डिघा के स्थान पर राज्य मत्स्य पालन विकास निगम की मत्स्य पालन परियोजना के अन्तर्गत चालू कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थानीय मछुए तथा मछलियों के उत्पादन में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों का उक्त परियोजना से क्या सम्बन्ध है; और

(ग) तालाब तथा अन्य स्थानों से पकड़ी गई मछलियों की बिक्री किस प्रकार की जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राजकीय मत्स्य-पालन विकास निगम लिमिटेड, पश्चिम बंगाल की डिघा मत्स्य-पालन परियोजना के अन्तर्गत 1107 एकड़ क्षेत्र है, जिसकी पूंजीगत लागत 29.12 लाख रुपये है। इसका पूर्ण विकास होने पर इससे प्रति वर्ष 7200 मन मछली प्राप्त होने की संभावना है।

सारा क्षेत्र ज्वार-भाटा के दलदल के कारण अनुत्पादक बना हुआ था और कई तालाबों तथा झीलों के निर्माण तथा लवणीय जल की किस्मों का मिश्रित-पालन करने से मार्गदर्शी परियोजना के रूप में अब तक 177 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जा चुका है और 1968-69 से मुख्य कार्य (मछली) का पालन शुरू किया गया है जिससे अच्छे परिणाम निकले हैं। मार्गदर्शी क्षेत्र के अलावा और विकास करने का भी विचार है।

(ख) 3 तकनीकी अधिकारियों के अलावा परियोजना के संचालन के लिए स्थानीय मछुओं में से कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। सुधार, मत्स्य-पालन तथा अन्य विकास कार्य स्थानीय मजदूरों तथा मछुओं को लगाकर किया जा रहा है ।

(ग) इस परियोजना से पकड़ी गई मछलियां स्थानीय लोगों तथा परियोजना क्षेत्र के समीपस्थ डिघा नगर में बेची जाती हैं।

रामताराखत (पश्चिम बंगाल) के अतिरिक्त विभाग, शाखा कार्यालय का उप-डाकघर में परिवर्तन

3242. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामताराखत के अतिरिक्त विभाग, शाखा कार्यालय को मिले-जुले उप-कार्यालय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त अतिरिक्त विभाग शाखा कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले बहुत से गांवों के निवासियों को तार देने तथा तार-मनीआर्डर देने के लिए राज्य से बाहर दूर किसी डाकघर में जाना पड़ता है; और

(ग) क्या स्थानीय लोग प्रस्तावित कार्यालय के लिए अच्छा स्थान देने के लिए तैयार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) रामताराखत के अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे संयुक्त उप डाकघर बनाने के अभिवेदन पर कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल जांच कर रहे हैं।

(ख) पश्चिमी बंगाल में मेचदा में एक उप डाकघर है। इसमें तार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह उप डाकघर रामताराखत से केवल 4 मील की दूरी पर है। पड़ौसी राज्य की सीमा 40 मील की दूरी पर है।

(ग) कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल के पास आम जनता के किसी भी व्यक्ति ने अच्छा स्थान देने की पेशकश नहीं की है।

मार्च से अक्तूबर, 1970 की अवधि में केन्द्रीय मंत्रियों के निवास स्थानों के टेलीफोनों के बारे में व्यय

3243. श्री ए० श्रीधरन् : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से अक्तूबर, 1970 की अवधि में सरकार के प्रत्येक मंत्री के निवास स्थान का टेलीफोन का कितना व्यय था;

(ख) उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके टेलीफोन के बिलों की राशि सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक रही है; और

(ग) क्या उनसे इस बीच अतिरिक्त राशि वसूल कर ली गई है और यदि नहीं तो उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) से (ग) . सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखदी जाएगी ।

Repair to Telephone Lines of Towns Around Delhi.

3244. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether telephone lines in major towns falling within a radius of two hundred or three huddred miles of Delhi often remain out of order regularly for three or four days and if so, the reasons therefor; and

(b) the steps being taken to ensure proper working of these lines and their expeditious repairs when they are out of order ?

The Minister of Stac in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The Trunk lines are interrupted now and then either due to theft of copper wire from overhead lines, or due to faults in the carrier systems. However, they do not normally remain out of order for three to four days at a stretch.

(b) The following steps are being taken to stabilise Communication services in this area :

(i) Copper-weld wire for a minimum number of pairs is being provided in New Delhi Indore-Bhopal route.

(ii) The Coaxial cable systems are being extended to cover Aligarh, Hathras, Khurjah, Bulandsher, Moradabad, Shajahanpur. Bareilly and Sitapur. These will also be extended as part of the 4th Plan to Karnal and Hissar.

(iii) The Microwave systems are being extended to Mussoorie, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pilibhit, Gurgaon, Sonepat, Indore, Bhopal.

(iv) Pending the completion of the Coaxial and Microwave systems, the staff have been instucted to restore the theft-affected lines expeditiously, and to maintain close liaison with local Police authorities.

Development of a Drug for production of Milk in Dry Cow

3245. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Indian Scientists have developed a drug by the use of which dry cows and those cows which never produced milk can produce milk, and

(b) if so, whether Government would solve the problem of milk on this basis by banning cow slaughter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The Indian Scientists have not developed such a drug. However, at the Indian Veterinary Research Institute Izatnagar and elsewhere synthetic hormones have been used to indicate the possibility of inducing lacation in barren cows and mature heifers with the use of a drug called "stillbestrol". These results are more of a nature of a fundamental discovery rather than of a practical importance. The indiscriminate use of oestrogen and progesterone and stillbestrol can do more harm than good to the animal system. The milk thus experimentally produced does not match even a part of cost of feeding the animal and the cost of hormone therapy involved. According to the present stage of scientific knowledge, the hormone therapy on a mass scale cannot be advocated.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक लेखा तथा अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि

3246. **देवराव पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कुछ ऐसे अधिकारियों (वैज्ञानिक तथा लेखा विभाग में) के पद क्या हैं जिनकी सेवा की अवधि में वर्ष 1970 में इस आधार पर वृद्धि की गई है कि उनका स्थान ग्रहण कर सकने वाले अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) इन पदों पर उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कब कार्यवाही आरम्भ की गई थी; और

(ग) इन पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब (शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	पद का नाम	सेवा वृद्धि की अवधि		कार्यवाही आरम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति
		से	तक		
1.	कृषि रासायन के प्रभाग का प्रमुख	2-1-70	31-5-70	26-6-69	नये व्यक्ति ने 1-6-70 को कार्यभार संभाल लिया।
2.	कृषि वायोकैमिस्ट्री के प्रभाग का प्रमुख	1-6-70	31-8-70	25-10-69	नये व्यक्ति ने 1-9-70 को कार्यभार संभाल लिया है।
3.	माइक्रोवायौलौजी के प्रभाग का प्रमुख	5-9-70	31-12-70	21-7-70	पद के लिये विज्ञापन दे दिया गया है।
4.	प्लान्ट फीज्यौलौजी के प्रभाग का प्रमुख	14-8-70	31-10-70	9-7-70	डा० असाना ने जो इस पद पर कार्य कर रहे थे, 31-10-70 को कार्यभार छोड़ दिया है।
5.	मृदा समन्वयकर्ता	26-11-69	अब तक	26-7-69	चुने हुए व्यक्ति को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा है परन्तु उसने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है।
6	कार्टोग्राफर	3 12 69	अब तक	11-8-69	चुनाव समिति ने किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं समझा और पद के लिये पुनः विज्ञापन दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
7.	असिस्टेंट सिस्टेमैटिक इन्टौमौलौजिस्ट	11-1-70	31-12-70 तक या चुने हुए व्यक्ति के आने तक, जो भी पहले हो।	30-8-69	चुने हुये व्यक्ति को मैडिकल बोर्ड से परीक्षा कराने के लिए कहा गया है और मैडिकल रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

टिप्पणी :—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में लेखा सम्बन्धी कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके उत्तराधिकारी की अनुपलब्धि के कारण सेवा वृद्धि की गई हो।

महाराष्ट्र में छोटे किसानों की विकास एजेंसी योजनाओं का व्यय

3247. **श्री देवराव पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसानों सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत हाल ही में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 1969-70 और 1970-71 में अलग-अलग कितनी धन राशि दी गई ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि को कितनी योजनाओं पर व्यय किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र राज्य को छोटे कृषकों के विकास अभिकरण सम्बन्धी 3 परियोजनायें आवंटित की गई हैं परियोजना के लिए चुने गए जिले ये है :

(1) रत्नागिरि-सतारा जिले, (2) थाना-नासिक जिले, (3) भण्डारा जिला। चूंकि परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार होनी थीं, इसलिए 1969-70 के दौरान कोई रकम मंजूर नहीं की गई। इन योजनाओं को 7 अगस्त, 1970 को सचिवों की समिति में मंजूर किया गया था। अभिकरण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर 1970-71 के दौरान छोटे कृषकों के विकास अभिकरण रत्नगिरि-सतारा को 3.085 लाख रुपए और छोटे कृषकों के विकास अभिकरण थाना-नासिक को 3.05 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। भण्डारा के छोटें कृषक विकास अभिकरण के लिए कोई रकम मंजूर नहीं की गई, क्योंकि अभी इस अभिकरण की स्थापना होनी है।

(ख) छोटे कृषकों के विकास अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अनुदान दिया जाता है। इन अभिकरणों की स्थापना हाल ही में की गई है और आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के दौरान स्वीकृत हुई राशि व्यय हो जाएगी।

Implementation of Rural Development Programme in Ahmed Nagar and Sholapur District of Maharashtra

3248 **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Ahmednagar and Sholapur Districts of Maharashtra have been selected for the purpose of implementing rural development programme there;

(b) if so, whether any Master Plans for these districts have been prepared; and

(c) the amount given for this programme and the expenditure incurred so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir, These are two of the six Districts selected in the State of Maharashtra for the implementation of rural works Programme.

(b) Not yet. The Maharashtra Government has been requested to formulate Master Plans for each selected district.

(c) Of the total provision of Rs. 100 crores for four-year period from 1970-71 to 1973-74, each selected district would have an allocation of about Rs. 2 crores for the four-year period. The following outlays have been approved for the scheme to be implemented during 1970-71 under rural works programme in these two districts:—

	(Rs. in lakhs)
1. Ahmednagar	28.25
2. Sholapur	26.56

The State Government has been requested to furnish to the Ministry Quarterly Progress Report. As the programme has been sanctioned recently, no report has so far been received from the State Government.

राज्यवार विकास के लिये जिलों का चुनाव

3249. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास के लिए कुछ जिलों को विशेष रूप से चुना गया है और यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

(ख) प्रत्येक जिले के लिए विशेष रूप से नियत की गई राशि कितनी है तथा उसका किस प्रकार खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन जिलों के चुनाव तथा निधि नियतन के लिए क्या कसौटी अपनाई जा रही है; और

(घ) क्या राजस्थान में जेलौर जिले को चुना गया है और यदि हां, तो क्या नियतन की गई राशि को पर्याप्त समझा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब (शिन्दे) : (क) से (घ). लम्बी अवधि के उत्पादन कार्यों को संगठित करके देश के बार-बार सूखे से प्रभावित होने वालेक्षेत्रों की सहायता तथा विकास के लिए भारत-सरकार ने ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों में बार-बार सूखे से प्रभावित होने वाले 53 जिलेचुने गए हैं (सूची अनुबंध 1 में दी गई है)। वर्ष 1970-71 से 1973-74 की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए नान-प्लान केन्द्रीय क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। चार वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक चुने हुए जिले में 2 करोड़ तक की राशि व्यय होने की सम्भावना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखे से शीघ्रप्रभावित होने वाले क्षेत्र का चुनाव वर्षा की सीमा तथा प्रतिमान । सूखे का पड़ना तथा इसकी बारंबारता, सिंचित क्षेत्र की सीमान तथा अन्य संचित बातों जैसे कुछ लक्षित मापदंड के आधार पर किया गया है। उत्पादन बढ़ाने वाली तथा श्रम-प्रधान योजनाओं पर बल दिया जाएगा; जो सूखे की परिस्थितियों को कम करने में योगदान देंगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यम तथा लघु सिंचाई (सब पहलुओं) आदि विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं, भूमि संरक्षण तथा वनारोपण तथा संचार व्यवस्थायें शुरू की जाएंगी। प्रत्येक चुने हुए जिले के लिए एक मास्टर प्लान तैयार की जायेगी। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम की क्रियान्विति के समय सूखे की परिस्थितियां मौजूद रहने पर इन मास्टर प्लानों से सूखे से राहत पाने की परियोजनायें शुरू की जायेंगी। इस कार्यक्रम से बार-बार सूखे से प्रभावित होने वाले जिलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की भी सम्भावना है। इससे ग्रामीण मजदूर मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे।

अब तक विभिन्न राज्यों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 53 जिले चुने गये हैं। राजस्थान में चुने गये 10 जिलों में जेलौर भी शामिल है। समग्र रूप से देखा जाये तो राजस्थान सरकार ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के 10 जिलों के लिये 20 करोड़ रुपये तक की सहायता के लिए हकदार होगी, जिसमें से जेलौर जिले का भाग 2 करोड़ रुपये होगा। फिर भी ऐसे वास्तविक क्षेत्रों पर निर्भर रहते हुए, जिनकी ओर चुने हुए जिलों में ध्यान देने की आवश्यकता हैं, निधि के अन्तः जिला समंजन की भी अनुमति दे दी गई है।

विवरण

ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम

ग्राम निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये चुने हुये 53 जिलों की सूची

क्र० सं०	राज्य का नाम	जिले का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. अनन्तापुर
		2. कुरनूर

क्र० सं०	राज्य का नाम	जिले का नाम
		3. कुडाणा
		4. चित्तूर
		5. महबूब नगर
2.	बिहार	1. मुंगेर
		2. पालामाऊ
		3. तीन तहसीलों के लिये

एकक अर्थात गया जिले की नवदा तहसील और शाहाबाद जिले की मथाऊ और ससारम तहसीलें।

3.	गुजरात	1. पंच महल
		2. कछ
		3. जाम नगर
		4. राजकोट
		5. अमरेली
		6. वानास्कान्या
		7. सुरेन्दर नगर
4.	हरियाणा	1. मोहिन्दर गढ़
5.	मध्य प्रदेश	1. झाबुआ
		2. धार
		3. सिद्धी
		4. चिहिन्त होना है
6.	महाराष्ट्र	1. अहमद नगर
		2. शोलापुर
		3. नासिक
		4. पूना
		5. सतारा
		6. संगली
7.	मैसूर	1. बीजापुर
		2. चित्तरदुर्ग
		3. कोलार

क्र० सं०	राज्य का नाम	जिले का नाम
		4. धरवार
		5. बैलगाम
8.	उड़ीसा	1. कालाहाडी
		2. बुथ फुलबानी
9.	राजस्थान	1. जैसलमेर
		2. बारमेर
		3. पाली
		4. जालोर
		5. बीकानेर
		6. चुरू
		7. जोधपुर
		8. बंसवारा
		9. कागोर
		10. डूंगारपुर
10	तमिल नाडु	1. धर्म पुरी
		2. रामानायापुरम
11.	उत्तर प्रदेश	1. मिर्जापुर
		2. बांदा
		3. इलाहाबाद
		4. वाराणसी
		5. हमीर पुर
		6. जलौन
12.	पश्चिम बंगाल	1. पुरुलिया
		2. मिदनापुर और बंकुरा एक एकक
	जोड़	53

ट्रालरों का आयात

3250. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय फर्म ने गहरे समुद्र से मछली पकड़ना आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या इन फर्मों ने विदेशी ट्रालरों के आयात करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है क्योंकि भारतीय ट्रालर अधिक उपयुक्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो ट्रालरों के आयात के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयान अब देश में बनाए जा रहे हैं । चूंकि जलयानों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी अत: यह आवश्यक है कि जलयान बनाने के लिए देशीय क्षमता का विकास किया जाए । पूर्णरूप से आयातों पर निर्भर करना देश के हित में नहीं होगा । चाहे शुरू में बने हुए जलयान अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरे न उतरें, फिर भी अनुभव के आधार पर उनमें सुधार किया जा सकता है । साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि मछली पकड़ने के उद्योग की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों को सीमित संख्या में आयात करने के लिए 1968 में एक योजना चालू की थी । इस योजना की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि प्रत्येक दो आयातित जलयानों के मुकाबले में एक जलयान देश में बनाया जाये । इस योजना के अन्तर्गत 15 देशीय निर्मित जलयानों से सम्बद्ध 30 जलयानों को आयात करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं । इस योजना में 12 पार्टियां भाग ले रही हैं ।

विदेशी पार्टियों के सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनाओं की स्थापना के लिए सात पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इन प्रस्तावों में सहयोग के प्रबन्धों के अन्तर्गत मछली पकड़ने के जलयानों को आयात करना शामिल है । चूंकि इस समय उपरोक्त उल्लिखित योजना के अन्तर्गत आयात करने के सिवाय मछली पकड़ने के जलयानों को आयात करने की अनुमति नहीं है अत: इन प्रस्तावों के बारे में कुछ निश्चय नहीं हो सका है ।

फिर भी, स्थिति पर निरन्तर दृष्टि रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्हित हो सके कि मछली पकड़ने के उद्योग की आवश्यकताओं और उद्योग द्वारा अपेक्षित उपकरणों में आत्म निर्भरता के विकास की आवश्यकता के बीच उपयुक्त संतुलन रखा जा रहा है ।

राजस्थान के रेगिस्तान को 12 वर्षों में चरागाह में बदलने के लिए योजना

3251. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के विशेषज्ञों की रिपोर्टों के अनुसार पर्याप्त केन्द्रीय सहायता से राजस्थान के खुश्क रेगिस्तान को 12 वर्ष की अवधि में चरागाह में बदला जा सकता है;

(ख) क्या उपर्युक्त सिफारिश विशेषज्ञों की व्यावहारिक जांचों पर आधारित है; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। अध्ययन दल की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। हां, सिफारिशों के सारांश में यह कथन सम्मिलित है: —

"रेगिस्तान क्षेत्रों को एक पीढ़ी में हरी चरागाहों और खेतों में बदलना एक स्वप्न मात्र प्रतीत होता है, परन्तु इस स्वप्न को साकार करना हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं।"

(ख) जी नहीं। अध्ययन दल ने क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ित क्षेत्र का 3 सप्ताह का 2,500 कि० मीटर का सड़क द्वारा जैसलमेर, बारमेर, गंगानगर, जोधपुर और बीकानेर के जिलों का, जो पिछले जून-जुलाई में रेत के तूफान से प्रभावित हुए थे, दौरा करके सिफारिशें की थीं।

(ग) सारी सिफारिशों की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**—4478/70]

फिर भी यहां यह बताया जा सकता है कि सरकार द्वारा भेजे गए एक और विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में रेत डून बनाने और वनारोपण करने की योजनाओं का काम चौथी योजना में 1 करोड़ रुपये के परिव्यय से चल रहा है।

सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल करना

3252. **श्री हरदयाल देवगुण**: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार विभाग के समस्त कर्मचारियों को इस बीच नौकरी पर बहाल कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक कितने कर्मचारी निलम्बित हैं ;

(ग) उनको नौकरी पर बहाल नहीं करने के क्या कारण है ;

(घ) क्या कुछ मामलों पर अभी तक पुनर्विलोकन हो रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचारविभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 19 सिम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के लिए जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। या सेवा से हटाया गया था, उन सब को फिर से सेवा पर बहाल कर दिया गया है। सिवाय दिल्ली सर्कल के 3 अस्थायी कर्मचारियों के जो दूसरे मामलों में भी ग्रस्त हैं और केरल सर्कल के एक कर्मचारी के जिसे कहा गया है कि बहाली से पहले वह एक घोषणापत्र लिख कर दे। इनके अतिरिक्त केरल सर्कल के चार कर्मचारी भी जिन्हें या तो सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है।

(ख) कोई नहीं

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) भाग (क) के उत्तर के अन्त में जो 4 कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है, उनमें से तीन की पुनरीक्षण की जा रही है।

स्वामी विवेकानन्द के जीवन और उनके उपदेश के बारे में नाटक

3253. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत तथा नाटक विभाग ने हाल ही में कन्याकुमारी (तमिलनाडु) में स्वामी विवेकानन्द के जीवन और उनके उपदेश के बारे में एक नाटक खेला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सफल नाटक के अन्य बड़े नगरों में भी दिखाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) गीत तथा नाटक प्रभाग ने स्वामी विवेकानन्द के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर 25, 26 27, 28 तथा 29 अक्तूबर को कन्याकुमारी में एक नृत्य नाटक खेला था।

(ख) जी, हां, साधन उपलब्ध होने पर।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दुरुपयोग से बचने के लिये फलीडॉल और एन्ड्राइन के वितरण को नियमित करने के लिये कार्यवाही

3254. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के कृषि विभागों ने धान के खेतों से कीटों के विनाश के लिये कृषकों में दो विषाक्त औषधियों, अर्थात् फलीडाल और एन्ड्राइन, का बांटना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या इन औषधियों के खुले बाजार में उपलब्ध हो जाने के कारण समाज विरोधी तत्व इनका दुरुपयोग कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं तथा उनका किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है ; और

(घ) इन औषधियों को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। ये औषधियां पिछले दस वर्ष से भी अधिक समय से वितरित/बेची/प्रयोग की जा रही हैं। पंजाब सरकार ने फलीडाल तथा 50 प्रतिशत पैराथिन वाले अन्य ब्रांडों पर गत वर्ष रोक लगा दी थी।

(ख) उक्त कीटनाशी औषधियां खुले बाजार में उपलब्ध हैं। समाज-विरोधी तत्वों द्वारा इन कीटनाशी औषधियों का दुरुपयोग करने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विष अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्रालय ने 1961 में राज्य सरकारों को सिफारिश की थी कि वे ऐसी 9 कीटनाशी औषधियों का उल्लेख करें जिनमें, राज्य विष नियम के अन्तर्गत एन्ड्राइन को विष के रूप में उस समय तक शामिल किया जाएगा जब तक भारतीय कीट-नाशी अधिनियम को लागू नहीं किया जाता। कीटनाशी अधिनियम इस बीच पारित किया जा चुका है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाए जा रहे हैं और उन्हें शीघ्र लागू किया जायेगा।

चीनी का निर्यात

3255. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी चीनी का निर्यात हुआ और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें निर्यात किया गया है; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अन्नासाहेब शिन्दे**) : (क) और (ख) . सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	देश	निर्यात की गई मात्रा मी० टन	अनुमानित अर्जित विदेशी मुद्रा (रु० करोड़)
1967	यू० के०	78,365	4.57
	संयुक्त राज्य अमेरिका	66,273	6.98
	कनाडा	71,930	3.28
		2,16,568	14.83
1968	यू० के०	25,400	2.19
	संयुक्त राज्य	73,328	7.94
	अमेरिका	98,728	10.13
1969	यू० के०	25,400	2.9
	संयुक्त राज्य	68,550	7.5
	अमेरिका	93,950	9.85

दक्षिण को गेहूं की सप्लाई

3256. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में दक्षिण को की गई गेहूं की सप्लाई उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उनकी मांग के अनुसार खाद्य सामग्री की सप्लाई करने के पर्याप्त प्रबन्ध किए हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री अन्नासाहेब शिन्दे**) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बारहसिंगों की संख्या में कमी और उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए कार्यवाही

3257. **श्री शशि भूषण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 30 जुलाई 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारहसिंगों की संख्या में कमी और उनकी नस्ल को समाप्त होने से बचाने हेतु की गई कार्यवाही के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उपरोक्त सूचना एकत्रित करने में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तारांकित प्रश्न संख्या 93 के सम्बन्ध में दिए गये आश्वासन की पूर्ति के विषय में एक विवरण पृथक रूप से सभा पटल पर रखा जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान द्वारा बारानी खेतों के लिए एक नई प्राद्योगिकी का विकास

3258. **श्री रवि राय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 12 नवम्बर, 1970 के भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में बारानी भूमि उपज-जलपान गृह के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 672 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बारानी खेती के लिए इस नई प्राद्योगिकीय के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : चौथी योजना में 1.48 करोड़ रुपये के परिव्यय से देश में बारानी भूमि के विभिन्न भागों के लिए 24 केन्द्रों में एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना क्रियान्वित की गई है और उसे सुदृढ़ किया जा रहा है। चौथी योजना में 20 करोड़ रुपये के परिव्यय से बारानी खेती के विकास की एक परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इन स्कीमों को जारी रखा जाएगा तथा ये बारानी भूमि की परिस्थितियों में उत्पादन के सुधार में नई तकनौलौजी का विकास करेंगी।

अकाल संहिता में परिवर्तन करने की मांग

3259. **श्री रवि राय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जनता की इस मांग पर दिलाया गया है कि वर्तमान अकाल संहिता में परिवर्तन होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . राज्य अकाल संहिताएं है जो कि सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई हैं। जैसा कि सदन में 30 मई, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर में बताया गया था, स्वतन्त्रता के बाद की परिस्थितियों के सन्दर्भ में राज्य अकाल, कमी सम्बन्धी संहिताओं, मैनुअलों के कुछेक उपबन्धों में संशोधन किया गया था और हाल ही में सभी राज्य सरकारों आदि को स्थिति की समीक्षा करने के लिए फिर कहा गया है।

एक औसत भारतीय की खुराक का कैलारी मान तथा पौषणिक स्तर

3261. **श्री केवार नाथ सिंह :**
श्री अदिचन :
श्री दे० अमात :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान, जापान, अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन के व्यक्तियों की औसत खुराक की तुलना में एक औसत भारतीय की खुराक का कैलारी मान तथा पौषणिक स्तर क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय औसत खुराक की तुलना में भारतीयों की औसत खुराक का पौषणिक मान क्या है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनकी स्थिति में कितना सुधार होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). देश में विचाराधीन अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति प्रति दिन कैलारी और प्रोटीन की उपलब्धता सम्बन्धी सूचना इस प्रकार है—

देश	जिस वर्ष की तारीख	प्रति व्यक्ति कैलारी (संख्या)	प्रतिदिन उपलब्धता प्रोटीन (ग्राम)
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	1968	3240	96.1
2. सोवियत रूस	1964-66	3150	91.5
3. ब्रिटेन	1968-69	3180	88.0
4. जापान	1968	2460	75.7
5. पाकिस्तान	1967-68	2230	50.6
6. भारत	1969	1965	50.7

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना के अन्त में कैलारी और प्रोटीन की उपलब्धता मौजूदा स्तर से बढ़ जाएगी। उत्पादन वृद्धि की प्रत्याशित दर के अनुसार यह अनुमान है कि दशक के अन्त तक कैलारी की सारी और प्रोटीन की लगभग 90 प्रतिशत तक जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी।

हरियाणा में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के बारे में प्रगति

3262. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति की गई हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों के लिए स्थान प्राप्त कर लिया गया है तथा ट्रांसमीटर के लिए स्थान को अधिग्रहण करने का कार्य चल रहा है। सिविल कार्यों तथा उपकरणों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

3263. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 27 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4247 के उत्तर के संम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1970 के अन्त तक त्रिपुरा में आने वाले शरणार्थियों की कितनी संख्या है और त्रिपुरा में शरणार्थी शिवरों में इस समय कुल कितने शरणार्थी हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : 1-1-1970 से 27-11-1970 तक, 6,146 व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में आये। इस समय, त्रिपुरा के शरणार्थी शिवरों में 4,526 व्यक्ति हैं।

रोजगार के लिए त्रिपुरा सरकर की योजना

3264. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा के बेरोजगार इंजीनियरों, ओवरसीयरों, तथा शिक्षित युवकों को रोजगार तथा रोजगार के लाभप्रद अवसर, विशेषकर निजी रोजगार, प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या केन्द्र सरकार ने उस योजना को अनुमोदित कर दिया है ; और

(ग) योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

सुपर बाजार की आर्थिक स्थिति

3265. **श्री दे० अमात** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजारों को अब गंम्भीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और भडारों की सम्पूर्ति तथा उनका विस्तार करने के लिए उसके पास रुपया नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सुपर बाजारों की नवीनतम आर्थिक स्थिति क्या है ; और सुपर बाजार किन परिस्थितियों वश इस स्थिति तक पहुंचे हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ-पहाड़िया) : (क) यह सच है कि कौआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे सुपर बाजार और इसकी शाखाओं को अपने भण्डारों की पुनः पूर्ति करने तथा अपनी कुल बिक्री को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

(ख) दिल्ली सुपर बाजार तथा इसकी शाखाओं को अपने कार्यकरण के पहले तीन वर्षों अर्थात 1968-69 तक 49.19 लाख रु० की हानि हुई हैं । 1969-70 की हानि के परीक्षित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। हानि के मुख्य कारण ये हैं आरम्भ में किया गया भारी प्रवर्तन सम्बन्धी व्यय, इमारतों के किराये का बहुत अधिक भार और भारी बंधी लागत। ऊपरी व्यय में किफायत और उनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए उपाय आरम्भ किए गए हैं और अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

दूर संचार विभाग में मनीपुर की युवतियों को रोजगार देना

3266. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी तक मनीपुर की शिक्षित युवतियों को दूर-संचार विभाग में रोजगार देने की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी युवतियों ने आवेदन पत्र दिये हैं और कितनी युवतियों को रोजगार दे दिया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जुलाई 1970 में जारी किए गए विशेष आदेशों के अनुसार दो वर्ष तक के लिऐ सामान्य नियमों में ढील देकर इस बात की इजाजत दे दी गई है कि मणिपुर के एक्सचेंजों में टेलीफोन आपरेटरों को स्थानीय रोजगार कार्यालयों के जरिये भर्ती कर लिया जाए। अलबत्ता, पुरुष या महिला उम्मीदवारों में कोई भेद भाव नहीं बरता जाएगा ।

(ख) नियमों में ढील देने के बाद अभी तक कोई भी भर्ती का कार्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए, यह सूचना इस स्थिति में नहीं दी जा सकती ।

मनीपुर दूर संचार व्यवस्था की प्रगति

3267. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर के भीतरी भाग में दूर संचार व्यवस्था में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : मणिपुर राज्य में निम्नलिखित दूरसंचार सुविधाएं दे दी गई है

(क) टेलफोन एक्सचेंज	7
(ख) विभागीय तारघर	1
(ग) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घर	9
(घ) तारघर	17

मणिपुर राज्य में निम्नलिखित और सुविधाएं देने का प्रस्ताव है :-

1. तमेंगलोंग में एक स्वचालित एक्सचेंज खोलना ।

2. इम्फाल और थांबाल के टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

3. इम्फाल और तमेंगलोंग के बीच अत्युच्चावृति का संपर्क स्थापित करना।

चौथी योजना में इम्फाल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना

3268. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चौथी योजना अवधि में इम्फाल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना को सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : इम्फाल में स्वचालित एक्सचेंज लगाने का निर्णय ले लिया गया है। इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के 1972-73 के निर्माण कार्यक्रम में से उपस्कर के लिए आर्डर भी दे दिया गया है। इमारतों के डिजाइन तैयार करने का काम हाथ में लिया जा रहा है।

यह एक्सचेंज 1974 के अंत या 1975 के शुरू में चालू किए जाने की संभावना है।

इम्फाल तक सूक्ष्म तरंग सम्पर्क का विस्तार

3269. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इम्फाल तक सूक्ष्म-तरंग सम्पर्क का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : जी हां। जोरहट से इम्फाल के लिए दीमापुर और कोहिमा के मार्ग से सूक्ष्मतरंग सम्पर्क के विस्तार की एक परियोजना पर कार्य चल रहा है और इसके 1973 में पूरा हो जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बाबतपुर गांव में डाक वस्तुओं की डिलीवरी में विलम्ब

3270. **श्री राज देव सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) क्या कुछ मामलों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में बाबतपुर क्षेत्र के आसपास के गांवों में डाक अधिकारी अपनी इच्छा से रजिस्ट्री तथा साधारण पत्रों और पार्सलों की बहुत विलम्ब से डिलीवरी करते हैं और कभी-कभी तो पत्रों आदि की डिलीवरी अनधिकृत व्यक्तियों को कर दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता क्षेत्र में संसद-सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था

3271. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री० स० मो० बनर्जी :
श्री सरदार अमजद अली :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता क्षेत्र में कुछ संसद-सदस्यों के सामान्य निवास स्थानों पर टेलीफोन लगवाने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे टेलीफोन लगवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार के लिए ये टेलीफोन दिलाना सम्भव भी है, यदि हां, तो कब तक;

(ङ) क्या किसी संसद-सदस्य ने इस विफलता के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(च) इस अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख). श्री चितरंजन राय और सरदार अमजद अली के मामले में कनैक्शन नहीं दिए जा सके।

(ग) तथा (घ) चितरंजन राय का कनैक्शन नजदीक के टेलीफोन एक्सचेंज से 10 किलोमीटर के घेरे के बाहर पड़ता है। यदि वे विशेष किराया और गारण्टी की शर्तें स्वीकार करें तो उनके व्यक्तिगत घरों पर यह कनैक्शन दिया जा सकता है। सरदार अमजद अली के लिए कनैक्शन लगाने का काम चल रहा है और शीघ्र ही इसके लगाए जाने की सम्भावना है।

(ङ) जी हां।

(च) सम्बन्धित माननीय सदस्यों को स्थिति बता दी गई है।

Installation of telephones in rural areas during Fourth Plan, State wise

3272. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the number of telephones installed by Government in the rural areas of different States in the country during the last three years; and

(b) the number of telephones proposed to be installed in the rural areas of different States, State-wise, during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The number of Public Call Offices and Telephone exchanges installed in the rural areas of the different States in the country during the last three years is indicated in the Annexure 'A'. The information about telephone

connections opened from exchanges in rural areas during this period is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

(b) The number of public call offices proposed to be opened in the rural areas of the different States during the Fourth Five Year Plan period is indicated in Annexure 'B'.

So far as telephone exchanges are concerned it is proposed to open 1200 telephone exchanges in the rural areas of the country during the 4th plan period.

Annexure 'A'

Statement showing number of Public Call Offices and Telephone exchanges opened in the rural areas of different states in the country during the last three years.

Name of State	1967-68		1968-69		1969-70	
	Public Call Offices.	Telephone Exchanges	PCO	Telephone PCO Exchanges		Telephone Exchanges.
1. Andhra	27	35	56	34	76	47
2. Assam (including Manipur Tripura, NEFA, Nagaland & Meghalaya,)	20	13	13	19	13	12
3. Bihar	17	1	24	6	32	3
4. Gujarat	27	31	16	20	15	21
5. Jammu & Kashmir	9	—	—	—	6	3
6. Kerala	18	15	19	8	23	21
7. Maharashtra	52	17	42	29	45	21
8. Madhya Pradesh	22	17	33	14	32	13
9. Mysore	40	3	22	13	54	16
10. Orissa	6	5	10	2	15	6
11. Punjab (including H. P. and Haryana)	17	7	34	8	65	15
12. Rajasthan	21	7	30	22	78	10
13. Tamil Nadu	19	10	29	5	19	10
14. Uttar Pradesh	14	10	20	12	25	18
15. West Bengal	12	3	10	—	4	3
Total—	321	174	358	192	502	219

Annexure 'B'

Statement showing number of long distance public call offices proposed to be installed in rural areas in different states during the Fourth Five Year Plan.

Name of State	No. of PCOs proposed to be opened.
1. Andhra	250
2. Assam (including Manipur Tripura, NEFA, Nagaland and Meghalaya.)	80
3. Bihar	150
4. Gujarat	100

Name of State	No. of PCOs propoaed to be opened.
5. Jammu & Kashmir	25
6. Kerala	100
7. Maharashtra	150
8. Madhya Pradesh	125
9. Mysore	170
10. Orissa	80
11. Punjab (including H. P. & Haryana)	150
12. Rajasthan	200
13. Tamil Nadu	150
14. Uttar Pradesh	150
15. West Bengal	120
	Total-2000

Effect of reduced Ceiling on land on use of Machines and Food Production

3273. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether in view of reduced ceiling on land the use of the present machines would become uneconomic and it is likely to have an adverse effect on the production of Food-grains; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to eliminate this adverse effect ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Ceiling on land holdings varies considerably from State to State and in most cases even within the same State depending upon the classes of land. The ceiling limits are generally considered to be on the high side taking into account the technological development and social requirements.

The level of ceiling has been reduced in recent years in Kerala and Tamilnadu and a Bill has been passed in Assam. In Kerala, the ceiling limit which varied between 15 and 36 acres has been reduced to a level varying between 12 and 20 acres. In Tamil Nadu the ceiling limit which varied between 24 and 120 acres has been reduced to a level varing between 12 and 60 acres depending upon the class of land. In Assam the Bill provides for reduction of ceiling from 50 to 25 acres. In the present context, the reduction of the ceiling limit is not likely to have adverse effect either on machenisation or productivity.

(b) Does not arise.

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान की विभागीय पदोन्नति समिति

3274. **डा० रानेन सेन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्ष 1968, 1969 और 1970 के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारियों सुपरिन्टेडेंट ग्रेड-I तथा II के ग्रेडों में पदोन्नति करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के कौन-कौन सदस्य थे और ऐसी विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किस आधार पर किया गया था;

(ख) क्या उन प्रभाग-अधिकारियों को, जिनके अधीन अनेक मुख्य लिपिक कार्य कर रहे हैं, अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित नहीं किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) (I) वर्ष 1968, 1969 और 1970 के वर्षों में इन पदों के लिए संस्थान की विभागीय पदोन्नति समिति का गठन इस प्रकार है :—

पद	अवधि	विभागीय प्रोनति समिति का गठन
सहायक प्रशासन अधिकारी अधीक्षक ग्रेड-1	22-12-68 तक	1. निदेशक अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार सदस्य 3. उप-रजिस्ट्रार सदस्य सचिव
सहायक प्रशासन अधिकारी अधीक्षक ग्रेड-1	23-12-1968 से आज तक ।	1. मुख्य प्रशासन अधिकारी अध्यक्ष 1. तथा रजिस्ट्रार 2. प्रभाग प्रमुख निदेशक नामजद करेगा या सम्बन्धित प्रमुख स्वयमेव सहयोजित कर दिया जायेगा । 3. उप-रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव
अधीक्षक ग्रेड-II	22-12-68 तक	1. डीन अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार सदस्य 3. उप-रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव

पद	अवधि	विभागीय प्रोनति समिति का गठन	
अधीक्षक ग्रेड-II	23-12-68 के बाद	1. मुख्य प्रशासन अधिकारी तथा रजिस्ट्रार	अध्यक्ष
		2. प्रभाग प्रमुख सम्बन्धित	सदस्य
		3. उप-रजिस्ट्रार	सदस्य-सचिव

(II) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पत्र सं० फा० 2-13/68-पु० संगठन (प्र०) (3) दिनांक 14-11-1968 में निहित निर्णय के अनुसार 23-12-1968 से विभागीय प्रोनति समिति पुनर्गठित की गई। अधीक्षक ग्रेड-2 के लिए विभागीय प्रोनति समिति में 31-3-70 से वरिष्ठ लेखा अधिकारी को सदस्य के रूप में सहयोजित कर दिया गया क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण वरिष्ठ प्रशासनिक पद है और क्योंकि उन्हीं के अधीन बजट और लेखा अनुभागों में एक से अधिक पद रिक्त हुए थे तद्पश्चात् फिर भी यह निर्णय किया गया कि जिस प्रभाग प्रमुख के अधीन अधीक्षक ग्रेड 2 का पद रिक्त हो उसे भी समिति में सहयोजित किया जाए।

(ख) और (ग). गृह मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं० 1-16-68-स्थापना (डी) दिनांक 30-8-69 के पैरा 2 में यह उल्लेख किया था कि विभागीय प्रोनति समिति/समितियों के आकार के बारे में मन्त्रालय/विभाग को स्वयं ही निर्णय लेना चाहिए। संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों और अन्य अनुसंधान केन्द्रों का एक ही अनुसचिवीय संवर्ग होने के कारण यह अनुभव किया गया कि जब कई पद रिक्त हों और वरिष्ठता सूची में से विचारणीय क्षेत्र भी विस्तृत हों तब विभागीय प्रोनति समिति में प्रायः सब प्रभाग प्रमुखों तथा लगभग 30 से अधिक कार्यालयों के प्रमुखों को सहयोजित करना पड़ेगा। स्पष्टतः यह क्रियात्मक न होने के अतिरिक्त वैज्ञानिकों का समय भी नष्ट करेगा। यह भी अनुभव किया गया कि मुख्य प्रशासन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार जो कि अनुसचिवीय श्रेणी 3 में हैड क्लर्कों तथा अधीक्षण ग्रेड III के पदों के कार्य के संवीक्षा अधिकारी है, उन्हें विभागीय प्रोनति समिति में अध्यक्ष के रूप में शामिल करना पूर्णतः प्राकलन समिति की 47वीं रिपोर्ट में दिए गए अनुदेशों के अनुसार है जो कि गृह मंत्रालय के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रोनति समिति अभ्यर्थी की उपयुक्तता का मूल्यांकन कर्मचारी के कार्य और व्यवहार पर सम्बन्धित प्रभाग प्रमुख कार्यभार अधिकारी, जिसके अधीन वह कार्य करता है, द्वारा लिखी चरित्र पुस्तिका के आधार पर किया जाता है जिसकी मुख्य प्रशासन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार संवीक्षा करता है। फिर भी जैसा कि ऊपर कहा गया है जिस प्रभाग में पद रिक्त होता है उसके प्रमुख को अब विभागीय प्रोनति समिति के साथ सहयोजित किया जाता है। यहां भी सहयोग की दृष्टि से प्रभाग प्रमुख को महत्व दिया जाता है जिसके अधीन रिक्त पद होता है, न कि उसे जिसके अधीन मुख्य लिपिकों ने काम किया हो।

Direct Dialling System between Bhind and Etawah

3275. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the progress made so far in regard to the already accepted scheme to introduce direct dialling system, between Bhind in Madhya Pradesh and Etawah in Uttar Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : Provision of a direct trunk line connecting Bhind and Etawah has been approved but there is no proposal at present to introduce subscriber trunk dialling between these two stations as the trunk traffic does not justify it.

Estimates for construction of the direct line have been prepared and sanctioned. Essential stores and materials required for its execution are being collected but as there are a number of items in acute short supply, the work is likely to be delayed.

Introduction of Three-Tier Panchayati Raj System

3276. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State the details of the steps taken in regard to the introduction of three-tier Panchayati Raj system in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. C. Jamir) : The Central Governmet has been constantly urging upon the State Governments the need for early implementation of the Panchayati Raj programme. The approach to policy on Community Development and Panchayati Raj was last considered by the Conference of States' Chief Ministers and Ministers in charge of Community Development and Panchayati Raj held at Madras in June, 1968. The Conference recommended that "Panchayati Raj as the instrument of democratic decentralisation should continue, thequestion of three-tier or two-tier structure being left to the option of the States." A statement indicating state-wise position in regard to the Panchayati Raj structure is attached. [**Placed in Library See No.L.T. 4479/70**]

आरेलाम फार्म (केरल) का कार्यकरण

3277. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में रूस की सहायता से स्थापित किये गये आरेलाम फार्म के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या फार्म का कार्य इस वर्ष के अन्त से पूर्व शुरू हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिंदे) : (क) केरल के कन्नानौर जिले में जो केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित हो रहा है उसके

अन्तर्गत लगभग 4,800 हैक्टार क्षेत्र होगा। अब तक लगभग 2,930 हैक्टार क्षेत्र ले लिया गया है। केरल सरकार शेष भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाही कर रही है।

(ख) जी नहीं। अर्जित भूमि पर खड़े वृक्षों के मुआवजे सम्बन्धी मामले अभी न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हुए हैं। अतः अर्जित की गई भूमि के वनों को साफ करने का काम सम्भव नही है। फार्म के लिए मशीनरी आनी शुरू हो गई है और कुछ तो कन्नानौर भी पहुंच गई है। भूमि के एक भाग में वन नहीं है और आशा है कि आगामी वर्ष के शुरू में इस भूमि पर खेती का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

अखिल भारतीय फिल्म परिषद को केरल फिल्म वाणिज्य मन्डल का प्रतिनिधित्व

3278. **श्री ई० के० नायनार : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल फिल्म वाणिज्य मण्डल की कार्यकारी समिति द्वारा 26 अगस्त, 1970 को पारित एक संकल्प प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त मंडल ने मांग की है कि अखिल भारतीय फिल्म परिषद में मंडल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म परिषद की स्थापना और उसके गठन को अन्तिम रूप देते समय केरल फिल्म वाणिज्य मन्डल की प्रार्थना को ध्यान में रखा जायेगा।

लुधियाना में स्वःचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए अभ्यावेदन

3279. **श्रीमती निर्लप कौर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को लुधियाना के उद्योगपतियों द्वारा नगर में स्वःचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या स्वचालित एक्सचेंज की नई इमारत दो वर्ष पहले पूरी हो चुकी थी किन्तु स्वःचालित एक्सचेंज के उपकरण लुधियाना से रोहतक भेज दिये गये थे। और

(ग) यदि हां, तो रोहतक जैसे छोटे शहर को लुधियाना की तुलना में प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसरण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह बिलकुल गलत है और लुधियाना से कोई उपकरण रोहतक नहीं भेजा गया है। लुधियाना में स्वचालित एक्सचेंज की इमारत जुलाई, 1969 में पूरी हो चुकी थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में कपास, ज्वार और मूंग पर पौधों के रोगों तथा कृमि कीटों और भारी वर्षा का प्रभाव

3280. **श्री यादव शिवराम महाजन्**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, विशेषकर मराठवाड़ा, विदर्भ, जलगांव, धूलिया और नासिक ज़िलों के कितने क्षेत्र में भारी वर्षा तथा कृमि-कीटों और पौधों के रोगों से कपास, ज्वार और मूंग की फसल पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को सहायता देने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो सहायता किस रूप में दी जाएगी और यह राशि कितनी होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विपणन माला

3281. **श्री प० सुदर्शनम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विपणन माला बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : देश के अधिकांश भाग में कृषि उत्पादों के लिए पहले से ही संग्रहण मण्डियों का जाल बिछा हुआ है। कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा 1961-62 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उस वर्ष देश भर में ऐसी मण्डियों की संख्या 3406 थी। अधिक-अधिक मण्डियों को नियमित करने

के लिए एक योजना मौजूद है ताकि उन के कार्यों को सुव्यवस्थित किया जा सके और उत्पादको तथा उपभोक्ताओं के आपसी व्यवहार में सदभावना को सुनिश्चित किया जा सके। चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में नियमित मण्डियों और उप-मन्डी यार्डों की संख्या 1844 थी। 31 मार्च, 1970 तक 2070 मण्डियां नियमित की जा चुकी थी। चौथी योजना की अवधि में 1300 मण्डियों और उप-मण्डी यार्डों को नियमित करने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार का समग्र क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन कुछ क्षेत्रों में नई कृषि मण्डियों के निर्माण और स्थापना करने का भी विचार है। ये कार्यक्रम नवसिंचित परियोजना क्षेत्रों में आरम्भ किए गए हैं ताकि वहां नई मण्डियां और उनसे मिलाने वाली ग्रामीण सड़कों की व्यवस्था की जाए। इस कार्यक्रम के अधीन उचित केन्द्रों पर नियमित मण्डियां बनाई जायेंगी और आस पास के क्षेत्रों को मिलाने केलिए सब मौसमों में खुली रहने वाली सड़के बनाई जायेंगी। इन कार्योंका व्यय केन्द्रीय क्षेत्र से पूरा किया जाएगा और योजनाओं का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारें करेगी। किसी कमांड क्षेत्र को उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि सम्बन्धित राज्य सरकार उन सब अन्य आवश्यक सेवाओं और आदानों का प्रबन्ध करे जो नीचे दी गई है :—

(क) उन्नत प्रशासनिक प्रबन्ध।

(ख) भूमि सर्वेक्षण।

(ग) भूमि को समतल तथा ठीक करना।

(घ) उचित सिंचाई पद्धतियों और जल निकास आवश्यकताओं का निर्धारण।

(ड़) फसल पद्धत्तियां।

(च) भूमि की चकबन्दी।

(छ) ऋण, बीज, उर्वरक, कीटनाशी ओषधियों और कृषि मशीनरी आदि आदानों की व्यवस्था।

(ज) अनुसंधान के लिए एक पर्याप्त आधार का निर्माण।

(झ) विस्तार, कृषकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।

(ण) मण्डी के आस-पास कस्बों और नए मण्डी केन्द्रों की व्यवस्था।

(प) परिसंस्करण सम्बन्धी उद्योग।

अभी तक इस कार्यक्रम में 10 कमांड क्षेत्र शामिल किए गए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इन कमांड क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त क्षेत्र शामिल करने के प्रश्न पर अधिक धन उपलब्ध होने पर ही विचार किया जाएगा।

छोटे कृषकों और कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए भारत सरकार ने हाल में ही दो परियोजनायें शुरू की है, अर्थात छोटे कृषकों की विकास विषयक एजेन्सी और उपान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास एजेन्सी। इन परियोजनाओं में, आदानों और ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त कृषि मण्डियों के विकास के लिए भी साधारणत: धन उपलब्ध किया गया है ताकि छोटे और उपान्त कृषकों के बढ़े हुए उत्पादों को लाभप्रद ढंग से बेचा जा सके। 20 राज्यों में छोटे कृषकों की विकास एजेन्सी के अधीन 46 परियोजनायें और उपान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास एजेन्सी के अधीन 40 परियोजनायें आरम्भ की जाएगी जिनके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

रेलवे के पंजीकृत कार्मिक संघों के संरक्षित कर्मचारी घोषित किये गये पदाधिकारी

3282. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 और औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1967 के नियम 61 के उपबन्धों के अन्तर्गत नियोक्ता को पंजीकृत कार्मिक संघों संस्थाओं में पदाधिकारियों को संरक्षित कर्मचारी घोषित करना होता है;

(ख) क्या नियोक्ता द्वारा पंजीकृत कार्मिक संघों संस्थाओं के पदाधिकारियों को संरक्षित कर्मचारी घोषित करने में असफल रहने पर सहायक श्रम आयुक्त को उन्हें 'संरक्षित कर्मचारी' घोषित करने की शक्ति है;

(ग) क्या रेलवे के कार्मिक संघों संस्थाओं ने अपने पदाधिकारियों को 'संरक्षित कर्मचारी' घोषित कराने हेतु श्रम आयुक्त से सम्पर्क स्थापित किया है;

(घ) क्या श्रम आयुक्त ने किसी पदाधिकारी को अभी तक संरक्षित कर्मचारी घोषित नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों के कार्मिक संघों संस्थाओं ने अपने पदाधिकारियों को संरक्षित कर्मचारियों घोषित कराने हेतु अजमेर, बम्बई तथा दिल्ली के प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त को कितने आवेदन पत्र दिए हैं; और

(च) श्रम आयुक्त द्वारा उसके पास दर्ज आवेदन पत्रों पर जैसा कि उपरोक्त भाग (ङ) में उल्लिखित है; क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) . औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (3) के अन्तर्गत की गई व्याख्या के अनुसार 'संरक्षित कर्मकार' वह व्यक्ति है जिसे प्रतिष्ठान से सम्बन्धित पंजीकृत मज़दूर यूनियन के अधिकारी होने के नाते, इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अनुसार इस प्रकार की मान्यता प्राप्त है। "संरक्षित कर्मकार" के रूप में मान्यता

दिए जाने वाले कर्मकारो की संख्या अधिनियम की धारा 33 (4) के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमावली, 1957 के नियम 61 में नियोजक द्वारा संरक्षित कर्मकारों की मान्यता के लिए आवेदन- पत्रों से संबन्धित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त नियमावली के नियम 61 (4) के अधीन, जब संरक्षित कर्मकार की मान्यता के सम्बन्ध में किसी मामले में किसी नियोजक और किसी पंजीकृत मजदूर यूनियन में कोई विवाद उत्पन्न हो जाय, तब वह विवाद सहायक श्रमायुक्त के पास भेजा जायगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(ग) और (घ). कुछ मजदूर संघों एसोसिएशनों ने इस सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त से सम्पर्क स्थापित किया है। श्रम आयुक्त द्वारा कर्मकारों को 'संरक्षित कर्मकार' घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ड़) पांच आवेदन-पत्र दो-दो सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) बम्बई और अजमेर के समक्ष और एक सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), दिल्ली के समक्ष।

(च) तीन मामले सम्बन्धित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास अनिर्णीत पड़े हैं। शेष दो आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में स्थिति मालूम की जा रही है।

चावल के लिए दक्षिण जोन बनाने से इन्कार

3284. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन आधारों पर चावल के लिए एक दक्षिण जोन बनाने से इन्कार किया है;

(ख) क्या केवल तमिल नाडु ने ही आपत्ति की थी और यदि हां, तो शेष तीन रजामंद राज्यों को मिलाकर एक जोन न बनाए जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) आगामी वर्ष में दक्षिण जोन में अनुमानित कितना उत्पादन होगा और कितनी खपत होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). चावल के दक्षिणी जोन में उस क्षेत्र के सभी राज्य सम्मिलित किए जाने पड़ते हैं और क्षेत्रों के सम्बन्ध में सरकार की राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। तमिल नाडु एकल राज्य क्षेत्र के पक्ष में है जबकि मैसूर और आन्ध्र प्रदेश वर्तमान प्रतिबंधों को उदार बनाने के पक्ष में हैं। इस प्रश्न पर केरल का कोई विशिष्ट विचार नहीं है। हाल ही में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर मतैक्य था कि चावल-क्षेत्रों के सम्बन्ध में यथावत् स्थिति बनाई रखी जाय ताकि अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति, विशेषकर 1971 के बाद सभी रियायती आयातों को समाप्त करने के संबंध में सरकार के निर्णय के संदर्भ में, की जा सके।

(ग) दक्षिणी राज्यों में आगामी वर्षों में कितना उत्पादन या खपत होगी उसके संबन्ध में कोई ठीक-ठीक मात्रात्मक अनुमान बतलाना कठिन है क्योंकि ये विभिन्न तथ्यों, जिनका अभी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, पर निर्भर करेगा ।

दूसरी श्रेणी की डाक प्रणाली चलाना

3285. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक संसद सदस्य द्वारा प्रस्तावित दूसरी श्रेणी की डाक प्रणाली के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है जो कि ब्रिटेन में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है तथा जिसके डाक दरों में वृद्धि से पूर्व की दरों पर चलाए जाने में हमें उतना ही राजस्व प्राप्त हो सकता है जितना पहले होता था; और

(ख) दूसरी श्रेणी की डाक सेवा का चुने हुए क्षेत्रों में परीक्षण क्यों नहीं किया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य मुझे 25 अगस्त, 1970 को लिखे गए पत्र में दिए गए सुझाव का उल्लेख कर रहे हैं। मैंने माननीय सदस्य को अपने पत्र संख्या 1-16/70 आर० दिनांक 17 नवम्बर 1970 द्वारा भेजे गए विस्तृत उत्तर में यह बताया था कि ब्रिटेन में प्रचलित दो श्रेणियों की डाक प्रणाली भारत में क्यों नहीं अपनाई जा सकती ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में हड़ताल के कारण जन-दिवसों की हानि

3286. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 6 महीनों में सरकारी क्षेत्र के कारखानों में हड़ताल के कारण कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : उपलब्ध अन्तः कालीन सूचना के अनुसार, मार्च से अगस्त, 1970 की समयावधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में हड़ताल के कारण 735,979 श्रम-दिनों की हानि हुई।

चीनी के आरक्षित भंडार बनाने संबंधी नीति में परिवर्तन

3287. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने इस आशय का कोई वक्तव्य दिया है कि सरकार चीनी के आरक्षित भंडार बनाने के पक्ष में नहीं है;

(ख) क्या सेन आयोग तथा टैरिफ आयोग (1969) ने आरक्षित भण्डार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की चीनी के आरक्षित भंडार न बनाने की नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क). वित्त मंत्री ने यह मत व्यक्त किया था कि चीनी का बफर स्टाक तैयार करना सरकार के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं होगा क्योंकि वित्तीय साधन इसके मार्ग में बहुत भारी रुकावट है। उन्होंने यह भी कहा था कि चीनी के स्टाक के लिए किस प्रकार वित्तीय सहायता दी जा सकती है, इस मामले पर सरकार को विचार करना था।

(ख) जी हां। सेन आयोग ने सिफारिश की थी और जिसे टैरिफ आयोग ने अनुमोदित किया था कि चीनी का बफर स्टाक तैयार किया जाना चाहिए।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

गन्ने के मूल्यों में परिवर्तन द्वारा गन्ना उत्पादकों की सहायता

3288. **श्री दण्डपाणि :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री सामिनाथन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977-71 के लिए गन्ने के मूल्यों में कुछ परिवर्तन करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से गन्ना-उत्पादकों को कितनी सहायता मिलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार ने यह निर्णय किया है कि 1970-71 (पहली अक्तूबर, 1970 से 30 सितम्बर 1970 तक) में खरीदे गए गन्ने के लिए निर्वात पात्र (वैक्यूम पैन) चीनी कारखानों द्वारा देय मूल न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 7.37 रुपए प्रतिक्विंटल बनाए रखा जाय। तथापि, उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर अधिमूल्य (प्रीमियम) 5.36 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6.6 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(ख) यह निर्णय गन्ना पैदा करने के उद्देश्य से गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है ताकि गन्ना उत्पादक अपेक्षाकृत अधिक सुक्रोज अंश का बेहतर किस्म का गन्ना पैदा करें। इससे उन्हें उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर 6.6 पैसे प्रति क्विंटल की दर से बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

पुलिस द्वारा नागपुर में श्री कृ० मा० कौशिक के साथ कथित दुर्व्यवहार किये जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE RE. ALLEGED MANHANDLING OF SHRI K. M. KOUSHIK BY POLICE AT NAGPUR

पुलिस उपायुक्त श्री के० पद्मानाभन और पुलिस उपनिरीक्षक श्री एम० पी० चौबे का सभा-बार में परीक्षण

अध्यक्ष महोदय : 18 नवम्बर, 1970 को सभा द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के पुलिस उपायुक्त श्री के० पद्मनाभन और पुलिस उपनिरीक्षक श्री एम० पी० चौबे को 27 मई, 1970 को नागपुर रेलवे स्टेशन पर संसद सदस्य श्री कृ० मा० कौशिक पर कथित आक्रमण करके और उन्हें गाली देकर उन्होंने जो विशेषाधिकार भंग करने और इस सभा का अवमान करने के आरोप का उत्तर देने के लिए आज उन्हें सभा-बार में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है।

मैं सदन को याद दिला दूं कि विशेषाधिकारों के भंग होने तथा सभा के अवमान के मामलों को निपटाते समय यह सभा एक तरह से संसद के उच्च न्यायालय के रूप में काम करती है। अतः यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि ऐसे अवसरों पर हम समझदारी, न्यायप्रियता और ईमानदारी से कार्य करें और सभा की पवित्रता, गरिमा तथा अधिकार को बनाए रखें तथा सभा में पूर्ण शान्ति बनाए रखें। ऐसे अवसरों पर यह परम्परा रही है कि मैं गवाहों से बारी-बारी से प्रश्न पूछूं तथा उनके साक्ष्य दे कर चले जाने के बाद सभा इस मामले पर चर्चा करे और किसी निर्णय पर पहुंचे। मेरे प्रश्नों के उत्तर में वे चाहे कोई भी उत्तर अथवा वक्तव्य दें परन्तु कोई भी सदस्य न तो कोई प्रश्न पूछे और न ही बीच में टोके तथा जब तक गवाही पूरी न हो जाए और वे न्यायालय से बाहर न चले जाएं इस सम्बन्ध में कोई सदस्य किसी प्रकार का मत व्यक्त न करे।

वाच एण्ड वार्ड आफिसर।

वाच एण्ड वार्ड आफिसर : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री के० पद्मनाभन उपस्थित हैं ?

वाच एण्ड वार्ड आफिसर : जी हां, वे उपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अन्दर लाइए ।

(इसके पश्चात श्री के० पद्मनाभन को अन्दर लाया गया तथा वह सभा-बार में खड़े हुए ।)

(Shri K. Padmanabhan was then brought in and he stood at the Bar of the House)

अध्यक्ष महोदय : श्री के० पद्मनाभन आपको यहां 27 मई, 1970 को नागपुर रेलवे स्टेशन पर श्री कृ० मा० कौशिक पर कथित आक्रमण करके और उन्हें गाली देकर विशेषाधिकार भंग करने और इस सभा का अवमान करने के आरोप का उत्तर देने के लिए बुलाया गया है । अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप उनका सही और तथ्यपूर्ण उत्तर देंगे ।

क्या आप 27 मई, 1970 को जब पुलिस द्वारा श्री कृ० मा० कौशिक को रोका गया था और रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया था नागपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात थे ?

श्री के० पद्मनाभन : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री के० पद्मनाभन : आपकी अनुमति से मैं उस दिन की घटनाओं के लिए माननीय सदस्य से और इस सभा से क्षमा चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री के० पद्मनाभन, आप अब जा सकते हैं ।

(इसके पश्चात श्री के० पद्मनाभन सभा से चले गए)

(Shri K. Padmnabhan then withdrew)

अध्यक्ष महोदय : वाच एण्ड वार्ड आफिसर ।

वाच एण्ड वार्ड आफिसर : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री एम० पी० चौबे उपस्थित हैं ।

वाच एण्ड वार्ड आफिसर : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अन्दर लाइए ।

(इसके पश्चात श्री एम० पी० चौबे को अन्दर लाया गया तथा वह सभा बार में खड़े हुए ।)

(Shri M. P. Choubey was then brought in and he stood at the bar of the House.)

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० पी० चौबे, आपको यहां 27 मई, 1970 को नागपुर रेलवे स्टेशन पर श्री कृ० मा० कौशिक पर कथित आक्रमण करके और उन्हें गाली देकर विशेषाधिकार भंग करने

और इस सभा का अवमान करने के आरोप का उत्तर देने के लिए बुलाया गया है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। और आप उनका सही और तथ्य पूर्ण उत्तर देंगे।

क्या आप 27 मई, 1970 को जब पुलिस द्वारा श्री कृ० मा० कौशिक को रोका गया था और रेलवे स्टेशन के बाहर निकाला गया था नागपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात थे ?

Shri M. P. Choubey : Mr. speaker, Sir, I was on duty at the Nagpur Railway station on 27th May, 1970.

अध्यक्ष महोदय : आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

Shri M. P. Choubey : I am very sorry for the incident that occurred on the 27th May, 1970 at Nagpur Railway station and offer my apologies to the speaker and the hon. Member concerned.

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० पी० चौबे अब आप जा सकते हैं।

(इसके पश्चात श्री चौबे सभा से चले गये।)

(Shri Choubey then withdrawn)

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र राज्य के पुलिस उपायुक्त श्री के० पद्मनाभन तथा पुलिस उपनिरिक्षक श्री एम० पी० चौबे द्वारा सभा बार में आज क्षमा याचना करने पर मेरा सुझाव है कि इस मामले को यही समाप्त कर दिया जाये।

माननीय सदस्य : जी हां।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री एस० के० सम्बन्धन (त्रिरूत्ताणि) : मेरे विशेषाधिकार भंग सम्बन्धी प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे सम्बन्धित मंत्री को भेज दिया है। जब वह प्राप्त हो जायेगा मैं सभा को इसकी सूचना दे दूंगा।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. speaker, Sir I had also given notice of a privilege motion regarding A. I. R. **(Interruptions)**

Shri Mohammed Ismail (Benackpore) : Strike is going to be held in jute industries. So far no importance has been given to that by the State as well as the Central Governments

I have given a calling attention notice regarding that and I want that the same may kindly be taken up for discussion.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज तीन तारीख है तथा 5 और 6 को हम समवेत नहीं हो रहे हैं तथा 7 को पटसन उद्योग में हड़ताल होने वाली है। अत: मैं चाहता हूं कि कल ही श्रम मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें जिससे कि हड़ताल टल सके।

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : The Committee on Defections constituted on 8th December, 1970 submitted its report on 7th January, 1970 and as it is a very important issue I request that there should be discussion on this in this very session and it should be passed.

Mr. Speaker : There is no question of privilege in it. Whatever you want to say please say in two or three minutes.

Shri Shiva Chandra Jha : During the discussion on Taxation Laws Amendment Bill on the 17th November, three amendments were accepted by the Government. Out of them two amendments were mine and one was of Shri Salve. But in the Hindi news of A. I. R. on the 17th instant at 8.45 P. M. this news was distorted to show that only one amendment of Shri Salve was accepted. The explanation about this received from the Information and Broadcasting Ministry was also not satisfactory. It means that A. I R. deliberately distorted the news and as such they have committed a breach of privilege of the House. Therefore, this matter should be referred to the Privileges Committee.

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। आकाशवाणी को चाहिए वह सभा की कार्यवाही प्रसारित करते समय सावधानी बरते।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 20) की एक प्रति, जो दिनांक 30 नवम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी**—4469/70]

(2) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत पंजाब

राज्य आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली निकाय (पुनर्गठन तथा पुनर्व्यस्थापन) आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 नवम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3711 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी०—4470/70**]

स्थपति विधेयक

ARCHITECTS BILL

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : स्थपतियों सम्बन्धी कानून का सबने एक मत से स्वागत किया है तथा अब उसके सम्बन्ध में राजी हैं।

इंजीनियरों आदि की बड़ी संस्थाओं को विधेयक की सीमा से बाहर रखा गया है क्योंकि इसे मूल रूप से स्थपतियों के पेशे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। सभी इंजीनियर पुराने या नए इसके अन्तर्गत आते हैं।

अत: मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूं कि यह केवल स्थपति को सुरक्षा प्रदान करता है तथा इन्जीनियरों को डिजाइन, निर्माण तथा निरीक्षण का कार्य करने से नहीं रोकता।

सभी इन्जीनियर जो स्थापत्य-कार्य-में लगे है, फिर चाहें उनके पास स्थापत्य प्रमाण पत्र न हो, इसके अन्तर्गत अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान धारा 25 (ख) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत वे लोग अपना नाम कम से कम 5 वर्ष के लिए रजिस्टर करा सकते हैं।

जो इन्जीनियर अभी स्थापत्य कार्य में आने वाले हैं उनका प्रश्न उठाया गया है। तो उनके लिए भी, जब तक कि वे इंजीनियर कहलाते हैं स्थपति नहीं, इसके अन्तर्गत अपना नाम रजिस्टर कराने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि वे अपने आपको स्थपति के रूप में रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उन्हें सम्बन्धित बातों को पूरा करना पड़ेगा। उस समय हम उन्हें पूरी मदद देने को तैयार हैं।

यह कहा गया है कि भारतीय स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उसे बनाए रखा जाना चाहिए। मैं स्थापत्य कला अध्ययन बोर्ड से भारतीय स्थापत्य कला के अध्ययन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करने को कहूंगा।

कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि कुछ अन्य योग्यताओं को भी अनुसूची में शामिल कर

लिया जाए। इन्हें शामिल करने से पहले उनकी पूरी जांच पड़ताल करना अत्यन्त आवश्यक है और उसके लिए मैं विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने को तैयार हूं। मैं स्वयं किसी के साथ इस कारण अन्याय नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास अनुसूची में उल्लिखित प्रमाणपत्र नहीं है। अतः एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के लिए मैं धारा 14 की उपधारा (2) में एक संशोधन का सुझाव देता हूं जिससे कि पहले रजिस्टर के पूरा होने से पहले वह उसका पुनरीक्षण कर सके।

यह समिति भारतीय स्थपति संस्था की सिफारिशों पर विचार करेगी तथा उसके द्वारा सुझाई गई योग्यताओं को भी पहला रजिस्टर पूरा होने से पहले उसमें जोड़ दिया जाएगा।

इस समिति के सदस्यों का चुनाव मंत्रिमण्डल करेगा।

रजिस्ट्रेशन परिषद में नौकरशाही और सरकारी स्थपतियों का प्राधान्य है। मैं समझता हूं ऐसा कहना गलत हैं। यदि धारा 3 (3) में रजिस्ट्रेशन परिषद के गठन को देखा जाए तो ऐसा कतई पता नहीं चलता। मूल विधेयक के अनुसार प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व उसका अपना स्थपति करता था। संयुक्त समिति ने उसमें संशोधन कर दिया है और राज्यों को किसी भी स्थपति को भेजने की छूट है। इसके अतिरिक्त परिषद में केन्द्रीय सरकार के केवल तीन स्थपति हैं। अतः इस सम्बन्ध में आए अधिकतर संशोधन अर्थहीन है। मैं यहां कुछ संशोधनों को लेता हूं जिनसे इस उपबन्ध में कुछ सुधार होगा।

श्री मधुकर का संशोधन संख्या 67 परिषद का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक न रखने के सम्बन्ध में है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

दूसरा संशोधन संख्या 68 धारा 6 (5) के लिए है जिसके अनुसार एक सदस्य दोबारा चुना जा सकता है पर कोई भी सदस्य लगातार तीन बार सदस्य नहीं हो सकता। मैं इस संशोधन को मानता हूं।

श्री देवेन सेन ने अपने संशोधन संख्या 18 में सुझाव दिया है कि यदि किसी स्थपति को किसी कारण से रजिस्टर से निकाल दिया गया है तो उसका नाम हमेशा के लिए अयोग्य करार दे देना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता पर ऐसे मामले बहुत कम होंगे।

धारा 34 (9) के लिए दो संशोधन हैं। एक संख्या 19 और दूसरा संख्या 92। दूसरे संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि रजिस्टर में पंजीकृत किसी व्यक्ति को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों अथवा सरकारी अथवा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में नौकरी देने में तरजीह देनी चाहिए। मैं इस संशोधन को मानने को तैयार हूं, बशर्ते कि स्थपति के रूप में पंजीकृत यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो रिक्ति को किसी अन्य अर्हता प्राप्त व्यक्ति द्वारा भर लेना चाहिए।

फ्रैंक लायड राइट फाउन्डेशन के डिप्लोमा के सम्बन्ध में यहां बहुत कुछ कहा गया है। यह

कहा गया कि यह पत्राचार कोर्स है, अब यह चालू नहीं हैं तथा किसी विशेष व्यक्ति को मदद पहुंचाने के लिए इसे सूची से नहीं निकाला जा रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। यह पत्राचार कोर्स नहीं है तथा इसे किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूची में नहीं बनाए रखा जा रहा है। क्योंकि यह तो बहुत दिन पहले से मान्यता प्राप्त है कोई नई चीज नहीं है।

निजी वृत्ति करने वाले सरकारी स्थपतियों की ओर भी संकेत दिया गया और यह सुझाव दिया गया कि सरकारी स्थपतियों को पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इस विधेयक का अभिप्राय स्थापत्य व्यवसाय का किसी विशेष ढंग से नियंत्रण करना नहीं है अपितु इसका आशय केवल 'स्थापत्य' उपाधि का संरक्षण करना है इस प्रकार के विधान में केवल पंजीकरण के मामले में सरकारी नौकरी करने वाले स्थपतियों तथा निजी वृत्ति वाले स्थपतियों के बीच कोई द्वेषपूर्ण भेदभाव उत्पन्न करना उचित नहीं है जब तक कि वे पंजीकरण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

जहां तक सरकारी स्थपतियों का निजि कार्य करने का सम्बन्ध है उसके लिए सरकारी कर्मचारी आचरण नियम हैं और उनके अन्तर्गत उन पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

अब मैं समझता हूं कि संख्या विधेयक को खण्डवार सरकारी तथा सरकार द्वारा माने गए संशोधनों सहित पारित कर देगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्थपतियों के रजिस्ट्रीकरण तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड-2 इसके लिए श्री श्रीधरन और अन्य लोगों के संशोधन हैं।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : मैंने भी संशोधनों की सूचना दी थी पर वे सूची में नहीं है। अतः मेरा नाम श्री लोबो प्रभु के संशोधन संख्या 136,137,138 और 139 के साथ जोड़ दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने समय रहते सूचना भेजी थी ?

पीलू मोडी : जी हां, श्री लोबो प्रभु ने स्वयं उनका प्रारूप बनाया था।

श्री लोबो प्रभु (राजकोट) मूलतः : पीलू मोडी ने ही इन्हें तैयार किया था। अतः मुझे उनका नाम अपने साथ जोड़ने से कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीधरन अनुपस्थित हैं । सदस्यों को सचेत रहना चाहिए । (**व्यवधान**)

Shri Shiva Chandra Jha : If you do not want me to move, I will not move.

(इसके पश्चात माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

(Hon. Member then left the House)

खण्ड 2

श्री राम चरण (खुर्जा) : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : मैं अपना संशोधन संख्या 93 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं अपना संशोधन संख्या 101 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 और 93 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 28 and 93 were put and negatived.

संशोधन सं० 101, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

Amendment No. 101 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन सं० 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन सं० 49 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री क० मि० मधुकर : मैं अपने संशोधन सं० 66,67 और 94 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन सं० 136 प्रस्तुत करता हूं।

मेरा संशोधन विधेयक से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। इस विधेयक से केवल स्थपतियों पर ही नहीं, बल्कि इन्जीनियरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। देश में स्थपतियों की संख्या लगभग 10,000 हैं, परन्तु इंजीनियरों की संख्या एक लाख है। कार्य कर रहे स्थपतियों की संख्या संभवतः 200 से 500 के बीच है और शेष में से अधिकांश सरकारी सेवा में हैं। समिति में प्रारम्भ में इन्जीनियरों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, स्थपति-समिति में इंजीनियरों को बाद में प्रतिनिधित्व दिया गया। खण्ड 3 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए इस निकाय में इंजीनियरों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। 30 सदस्यों में से चार पर ही इंजीनियर नियुक्त किये गए। राज्य सरकार को यह विकल्प होना चाहिए कि वह स्थपति को नियुक्त करे या इंजीनियर को। यह विकल्प देने से इंजीनियरों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।

श्री पीलु मोडी का संशोधन 136 है जिसके अनुसार वह चाहते हैं कि 'एसोसियेशन आफ कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया)' का एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह एक ऐसी संस्था है जो स्थपतियों का पंजीकरण करती है। वे सभी इंजीनियर जो स्थपति का कार्य कर रहे हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, स्थपति के रूप में पंजीकृत हो सकेंगे। परिषद में 'इंस्टीट्यूट आफ इन्जीनियर्स (इण्डिया)' का पहले ही प्रतिनिधित्व है। इस विधेयक द्वारा स्थपति के रूप में कार्य करने वाले इन्जीनियरों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है। यह परिषद स्थपति के सभी स्कूलों को निरीक्षण समितियां भेजेगी। इसलिए, मैं श्री लोबो प्रभू से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संशोधन पर जोर न दें।

श्री पीलू मोडी : मुझे संशोधन सं० 136 के बारे में यह कहना है कि जब भी किसी स्थपति को कार्य मिलता है, तो वह सामान्यतः परामर्शदाता भवन-निर्माण इंजीनीयर से रचना सम्बन्धी आँकड़ों की पूछताछ करता है। अतः यह संस्था स्थपतियों के व्यवसाय से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और निरन्तर उनकी सेवा करती है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य संयुक्त समिति के एक अत्यधिक सक्रिय सदस्य थे और उस समय उन्होंने इस आशय का परामर्श नहीं दिया। अब इस स्थिति में इसके प्रभावों की पूर्ण जांच किये बिना स्वीकार करना संभव नहीं है। वास्तविक पंजीकरण के समय मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 14 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 14 was put and negatived.

संशोधन सं० 49, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 49 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 136 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 136 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 66, 67 तथा 94 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amenpment Nos. 66,67 and 94 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted .

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6

श्री क० मि० मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24 के अन्त में —

"But not exceeding three consecutive terms"

(लेकिन तीन लगातार कार्य-कालों से अधिक नहीं)

शब्द जोड़ दिये जायें। (68)

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं उनका संशोधन स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24 के अन्त में—

"But not exceeding three consecutive terms"

(लेकिन तीन लगातार कार्य-कालों से अधिक नहीं) शब्द जोड़ दिये जायें।

(68)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8

श्री क० मि० मधुकर : मैं अपने संशोधन सं० 69 और 70 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 69 और 70 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 69 and 70 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13

श्री क० मि० मधुकर : मैं अपना संशोधन संख्या 71 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 71 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 71 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14

डा० वी० के० आर वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हू कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 29 के बाद ये शब्द अन्त: स्थापित किये जायें :

"Provided that unitl the first Council is constituted, the Central Government

shall, before issuing any notification as aforesaid, consult an expert Committee consisting of three members to be appointed by the Central Government by notification in 'the official Gazette."

"परन्तु जब तक प्रथम परिषद गठित न हो जाये तब तक केन्द्रीय सरकार यथा-पूर्वोक्त अधिसूचना निकालने के पहले एक विशेषज्ञ समिति से परामर्श करेगी जो तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।" (सं०124)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 29 के बाद ये शब्द अन्तः स्थापित किये जायें :

"Provided that until the first Council is constituted, the Central Government shall, before issuing any notification as aforesaid, consult an Expert Committee consisting of three members to be appointed by the Central Govt. by notification in the official Gazette."

"परन्तु जब तक प्रथम परिषद् गठित न हो जाय तब तक केन्द्रीय सरकार यथा-पूर्वोक्त अधिसूचना निकालने के पहले एक विशेषज्ञ समिति से परामर्श करेगी जो तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।" (124)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 14 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14 as amended, was added to the Bill.

खण्ड 15 से 21 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 15 to 21 were added to the Bill.

खण्ड 21 क (नया)

श्री क० मि० मधुकर : मैं अपना संशोधन सं० 72 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 72 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 72 was put and negatived.

खण्ड 22 और 23 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 22 and 23 were added to the Bill.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock-

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the clock)

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए / Shri K. N. Tiwary in the chair]

Shri Jharkhande Rai (Ghori) : In spite of drawing attention of the Central Government and the State Government, no action has been taken to protect the life of Shri Jageshwar Yodav. Same of the persons in collusion with the policel want to murder him. When he had gone on hunger strike in the lobby, the Prime Minister had assured to take the necessary action, but no concrete action has been taken. I request you that measures should be taken for the protection of his life.

Mr. Chairman : I do not allow to raise this matter.

Shri Madhn Limaye (Monghyr) : I had requested the Speaker to allow me to raise a matter under Rule 377. The Andhra Government was defeated in the Andhra Assembly and after that the House was adjourned. If we want to save the democracy in the country, the Andhra Government should resign forthwith or a no-confidence motion should be put forward. At least some conventions should be evolved in this regard.

I request that Lok Sabha should be allowed to discuss the matter and State assemblies should be apprised of our views in this connection.

Mr. Chairman : I allowed the hon'ble member, because he had written a letter to the Speaker, but I can not allow a discussion on the points for which the Speaker had not allowed.

खण्ड 24

श्री देवेन सेन : मैं अपना संशोधन सं० 15 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन सं० 24 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री क० मि० मधुकर : मैं अपना संशोधन सं० 95 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन सं० 151 प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri K. M. Madhukar : If my amendment No. 95 is accepted, it would help function in a more democratic manner, there would be democratic representation.

Shri Ramavtar Shastri : My amendment No. 24 would facilitate the working of the persons who are engaged in this profession. It would also remove the wide-spread discontentment among the architects.

श्री हेमराज : मेरे संशोधन भी श्री क० मि० मधुकर के संशोधन की तरह ही हैं । सरकार का कहना है कि तीन सदस्य होंगे जिन्हें नामजद किया जाएगा । हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि जिन संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाय, उन्हें स्पष्ट किया जाय । हम यह चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल में नामजद होने वाले सदस्य गैर-सरकारी व्यक्ति होने चाहिएं ।

श्री लोबो प्रभु : जनता और सम्बद्ध व्यक्तियों के मस्तिष्क में यह स्वाभाविक भावना है कि अगर सरकार को इतने अधिक विस्तृत अधिकार दे दिए जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा ।

मैंने पाँच सदस्यों की सूची का हिसाब दिया है । तीन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।— (1) स्थपति (2) इंजीनियर और (3) इंजीनियरिंग स्थपति । मेरा सुझाव यह है कि मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि इन तीन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । अगर इस आशय का आश्वासन दिया जाय, तो संशोधन पर जोर नहीं दिया जायगा । परन्तु अगर अधिकारियों को अथवा स्वेच्छा से किन्हीं भी स्थपतियों को थोपा जाता है, तो यह स्वाभाविक भय है कि कानून अधूरा है और उसका दुरुपयोग होगा ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : पहले भी, उदाहरणार्थ जब चिकित्सा परिषद् अथवा चार्टर प्राप्त लेखाकारों की परिषद का गठन किया गया, तब भी सरकार ने तीन विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया का अनुसरण किया है । इन विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किन्हीं संगठनों को प्रतिनिधित्व देने के विचार से नहीं किया जाता है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि शिक्षा मन्त्रालय का कोई भी अधिकारी इस ट्रिब्यूनल में नियुक्त नहीं किया जाएगा । इन विशिष्ट व्यक्तियों में स्थपति क्षेत्र और स्थपति व्यवसाय के विशेषज्ञ व्यक्ति होंगे, जिनमें इंजीनियर और सर्वेक्षक भी शामिल है । (**व्यवधान**) पंजीकृत होने वाले व्यक्तियों में वे इंजीनियर, सर्वेक्षक, ड्राफ्टसमैन आदि शामिल होंगे जो पिछले पांच वर्षों से स्थपति के रूप में कार्य करते रहे हैं और जो अर्हता-प्राप्त है । अतः संशोधनों को स्वीकार करना संभव नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सं 15,24,95 और 151 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 15, 24, 95 and 151 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The mation was adopted.

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 24 was added to the Bill.

खण्ड 25

श्री देवेन सेन : मैं अपने संशोधन संख्या 16,51 और 52 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़): मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री क० मि० मधुकर : मैं अपना संशोधन संख्या 96 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हेम राज : मैं अपना संशोधन संख्या 105 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Deven Sen : Through amendment No. 16, I want that after "architect", "as his principal means of livelihood" may be inserted. We know that eighty per cent of the buildings are constructed by Government architects or are based on the drafts prepared by them. If my amendment is accepted, Government architects would not be able to get themselves registered. Why should they be allowed to be registered, when they are already in Government service.

श्री श्रीचन्द गोयल : मंत्री महोदय को यह मालूम होगा कि असैनिक संस्थायें स्थपति, सर्वेक्षक और इंजीनियर के पदनाम से तक्नीशियनों द्वारा तैयार किए जाने वाले भवन-नक्शों को प्राधिकृत किया करती थीं और कारखानों के मुख्य निरीक्षक भी व्यक्तियों को बिना किसी विशिष्ट पदनाम के ही कारखानों के भवनों के नक्शे तैयार करने को प्राधिकृत किया करते थे और भवनों का स्थायित्व प्रमाण पत्र जारी करते थे । अगर मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता, तो इस व्यवसाय में संलग्न अनेक व्यक्ति पंजीकृत होने के अवसर से वंचित हो जायेंगे ।

Shri Ramavatar Shastri : As Shri Deven Sen has mentioned that after "architects", "as his principal means of livelihood" should be added. If this is not done, the persons who have some approach with the officers or have been in the profession only for a few hours would be registered whereas the persons where principal means of livelihood in this profession, would be deprived from being registered.

श्री लोबो प्रभु : इस खण्ड में कहा गया है कि "भारत का कोई भी नागरिक जो स्थपति का काम करता है···" हमारा सम्बन्ध नागरिकता संबंधी अधिकारो या संवैधानिक अधिकारों से नहीं है । हमारा सम्बन्ध उन लोगों से है जो इंजिनियरिंग का पेशा करते हैं । अतः मेरा सुझाव यह है कि 'भारत का कोई भी नागरिक' के स्थान पर जैसे श्री श्रीचन्द्र गोयल ने कहा 'सर्वेक्षक इंजीनियर अथवा

नक्शा नवीस' रखा जाए या जैसा मैंने कहा 'स्थपति, इंजीनियर अथवा सर्वेक्षक' रखा जाए। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि सरकार स्थपति के कार्य की क्या परिभाषा दे रही है? कोई व्यक्ति तब तक स्थपति नहीं माना जाएगा जब तक सरकार उसे मान्यता नहीं देती, भले ही वह पहले से ही स्थपति का कार्य कर रहा हो। क्या सरकार 'स्थपति के कार्य करने' का अर्थ यह लगा रही है कि उसने पांच वर्षों में कुछ छोटे मकानो का या कुछ दीवारों का निर्माण किया है? यह अस्पष्ट है। अतः मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय मेरी यह दलील कि उन लोगों को जो स्थपति, सर्वेक्षक या इंजीनियर का पेशा करते हैं, उन्हें स्थपति माना जाए, स्वीकार करें।

श्री हेमराज : जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है, मैं इसमें अपनी ओर से निम्नलिखित वाक्य जोड़ देना चाहता हूं "परन्तु उस व्यक्ति का जब तक वह सरकारी, स्थानीय निकायों की या अन्य सेवा में है स्थपति के रूप में पंजीकरण नहीं किया जाएगा।" इसका कारण यह है कि वह किन्ही अन्य व्यक्तियों के जरिए इसमें अपना प्रभाव डाल सकता है। सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर वे मुक्त होंगे और तब वे अपने नाम का पंजीकरण करा सकते हैं। आशा है कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जीविका के मुख्य साधन के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, उससे कार्यक्षेत्र का विस्तार सीमित होता है। अब तक यह कहा जा रहा था कि जो भी व्यक्ति स्थपति का काम जैसे डिजाइन बनाना, मकान का निर्माण आदि करते हैं उन्हें स्थपति माना जाए और इसके लिए विधेयक के उपबंधों को अधिक उदार बनाया जाए। अतः कुछ श्रेणियों के लोगों तक पंजीकरण को सीमित रखना हमारे लिए सम्भव न होगा। अत. मैं इस संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। वास्तव में मूल विधेयक में 'जीविका के मुख्य साधन' को रखा गया था, किंतु, संयुक्त समिति ने इस को निकाल दिया। वस्तुतः जीविका के मुख्य साधन की परिभाषा देना बहुत कठिन है। इस से बहुत अधिक भ्रांतियां पैदा होंगी। हम इसे केवल श्रेणियों के लोगों तक सीमित न रखेंगे। ऐसा करना सार्वजनिक हित में न होगा।

श्री हेमराज के संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी स्थपतियों को पंजीकरण कराने की अनुमति न देना अनुचित होगा। पंजीकरण का मतलब यह नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारी आचरण नियम के विरुद्ध अंश काधिक स्थपति का काम कर सकता है अतः केवल इस कारण से कि वह सरकारी कर्मचारी है, उसको पंजीकरण कराने से रोकना अनुचित होगा। मैं इस संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री लोबो प्रभु : क्या मंत्री महोदय एक मिस्त्री को स्थपति बनने की अनुमति देंगे?

डा० वी० के० आर० वी० राव : सवाल मेरी ओर से अनुमति दिए जाने का नहीं है। बात यह है कि संयुक्त समिति द्वारा बहुत विस्तृत विचार किए जाने के बाद विधेयक का लक्ष्य स्थपति के 'नाम' को बनाए रखना रखा गया। अगर मिस्त्री अपने कार्य में कुशलता दिखाता है और वह पांच

साल से वही काम कर रहा है, तो उसके नाम का भी स्थपति के रूप में पंजीकरण किया जायगा ।

सभापति महोदय : अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूँ । श्री देवेन सेन, क्या आप अपने संशोधन पर बल दे रहे हैं ?

श्री देवेन सेन : जी नहीं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17, 16, 50, 51, 52, 96 और 105 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 17,16,50,51,52,96 and 105 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 से 28 तक विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 26 से 28 तक विधेयक में जोड़ दिये गए ।

Clause 26 to 28 were added to the Bill.

खण्ड 29

श्री देवेन सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 13 पंक्ति 24 में —

"either permanently or"(या तो स्थायी रूप से अथवा) शब्दों का लोप किया जाए ।

(18)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 13, पंक्ति 24 में —

"either permanently or" (या तो स्थायी रूप से अथवा) शब्दों का लोप किया जाए। (18)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय :प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 29 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 30 से 33 तक विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 30 to 33 were added to the Bill.

खण्ड 34

श्री देवेन सेन : मैं संशोधन संख्या 19 और 53 प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19 और 53 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 19 and 53 were put and negatived.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 14,—

पंक्ति 19 से 25 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये

"After the expiry of two years from the date appointed under sub-section (2) of section 24, a person who is registered in the register shall get preference in holding an ap-pointment as an architect under the Central or State Government or in any other local body or institution which is supported or aided from the public or local funds or in any institu-tion recognised by the Central or State Government."

"[(2) धारा 24 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद उस व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्टर में पंजीकृत हुआ है, केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन अथवा सरकारी या स्थानीय कोषों से सहायता या समर्थन प्राप्त अन्य स्थानीय निकाय या संस्था में अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में स्थपति के पद पर नियुक्ति के लिए अधिमान्यता प्राप्त होगी।] (156)

सभापति महोदय । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ संख्या 11,—

पंक्ति 11 से 12 तक के स्थान पर निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(2) After the expiry of two years from the date of appointed under Sub-section (2) of section 24, a person who is registered in the register shall get preference in holding an appointment as an architect under the Central or state Government or in any other local body or institution which is supported or aided from the public or local funds or in any institution recognised by the Central or state Government."

[(2) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने बाद उस व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्टर में पंजीकृत हुआ है, केन्दीय या राज्य सरकार के अधीन अथवा सरकार या-स्थानीय कोषों से सहायता या समर्थन प्राप्त अन्य स्थानीय निकाय या संस्था में, अथवा केन्दीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में स्थपति के पद पर नियुक्ति के लिए अधिमान्यता प्राप्त होगी ।] (156)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 34, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adobted.

खंड 34 संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया ।

The clause 34 as amended was added to the Bill.

खंड 35

श्री क० मि० मधुकर : मैं संशोधन संख्या 73 प्रस्तुत करता हूं ।

This clause provides for a penalty to the tune of Rs. 1,000 to a person whose name has not been registered but gives a false statement that his name has been registered. My amendment seeks to provide for one year rigorous imprisonment to such a person, I hope that the Minister will accept my amendment.

डा० वी० के० आर० वी राव : संशोधन में अन्तर्निहित उद्देश्य को मैं समझ सकता हूं परन्तु हमें स्थपतियों को पहले अवसर देना चाहिए ताकि वे यह दिखा सकें कि नियम का उल्लंघन होगा या नहीं । अतः एक साल की सजा का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 73 मतदान के लिया रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 73 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 35 विधेयक अंग बने '

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 35 was added to the Bill.

खण्ड 36

श्री लोबो प्रभू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 14 पंक्ति 34 में—

"an" (किसी) के स्थान पर "a registered" (एक रजि-स्ट्रीकृत) शब्द प्रतिस्थापित किये जाऐं। (54)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 14 पंक्ति 34 में—

'an" (किसी) के स्थान पर 'a registered' (एक रजिस्ट्रीकृत) शब्द प्रतिस्थापित किये जाऐं। (54)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 36 as amended was added to the Bill.

खण्ड 37

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 37 विधेयक में जोड़ दिया ।

Clause 37 was added to the Bill.

खण्ड 38 से 41 तक विधेयक में जोड़ दिये गए ।

Clauses 38 to 41 were added to the Bill.

खण्ड 42

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 42 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 42 was added to the Bill.

खण्ड 43

डा० वी० के० आर० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"Page 16—

(i) after line 7, insert—

(b) the procedure to be followed by the Expert Committee constituted under the proviso to Sub-Section (2) of Section 14 in the transaction of its business and the power and duties of the Expert Committee;"

(ii) in lines 8 to 24, re-letter clauses

(b) to (i) as clauses (c) to (j) respectively.

[पृष्ठ 15,—

(i) पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाए—

"(ख) धारा 14 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अपना कार्य करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा विशेषज्ञ समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य;"

(ii) पंक्ति 8 से 24 तक में खण्ड (ख) से (झ) तक को क्रमश: खण्ड (ग) से (ज) तक के रूप में पुन: अक्षरांकित किया जाए ।]

(125)

यह संशोधन सदन द्वारा स्वीकार किए गए उस संशोधन का जिस में कहा गया था कि अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए जिन विभिन्न अर्हताओं की सिफारिशें दी गई हैं, उन सब की जांच करने के लिए सरकार तुरन्त एक विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करे, क्या अनुवर्ती है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"Page 16,—

(i) after line 7, insert—

"(b) the procedure to be followed by the Expert Committee constituted under the proviso to Sub-Section (2) of Section 14 in the transaction of its business and the Powers and duties of the Expert Committee;"

(ii) in lines 8 to 24, re-letter

Clauses (b) to (i) as clauses (c) to (j) respectively.

[पृष्ठ 15,—

(i) पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थपित जाए—

"(ख) धारा 14 की उपधारा (ग) के परन्तुक के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अपना कार्य करने में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया तथा विशेषज्ञ समिति की शक्तियां और कर्तव्य।"

(ii) पंक्ति 8 से 24, तक में खण्ड (ख) से (झ) तक को क्रमशः खण्ड (ग) से (ञ) तक के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाए।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 43, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 43 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 43, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 44 was added to the Bill.

अनुसूची

श्री देवेन सेन : मैं संशोधन संख्या 20 और 21 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिंकरे (पंजिम) : मैं संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करता हूं।

श्री क० मि० मधुकर : मैं संशोधन संख्या 76 और 100 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-पूर्वोत्तर) : मैं संशोधन संख्या 86 और 88 प्रस्तुत करती हूं।

श्री देवराव पटिल (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 18,पंक्ति 1 से 9 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये–

"8. Diploma in Architecture awarded by the Governmeent of Maharashtra (or by the Government of Bombay)"

["8. महाराष्ट्र सरकार द्वारा (या भूतपूर्व बम्बई सरकार द्वारा) दिया गया स्थापत्य कला का डिप्लोमा।"] (87)

श्री भगवान दास (औसग्राम) : मैं संशोधन संख्या 123 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पीलु मोड़ी (गोधरा) : मैं संशोधन संख्या 137, 138, 139 और 140 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि अनुसूची में 10 और 11 संख्या के रूप में दो और मदों को अर्थात् इंजीनियरी और ड्राफ्टमैन (जो 1925-38 के बीच गवर्नमेंट स्कूल आफ इंजीनियरिंग, पंजाब, रसूल द्वारा दिये गए थे) और ड्राफ्टमैन का त्रिवर्षीय कोर्स (जो 1925-38 के बीच गवर्नमेंट स्कूल आफ इंजीनियरिंग पंजाब, रसूल द्वारा दिये गए थे) को सम्मिलित किया जाए।

लगता है कि अनुसूची में जो अहर्तायें रखी गई है, वास्तव में वे संघलोक सेवा आयोग द्वारा एक सहायक स्थपति की नियुक्ति के लिए स्वीकार की गई थीं। ये अहर्तायें 1957 के बाद निर्धारित की गई थीं और मद संख्या 8 को सम्भवतः 1964 या 1965 में शामिल किया गया था। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग को सरकारी सेवा के लिए स्थपतियों की भर्त्ती करनी पड़ती थी। अतः उसे अहर्तायें निर्धारित करनी पड़ीं। अतः पुराने स्कूलों से प्राप्त इन अहर्ताओं पर भले ही वे अच्छी थी, विचार नहीं किया जा सका।

मैं जो अर्हता इसमें शामिल करना चाहता हूं, वह मद संख्या 8 में निर्धारित अर्हता से अच्छी है। इन मदों के लिए जिन कोर्सों का सुझाव दिया गया है, वे अधिक कठिन हैं और उनमें अधिक अच्छे और अधिक विषय शामिल किए जा सकते हैं। जिन लोगों को स्कूल आफ इंजीनियरिंग, पंजाब, रसूल से, जोकि 1925 और 1938 के बीच एक सरकारी संस्थान था, अहर्ता प्राप्त हुई है, उन्हें अनावश्यक रूप से बाहर रखा जो रहा है जबकि महराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया स्थापत्य-डिप्लोमा को मद संख्या 8 में शामिल किया गया है। वास्तव में सरकार को पश्चिम पंजाब से विस्थापित उन लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाना चाहिए।

आशा है कि मंत्री महोदय स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और मैंने जो अर्हता का सुझाव दिया था, उसे शामिल करने की कृपा करेंगे।

Shri Ramavatar Shastri : Persons holding degrees and diplomas either from Indian or Foreign Institutions should not be exempted from registration, so that they may also get an opportunity. The Government should not allow the continuance of such type of institutions. These institutions should be banned. Students get degrees from such institutions. If their qualifications are not included, it will not have good effect on the country. I, therefore, request that both of my amendments should be accepted.

Shri Shinkre : Hon. Minister has just stated that a Committee will be appointed in this regard and that Committee will recognise the different qualifications. The people of Goa had to receive education in the University of Portugal b fore 1960. They were given permission to adopt professions with the help of those degrees or diplomas. I, therefore, request that my amendment No. 46 should be accepted so that the people of Goa may feel that their rights are not being taken back.

I know the hon. Minister will say that the Committee will consider their case sympathetically. But the past experience has shown that it had not been so. I agree to the appointment of that Committee. But I want that the Government should accept my sugg s tions so that unjust ice may not be done with the people of Goa.

श्री रा० धो० भन्डारे (बम्बई-मध्य): मैं श्री शिंकरे की इस मांग से सहमत हूं कि पुर्तगाल तथा ब्राजील विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की डिग्रियों को मान्यता देनी चाहिये जिससे वे अपना काम कर सकें। माननीय मंत्री ने इस मामले को समिति को सौंपने का आश्वासन

दिया है। कुछ व्यक्तियों को चिकित्सा सम्बन्धी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अपना काम करने की अनुमति नहीं दी गई है यद्यपि उन्हें पूरी योग्यताएं प्राप्त हैं। यदि उक्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उक्त डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए तो उन लोगों के पास अन्य कोई चारा नहीं रह जाता। इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि या तो वे मेरा संशोधन स्वीकार करें या वे इस बात का आश्वासन दें कि उन व्यक्तियों को उनके व्यवसाय से वंचित नहीं रखा जायेगा।

श्रीमती तारा सप्रे : उक्त डिप्लोमा भारत में सबसे पहले डिप्लोमा था। यह एंसोसियेटशिप एकजामिनेशन आफ दी रायल इंस्टीट्यूट आफ ब्रिटिश आर्किटैक्ट्स, लन्दन ने स्वीकार किया है कि 1941 से बम्बई सरकार का वास्तुशिल्पी में प्राप्त डिप्लोमा प्रशिक्षण और अहर्ता में संस्था के अन्तिम या एसोसियेटशिप परीक्षा के बराबर है। गत 14 वर्षों से उक्त संस्था से डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति विभिन्न सरकारी विभागों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार ने वास्तु शिल्पी के क्षेत्र में इन डिप्लोमा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अपने को रजिस्टर कराने का अनुरोध किया है।

यदि उक्त विधेयक इस संशोधन के बिना पास हो जाता है तो इससे 2500 डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति प्रभावित होंगे और उनको परेशान करने की बात समझ में नहीं आती।

Shri Deorao Patil (Yeotmal). This amendment is very important because recognition of diplomas of some persons, whose diplomas have been recognised; is being with drawn. This should not be done.

I am of the view that the Diploma in Architect given by the former Maharashtra or Bombay Government should be given recognition. It is not a diploma given by some private institution. This diploma was given by the Government itself. It is good that a Committtee has been appointed in this regard, but in case that Committee does not give recognition to that Diploma. 25,000 diploma-holders having 14 years experience will be no where. I therefore, request the Government to accept my amendment.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी): मंत्री महोदय ने संशोधन स्वीकार कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अन्य मंत्रियों को भी उक्त उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए।

श्री पीलु मोडी : मेरा संशोधन बहुत सरल है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटैक्ट्स की अहर्ताओं को रजिस्ट्रेशन के लिए पर्याप्त समझा जाना चाहिए।

संशोधन संख्या 139 में कला भवन, बड़ौदा का उल्लेख किया गया है। जिन लोगों ने उक्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अहर्ता प्राप्त की है वे आज महत्त्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्त हैं। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार ने उक्त सशोधन को स्वीकार नहीं किया है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : कुछ सदस्यों के दिमाग में गलत फहमी हैं। 1938 से पूर्व डिप्लोमा प्राप्त करने वाले और स्थपति का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को स्वयं ही रजिस्टर कर

लिया जाता है। वास्तु शिल्पी का व्यवसाय करने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि है। यदि गत 20 वर्षों में उन्होंने कोई निर्माण का कार्य नहीं किया तो उन्हें अब कैसे मान्यता दी जा सकती है। सरकार ने उपबन्धों को उदार बनाया है। यदि कोई व्यक्ति स्थपति का व्यवसाय पांच वर्ष से कर रहा है तो वह अपना नाम रजिस्टर करा सकता है। उनकी व्यावसायिक अहर्ता को मान्यता देने के मामले को हम समिति को सौंपेंगे और यदि उक्त समिति यह सिफारिश करेंगी तब ही हम उन अहर्ताओं को अनुसूची में शामिल करेंगे। श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को मैंने स्वीकार कर लिया है। चूंकि वह सदन में उपस्थित नहीं है मैंने अब एक निम्नलिखित सरकारी संशोधन का नोटिस दिया है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 18, पंक्ति 11 के बाद,

"10. Membership of Indian Institute of Architects"

("10. इंडियन इंस्ट्रीट्यूट ऑफ आरकिटैक्ट्स की सदस्यता")

शब्द अन्त: स्थापित किए जायें (संख्या 157)

मैंने इस खंड के संशोधन के बारे में नोटिस दिया है। अन्य अहर्ताओं के मामलों को विशेषज्ञ समिति को सौंपा जाएगा।

एक बात में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुसूची में शामिल की जाने वाली अहर्ताएं स्थपति की अहर्ताएं होनी चाहियें, इंजीनियरिंग की नहीं। इंजीनियर अपना व्यवसाय कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। समिति उन सब अहर्ताओं के बारे में बिचार करेगी। जिनका सुझाव दिया गया है। समिति की सिफारिशें उपलब्ध हैं और सिफारिशों के आधार पर अनुसूची में संशोधन किया जाएगा।

सभापति महोदय : अब मैं सब संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : कृपा मेरे संशोधन को अन्य संशोधनों के साथ न जोड़ें। मेरे संशोधन को सभा में पृथक से मतदान के लिए रखें।

डा० वी० के० आर वी० राव : इससे पहले कि आप संशोधनों को मतदान के लिए रखें मैं यह बता देना चाहता हूं कि श्री पीलु मोडी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 137 के सार को मैं स्वीकार कर चुका हूं।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 20 को मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 20 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 21 को मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 21 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री श्रीचन्द गोयल के संशोधन संख्या 22 को मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं मत विभाजन के लिए जोर देता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 सभा में मतदान के लिए रखा गया ।

Amendment No. 22 was put.

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

Lok Sabha divided.

पक्ष में	: 37	:	विपक्ष में	: 71
Ayes	: 37	:	Noes	: 71

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 मतदान के लिए रखा गया ।

Amendment No. 26 was put.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

Lok sabha divided, .

पक्ष में	19	विपक्ष में	83
Ayes	19	Noes	83

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 46 मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 46 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 46 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 76 मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 76 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 76 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

157 पृष्ठ 18, पंक्ति 11 के बाद,—

"10. Membership of the Indian Institute of Architects"

"10. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ आर्किटैक्ट्स की सदस्यता ।" शब्द अन्तःस्थापित किये जायें" (157)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 86 मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 86 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 86 was put and negatived.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं श्री देवराव पाटिल का संशोधन संख्या 87 स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि,

पृष्ठ 18, पंक्ति 1 से 9 तक के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए :**—

"8 Diplopma in Architecture awarded by the Government of Maharashtra (or by the former Government of Bombay)"

["8 महाराष्ट्र सरकार द्वारा (या भूतपूर्व बम्बई सरकार द्वारा, दिया गया स्थापत्य कला का डिप्लोमा"]

(87)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : में संशोधन संख्या 88 को मतदान के लिया रखता हूं। सरकार उक्त संशोधन की स्वीकर नहीं कर रही है।

श्रीमती तारासप्रे : मैं इस संशोधन पर बोलना चाहती हूं।

सभापति महोदय : आप पहले ही बोल चुकी है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 88 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 88 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 100 और 123 मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 100 और 123 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 100 and 123 were put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री पीलुमोडी के संशोधन संख्या 137, 138, 139 और 140 मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 137, 138, 139, और 140 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 137, 138, 139 and 140 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुसूची को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula was added to the Bill.

सभापति महोदय : श्री देवेन सेन क्या विधेयक के नाम में आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री देवेन सेन : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं पर उस पर बोल नहीं रहा हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिये रखा गया ।

Amendment No. 13 was put to vote

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided .

पक्ष में	17	:	विपक्ष में	74
Ayes	17	:	Noes	74

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाए ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The title was added to the Bill.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संसद् अधिकारियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF OFFICERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

संसद्-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री : (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् अधिकारियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1953 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक संसद् के अधिकारियों अर्थात् राज्य सभा के सभापति और उपसभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सरकारी निवास के अधिकार से सम्बन्धित है। इसका मुख्य उद्देश्य इन दो मामलों में सरकारी निवास के अधिकार को मंत्रियों के समान लाना है।

उक्त विधेयक में यह उपबन्ध रखा गया है कि अधिकारी पद छोड़ने पर निवास स्थान को एक महीने तक तथा अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर निवास स्थान को दो महीने तक रखा जा सकता है, जैसाकि मंत्रियों के बारे में उपबन्ध है। उपर्युक्त दो महीनों में से पहले महीने के लिए कोई किराया तथा अन्य खर्च नहीं लिया जाएगा लेकिन दूसरे महीने में मंत्रियों के समान किराया तथा खर्च लिया जाएगा। कुछ दिवंगत अधिकारियों के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त विधेयक को भूत-लक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा।

मुझे विश्वास है कि सभा इस विषय पर विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1953 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शिवचन्द्र झा : (मधुबनी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 30 जनवरी, 1971 तक राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाए।"

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक को और पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : संसद सदस्यों की मृत्यु पर उनके परिवार के सदस्यों को भी यही सुविधाएं न देने के क्या कारण हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार को जब भी अवसर मिलेगा वह संसद सदस्यों के परिवारों को भी यही सुविधाएं देने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करेगी। ऐसा विधेयक प्रस्तुत करते समय कम से कम वित्तीय समितियों के सभापतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में सरकार को विभिन्न दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करना चाहिए था। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Snri Balraj Madhok (New Delhi): I support the Bill. I am of the opinion that the Chairmen of the Committee of both the Houses should also be included in this Bill and they should also be given the same facilities. I also want that Uniform rules should be framed in this regard.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : विधेयक की महत्ता, संसद की महत्ता तथा इसके अधिकारियों की महत्ता परस्पर सम्बद्ध है। हममें संसद की महत्ता की अवहेलना करने की प्रवृत्ति है। संसद देश का सर्वोच्च निकाय है और यदि हम संसद की प्रतिष्ठा कायम नहीं करते हैं तो हम अपना, देश का सरकार का और जनता का अहित करते हैं।

इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसद सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों के बीच श्रेष्ठतर सहयोग होना चाहिए। सदन के पीठासीन अधिकारियों तथा सदस्यों के अपने-अपने कार्य हैं परन्तु उनमें एक पारस्परिक सम्बन्ध है। वर्तमान अव्यवस्था के समय हमें सदन की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए।

मैं सदस्यों द्वारा नियमों का पालन किए जाने के बारे में उल्लेख करूंगा। वे नियम 349 से बाद के नियम हैं। यदि सदस्य उनका पालन कर सकें तो सदन की गरिमा बनी रहेगी और सरकार सुधरेगी।

नियम 350 के अनुसार यदि कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो अध्यक्ष को उसका नाम पुकारना चाहिए। परन्तु हममें से कितने लोग इस नियम का पालन करते हैं। मैंने नियम समिति के एक नियम का उल्लेख किया है कि यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोले तो उसका नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक सब सदस्य एक साथ खड़े होते जायेंगे और बोलते जायेंगे। प्रत्येक सदस्य को व्यवस्थित ढंग से बोलने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए··· (**व्यवधान**)

मैं विधेयक के विषय पर आ रहा हूं। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हम कानून के खण्ड कर रहे हैं। हमने मन्त्रियों से आरम्भ किया और हमने उनको यह सुविधा दी। शायद वे संसद कार्य मन्त्री से अधिक प्रभावशाली हैं इसलिए उन्हें पहले यह अवसर मिला। अब वह संसद के अधिकारियों के लिए यह कानून लागू करते हैं। फिर शायद संसद सदस्यों के लिए कानून बनेगा और

यथा समय उन पर लागू किया जाएगा। यदि इन सब बातों को एक साथ लिया जाता तो अच्छा होता।

इस विधेयक पर मुझे कुछ आपत्ति इसलिए है कि हो सकता है कि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पास कोई उचित मकान नहीं है। इसके लिए मेरा संशोधन है कि जब तक अधिकारी की सम्मति न हो, किराए के साथ एक महीने की अवधि स्वचालित नहीं हो सकती है। यह सम्भव है कि इस पर अध्यक्ष की सहानुभूति तथा सहमति होगी। परन्तु हमें उन्हें अवसर देना चाहिए। यदि वह भी मेरे जैसे छोटे से आवास में रहते हों तो उनके पद की शोभा के लिए समुचित आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुझे आशा है कि मेरा छोटा-सा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Bills regarding the facilities of the Ministers and Officers are introduced but have we ever thought over the facilities of the staff of Parliament who work twenty four hours for us? Do the employees of Lok Sabha get quarters, overtime allowanceetc.?

Will the House consider to constitute a Committee of the great leaders for looking into the grievances of the Staff;

We have got no private Secretaries and stenographic assistance. The Government can appoint 25 stenographers of Hindi and English for us so that we could disposeof the work of the public.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I support this Bill and also support the views expressed by Shri Madhu Limaye regarding the Staff. I would like to appeal to constitute an All-Party Commitee which may look into the condition of the staff of the Parliament and provide facilities to them.

Discussion is being held on the Bill regarding giving certain facilities to the Speaker and the deputy Speaker of Lok Sabha and the Chairman and the Deputy-Chairman of Rajya Sabha. I appeal to include the Chairman of Lok-Sabha in the list of the Officers to whom the facilities would be given.

I would like to appeal to Shri Raghuramaiah to consider about giving the same facilities to the staff of the Parliament as are available to class II, III and IV employees in other departments in accordance with the recommendations of Pay Commission or other rules in this behalf.

It has been said here. "In the event of the death of an Officer of Parliament, his family shall be entitled to the use of the furnished residence occupied by the Officer of Parliament for a period of one month..."

We have no objection to it but as Shri Lobo Prabhu has said there should be decorum in Parliament. Once a voice was raised, perhaps from the Treasury Benches, that Parlia-

ment had been converted into a Bazar. Late Shri Lohia was then alive and he had replied that it was good because everyone had got a chance to express himself. Previously sophisticated intellectuals were elected as Members of Parliament and an ordinary Citizen could,not even imagine of becoming a Member of Parliament. In an age of Parliamentary democracy, any one can become a Member. There must be no ban on speech and expression in Parliament.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I emphatically support the Bill and also support the views expresed by Shri Ranga ji. The facilities should be given not only to the Speaker, the Deputy Speaker but to the Chairman too Certain facilities should also be given to the Members of Parliament.

Secondly, it has been provided to exempt from the whole rent for a month but from the very next month the same rate would be applicable. I agree to the amendment moved by Shri Lobo Prabhu. I also agree to the views about facilities to be given to the staff of Parliament, expresed by Shri Madhu Limaye. A Committee should be constituted for looking into the grievances of the staff of Parliament. Certain Assistants should be appointed to help us so that we can serve the public better.

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : मेरा संसद् के अधिकारियों को कुछ और सुविधाओं के दिए जाने के बारे में विरोध नहीं है परन्तु अध्यक्षपीठ को विरोधी दलों के साथ अवश्य न्याय करना चाहिए। जब भी पश्चिम बंगाल का सवाल आता है अध्यक्षपीठ द्वारा सहानुभूति पूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाता। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : No Member of Parliament will have any objection to this Bill. But whenever such Bills are brought forth an impression is created that the members have got powers in their hands, so they increase their facilities whenever they like. The period of one month has been fixed. That should be extended to two months. But inspite of having power in our hands, we do not get secreterial help which is necessary for calling attention motions and other purposes. Due to want of this secretarial help many members are deprived of an opportunity to visit their areas.

We have moved an amendment for circulation of the Bill to elicit public opinion there on. The amendment should be accepted.

Shri Sheo Narain (Basti) : The time limit of residential accommodation of the Speaker and the Deputy-Speaker should be extended to one month from that of 15 days. Every Member irrespective of his party affiliation should suport this Bill.

श्री रघुरामैया : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक के बारे में मतैक्य रहा है तथा संसद सदस्यों को सुविधायें न दिये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

इस विधेयक के अनुसार हम संसद् के अधिकारियों की सुविधाओं को आगे के लिये जारी

रख रहे हैं जिनका उनके द्वारा अब तक उपभोग किया जाता रहा है जैसे अधिकारी के अवकाश ग्रहण की तिथि से 15 दिन तक और देहान्त के पश्चात् 1 महीने तक मकान उनके पास रहेगा। संसद् सदस्यों के सम्बन्ध में एक कार्यकारी आदेश है जिसके अनुसार उनके परिवार उनके त्याग-पत्र देने अथवा सेवा-निवृत्त होने की तिथि से एक महीने तक सरकारी मकान रख सकते हैं। इस सम्बन्ध में और अधिक सुविधाएं यदि दी जाती हैं तो उस मामले को मैं आवास मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

स्वर्गीय श्री ए० एस० सहगल के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में जो शिकायत की गई है उसके उत्तर में मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार संसद् सदस्य के शव को ले जाने के लिए सरकार वाणिज्यिक दर पर उस पर हुए व्यय को देती है। परन्तु स्वर्गीय सहगल के शव को उनके परिवार ने अपने साथ ले जाना चाहा था। मैं स्वयं स्टेशन गया था और जितना हमसे हो सकता था वह हमने किया।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने जो कुछ यहां कहा है उसे स्वर्गीय सहगल के पुत्र तक पहुंचाया जाना चाहिए।

श्री रघुरामैया : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री बलराज मधोक : दो सुझाव और दिए गए थे। एक यह कि संसद् की वित्तीय समितियों के सभापतियों को भी यही सुविधाएं दी जानी चाहियें और दूसरा संसद् के कर्मचारियों के बारे में था।

श्री रघुरामैया : संसद् के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा के प्रश्न को मैं अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के सक्षम अधिकारी हैं, तथा राज्य सभा के सभापति, जो राज्य सभा के सक्षम अधिकारी हैं, के समक्ष रखूंगा तथा वित्तीय समितियों के सभापतियों के प्रश्न को सरकार के समक्ष विचारार्थ रखूंगा।

श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि वह इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यह बहुत साधारण विधेयक है और 15 दिन तक अवधि और बढ़ाने का विचार है और अन्य मंत्रियों द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं के समान लाने के लिए है। अतः मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर 30 जनवरी 1971 तक राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् अधिकारियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1953 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

श्री के० मि० मधुकर (केसरिया) : मैं अपने संशोधन संख्या 2 तथा 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

Shri K. M. Madhukar : The aim of this Bill is to provide facilities to the Speaker and the Deputy-Speaker and the Chairman and the Deputy Chairman. I do not oppose it having respect for them. I would like to say that no attention has been paid to the difficulties of the low-paid employees of Parliament who work hard and perform their duties late at night. Certain facilities should be given to the employees also. If the facilities are not provided to the low paid employees, the result will not be good. In the light of this it seems somewhat justified to oppose this Bill.

श्री लोबो प्रभु : यदि मंत्री महोदय यह कहते हैं कि मकान में नये आने वाले अधिकारी की अनुमति लेकर अवधि बढ़ायी जाती तो मैं संशोधन पर और नहीं बोलता। मन्त्री महोदय जीवित व्यक्ति की अपेक्षा मृतक के प्रति सद्भावना दिखाकर भेद-भाव क्यों करें।

मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री रघुरामैया : कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष या सभापति बनकर आएगा तो उसके आवास की व्यवस्था कहीं न कहीं तो पहले से ही होगी। इससे उनको असुविधा नहीं होगी। नया मकान ढूंढ़ना तो सदा एक समस्या है। मुझे आशा है श्री लोबो प्रभु अपने संशोधन पर ज़ोर नहीं देंगे।

श्री मधुकर की आपत्ति तो विधेयक के सारे उद्देश्य को ही बदल देती है। मैं उनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 तथा 3 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 2 and 3 were put and negatived.

संशोधन संख्या 10, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

Amendment No. 10 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I would like to appeal to the hon. Minister Shri Raghuramaiah to consider the condition of the low-paid employees and take some steps to improve their lot. The hon. Minister may consider the condition of class III and class IV employees as they have done in the case of the Officers of Parliament.

श्री रघुरामैया : मैं कह चुका हूं कि संसद् के कर्मचारियों के मामले को सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा । अब इस विधेयक को पारित होने दिया जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

टी डिस्ट्रिक्ट्स एमिग्रेन्ट लेबर (निरसन) विधेयक

TEA DISTRICTS EMIGRANT LABOUR (REPEAL) BILL

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि टी डिस्ट्रिक्ट्स एमिग्रेन्ट लेबर अधिनियम, 1932 के निरसन तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

बहुत वर्ष पहले आसाम में चाय बागानों के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं थे। चाय बागान एक श्रम-प्रधान उद्योग होने के कारण शीघ्र ही यह अनुभव हुआ कि आसाम में यदि पर्याप्त क्षमिक नहीं भर्ती किए गए तो उद्योग का विकास नहीं होगा। यह भी महसूस किया गया कि बहुत दूर से श्रमिक बुलाने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक है। साथ ही बाहर से आए हुए श्रमिकों को सांविधिक संरक्षण देना भी आवश्यक हो गया क्योंकि इस उद्योग के लिए स्त्रियां और पुरुष दोनों ही भर्ती किए गए थे। इस पृष्ठ भूमि के विरोध में तथा रायल कमीशन आन लेबर इन इंडिया की सिफारिशों के आधार पर टी डिस्ट्रिक्ट्स एमिग्रेन्ट अधिनियम 1932 में पारित किया गया और अक्तूबर, 1933 से लाग हुआ।

इस अधिनियम का उद्देश्य आसाम में चाय बागानों के मजदूरों की भर्ती को नियमित करना था जिससे प्रलोभन तथा मिथ्या प्रतिनिधित्व की रोकथाम की जा सके और उन्हें चिकित्सा तथा भोजन सम्बन्धी समुचित व्यवस्था प्रदान की जा सके। अधिनियम के अन्तर्गत एमिग्रेण्ट श्रमिक और उसके परिवार को तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् नियोक्ता के खर्चे पर अपने मूल निवास स्थान को वापसी का अधिकार था।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कन्ट्रोलर आफ एमिग्रेन्ट लेबर, शिलांग की मार्फत यह अधिनियम लागू किया गया है जिनका कार्य एमिग्रेन्ट श्रमिकों की भर्ती और अपने मूल निवास स्थान को वापसी पर परिवीक्षण करना होता है।

तीस वर्ष पूर्व जिन अवस्थाओं में आसाम में चाय बागानों के लिए श्रमिकों का होना आवश्यक हो गया था वे अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के कुछ उपबंधों से संविधान पर आघात होने की संभावना है।

आगे की कार्यवाही करने से पूर्व हमने इस मामले को अक्तूबर, 1964 में हुए बागानों के बारे में औद्योगिक समिति के ग्यारहवें अधिवेशन के समक्ष भी रखा था।

अधिनियम का निरसन करते समय हमने वर्तमान नियोजित श्रमिकों के अपने मूल निवास स्थान को वापसी के बारे में विद्यमान अधिकारों को संरक्षण देने को सुनिश्चित कर लिया है। विधे-

यक के खण्ड 3 में ऐसा उपबन्ध है। अधिनियम के निरसन के पश्चात् जो श्रमिकों के रहने सम्बन्धी कार्य शेष रहेगा उसे आसाम सरकार को सौंपा जाएगा।

मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

एक सदस्य को कथित धमकी दिया जाना

ALLEGED THREAT TO A MEMBER.

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान जी, मेरा एक निवेदन है; यद्यपि प्रस्तुत विधेयक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी स्वयं मेरे से उसका घनिष्ट सम्बन्ध है।

सभापति महोदय : आप चर्चा के दौरान इस प्रकार नहीं बोल सकते। मुझे भी आपकी सेहत का ख्याल है।

श्री समर गुह : जब मैं स्थिति का वर्णन करूंगा तो आप स्वयं ही उसकी नाजुकता को समझ जायेंगे। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। आज प्रातः ही सत्ताधारी कांग्रेस दल के एक जिम्मेदार नेता ने मुझे फोन पर धमकी दी है। वह सत्ताधारी कांग्रेस दल की कार्यकारी समिति के भी सदस्य हैं। और पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता भी हैं। मेरा आज के "इण्डियन ऐक्सप्रैस" में जो वक्तव्य छपा है उसके बारे में उन्होने मुझे धमकी दी है। मैंने अपने वक्तव्य में यही कहा है कि अब जबकि प्रिन्सिज का मुकदमा उच्चतम न्यायालय में समाप्त हो गया है, तो भारत सरकार को पश्चिम बंगाल के लोगों को यह बताना चाहिए कि इस गरीब राज्य के सार्वजनिक धन को इस मामले की पैरवी के लिए किस प्रकार निर्दयता से खर्च किया गया है। भारत सरकार ने इस कार्य के लिए केन्द्रीय वकीलों को फीसें दी हैं जबकि इस मामले की पैरवी महा न्यायवादी, महा न्यायाभिकर्ता या चुने हुए वकीलों की तालिकाद्वारा आसानी से की जा सकती थी···'

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इनकी पहली बात तो ठीक है परन्तु अब यह अपनी प्रैस विज्ञाप्ति को पढ़कर हमारे दल के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। वह इस फोरम का प्रयोग इस कार्य के लिए नहीं कर सकते··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपने इसके बारे में मुझे नहीं लिखा और न ही आपने इस विषय को दो बजे से पहले ही उठाया है। आप इसे मत पढ़िये (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : श्री सिद्धारथ शंकर राय ने मुझे धमकी दी। क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ···(**व्यवधान**)

श्री रणधीर सिह : आप अध्यक्ष को लिख सकते थे ।

श्री समर गुह : उन्होंने मुझे धमकी दी है । कौन जाने आज शाम को क्या हो जाय ?

सभापति महोदय : श्री गुहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप समाप्त कीजिए ।

श्री समर गुह : "प्रिंसिज" के मामले में राज्य के महाधिवक्ता...(**व्यवधान**) क्या यह मुझे कुछ कहने देंगे ?

श्री रणधीरसिंह : हम आपसे सहमत नहीं है । आप अपनी बात कह रहे हैं । श्री राय शायद कुछ और कहें ।

सभापति महोदय : आपको जो धमकी दी गई है उसको गृह-कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री ने नोट कर लिया है, अब आप कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री समर गुह : मुझे केवल इसीलिए धमकी दी गई कि मैंने यह यहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधि की प्रक्रिया का उल्लंघन किया है...

श्री रणधीर सिंह : यह आपकी नर्मी का नजायज फायदा उठा रहे हैं ।

श्री समर गुह : मैं कह रहा था कि पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता श्री बनावली ने मुकदमे की पैरवी करनी थी और महान्यायाभिकर्ता ने उसके सहायक के रूप में काम करना था । परन्तु पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने महान्यायाभिकर्ता के नाम को हटाकर वहां श्री सिधारथ शंकर राय का नाम रख दिया । श्री राय ने 19 दिनों के लिए 1,600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से फीस ली । इससे पूर्व कि राज्यपाल इस रजिस्टर को इधर-उधर करवा दे, सरकार को वह रजिस्टर अपने कब्जे में ले लेना चाहिए । अतः मेरा यही निवेदन है कि प्रथम तो जो धमकी दी गई है, वह नोट कर ली जानी चाहिए और दूसरे जिस फाईल में महान्यायाभिकर्ता के नाम के स्थान पर श्री सिधारथ शंकर राय का नाम रखा गया है, वह सरकार को तुरन्त अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए । ...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं, अब आप समाप्त कीजिए ।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : I rise on a point of order.

Shri Randhir Singh : Mr. Samar Guha is a good friend of mine and I have got full sympathy for him. His life must be protected. The Government must take note of it. But I will request the hon. Minister that he should not try to make a political capital out of it.

Shri K. N. Tiwary : My point of order is that if somebody has to level a charge against any person, he should send it to the Speaker in writing.

Secondly, no member can raise any subject, at anytime without the permission of the chair.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अस्वस्थ होने के बावजूद भी श्री समर गुह ने जो वक्तव्य दिया है, उससे काफी जानकारी प्राप्त हुई है । एक सदस्य का किसी दूसरे को धमकी देना निश्चय ही बुरी बात है । श्री समर गुह, जो नेता जी के शिष्य हैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, भला उन्होंने अपनी रक्षा के लिए सदन को क्यों कहा ?

श्री समर गुह : मैं अपनी रक्षा करना जानता हूं··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बैठ जाइए । श्री तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, परन्तु उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि कुछ महत्वपूर्ण मामले प्रश्नकाल या मध्यान्ह भोजन के तुरन्त बाद बिना लिखित सूचना के भी सदस्य उठा लेते हैं। क्योंकि इस मामले का सम्बन्ध श्री समर गुह की सुरक्षा से था और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है इसीलिए उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दे दी गई थी ।

श्री क० ना० तिवारी : उन्होंने जो नाम लिए हैं वह कम से कम रिकार्ड से निकाल दिए जाने चाहियें ।

सभापति महोदय : रिकार्ड से कुछ भी नहीं निकाला जाएगा ।

टी डिस्ट्रिक्ट्स एमीग्रेन्ट लेबर (निरसन) विधेयक

TEA DISTRICTS EMIGRANT LABOUR (REPEAL) BILL

Shri P. G. Sen (Purnea) : I welcome the Bill moved by the Government. There was a time when Tea Districts Emigrant Labour Act was required to protect the interests of the Labour. But now under the changed circumstances, it is proper that this Act is repealed.

I strongly feel that Adivasis and Harijans who have been to Assam and have settled there, should continue to get all the facilities which Adivasis and Harijans of the State are getting. Now, after this repealing Bill, all the powers are being transferred to Assam Government. The Assam Government should perform all the residual functions and ensure all facilities to Adivasis and Harijans.

It has been brought to my notice that there are no medical facilities. No hospitals are there. Besides tea-plantation labour, other agricultural labour is also there. The State Government must take note of their difficulties.

Today, we are earning good foreign exchange from our tea-trade. The Government

must ensure that our tea industry does not suffer in any way. All necessary facilities should be provided to the labourers.

With these words, I support the Bill.

The Minister of State in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The suggestion of the hon. Member that the Adivasi labourers who have settled in Assam should get all the facilities which are being enjoyed by other Adivasis, will be conveyed to the State Government.

The tea-plantation workers will Continue to enjoy the existing facilities. All the labour laws will be applicable to them.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि टी डिस्ट्रिक्ट्स एमिग्रेन्ट लेबर अधिनियम, 1932 के निरसन तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 1—(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया ।

Amendments made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में—

'1967' के स्थान पर '1970' प्रतिस्थापित किया जाए । (2)

(श्री भागवत झा आजाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"अट्ठारहवें" **के स्थान पर** "**इक्कीसवें**" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(1)

(श्री भागवत झा आजाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संक्षिप्त रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting formula as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Titte was added to Bill.

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बारें में चर्चा

DISCUSSION RE : ECONOMICALLY BACKWARD REGIONS IN THE COUNTRY, ESPECIALLY THE EASTERN DISTRICTS OF U. P.

Shri Raj Dev Singh (Jaunpur) : Mr. Chairman. Sir, I must congratulate you, for providing an opportunity to hold a discussion regarding the backward areas. No steps have been taken for the progress of these areas.

Sir, there are 289 poor districts in India out of which 58 are very much backward and they are scattered through out the country. The National Council of Applied Economics Research carried a survey of 289 districts in 1955-56. Out of these districts 29 districts were so backward that their per capita income was less than Rs 146 per year. Similarly 29 districts of second slab were having per capita income of rupees 147 to 173. Thus there were 59 districts where per capita income was below Rs. 173. If a break-up is given of these 58 districts they are like this; U. P. 22, Bihar 12, Orissa 5, Madhya Pradesh 5, Mysore 3, Maharashtra 3, Assam 2, Bengal 2, Andhra 2, Tamil Nadu, and Rajasthan one.

Out of these 22 districts of U. P.. I gave motion about 14 districts whose break up is like this : Hill Districts 4, Bundelkhand 4, Eastern U. P. 14, Banaras Commisionary 5, Gorakhpur 4 and Faizabad 5. These 22 backward districts of U. P. are having 80 percent population. The pace of development of these 14 Eastern districts has been very slow after 1956-57. Even today their position is the same as it was at the time of survey.

Sir, I may add that these 14 districts of Eastern U. P. are very thickly populated. 1100 people are living in one square mile. Though U. P. has been ignored right from the begining, but these 14 districts have been badly neglected. U. P. is having 50 percent of surplus water. If this surplus water had been exploited, it would have helped a lot in increasing the agricultural production of U. P.

U. P. is having the minimum cultivated area as compared to other States and these 14 Eastern districts are having the minimum cultivated area as compared to other district of U. P. Similar is the case of electricity. The per capita average consumption of India is 80 units, whereas that of U. P. is 43 and Eastern U. P. 30 units. Similar is the position of villages electrified is U. P. During the third plan period 54, 700 villages were electrified in the Country whereas in U. P. only 5000 villages were electrified and in Eastern districts of U. P. only a few villages were electrified.

Review of the allocation made to U. P. for the setting up of Industries in the Public Sector during Ist, 2nd and 3rd plan shows that the amounts allotted have always been very

little and at times it has been nil. This is the reason that Uttar Pradesh and particularly its Eastern part could not be redeemed of its backwardness.

The percentage of industrial workers in India's population comes to 4.2 percent, whereas in U. P. it remains 2.1 percent. This percentage too is due to employment provided by the Sugar Industries. These employees of sugar industries do not get any work for five or six month, and therefore they have to suffer unemployment. The percentage of industrial workers given above also includes the employees who work for 12 months during the year. If we work out the percentage of such employees in U. P. than the figure ie 2.1 will come down.

Eastern districts of Uttar Pradesh have not been provided adequate flood relief measures. There are no roads there. The per capita income there comes to 41 paise per day which is insufficient even for one time meals.

As regard education in these districts, there is only one University for one and a half crores of people there. There is one graduate out of 416 people, one high school pass out of 250 people. As regards education U.P. remains at 13th number in the state list **(Interruptions)** A large number of economically back ward people of these fourteendistrictis n eastern U. P. are leaving their home towns for big cities to get employment there. 23 lakhs of people of these districts have left for big cities like Bombay, Calcutta, Delhi and other industrial centres, simply to earn their livelihood. Uneconomic holdings and small fields are also the contributory factors of overwhelming poverty.

These districts could not be developed due to defective planing. Our planners could not peep into the conditions of lower middle class, therefore, they did not see the poverty ridden people. No doubt development blocks are there but they too do not provide any facility for the development of lower middle class. This class is so poor that the people get only one time meal and that too sometimes is either potatoes or sweet potatoes.

Adequate power supply and irrigation facilities might reduce some of the burden of these people. Arrangements should be made to set up industries in these districts. The Government should pay attention to the fact that the industries sanctioned to be established in eastern districts are not transferred therefrom. Out of the funds allotted for rural electrification in revised estimates during fourth plan, efforts should be made to provide maximum funds for these districts. The government should make every effort for their development lest there is a feeling all round that these districts should be made a seperate state.

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : I rise on a point of order, Sir. It appears that Shrimati Nandini Satpathy is her to reply to here questions, but Prime Minister hails from U. P. Therefore, she should be asked to reply to the point raised.

Secondly, if the debate is not complete by 6 P. M. then. I would reguest that either the Prime Minister or the Minister concerned should reply to the discussion regarding backwardness of U. P. She knows little about U. P.

राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मानीय सदस्य का यह कहना कि मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ भी पता नहीं है बहुत गलत है। मुझे उत्तर प्रदेश की स्थिति का पता है... (व्यवधान)

Shri Sheo Narain (Basti) : I d› not know as to whether I should call it misfortune or fortunate that all the three Prime Ministes hailed from Uttar Pradesh. Nehru Government had appointed Patel Commission and Shri T. T. Krishanamchari had assured that the development of the eastern districts of U. P. would be looked after properly but nothing has been done to eleminate poverty and frustrating backwardness from this area. The development of these areas in U. P. have always been neglected. The Government has given more attention towards Punjab, Haryana and Kashmir but not to U. P.

The present Government, it is regrettable, has never been worried to improve the economic conditions of the poverty-ridden people of Uttar Pradesh, instead they have kept themselves busy in toppling the Governments. They are worried only for their chairs The nation may go to dogs, they never bother.

The Government have never cared to build a dam on theiverGhaghra. In case this had been done all the requirements regarding rice would have been fulfilled. Basti, Gorakhpur, Deoria and Azamgarh districts could have supplied as much rice as required for the Nation.

Educational faciilities in U. P. are not adequate. There are no schools there the students have to sit in the open and in rainy season there being no place even to sit, they have to leave for their homes. In Bundelkhand area there is no proper arrangement of drinking water. The economic conditions of hilly districts in U. P. are worst beyond imagination. The government should build a dam on Ghaghra; this will considerably increase Agricultural production of the country and we would not have to import food grains. Similarly condition of the eastern districts of U. P. is also deplorable.

The Government shou'd not ignore eastern districts andtheir development. They should take every step towards the betterment of economic conditions there. The Government of Uttar Pradesh also should pay attention towards this backward area. The people of the area should not be given step motherly treatment. Demands of the people of this area should be sympathetically considered and poverty removed.

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : Since 1955-56 to date whenever Planning Commission has made a survey, in eastern districts, in hilly districts and 4 dis tricts of Bundelkhand have topped in backwardness Shri Rajdeo Singh has proved it with figures that these districts, particulariy 14 districts of the east have always been neglected. The matter has been discussed so many times but in vain No positive step has so far been taken to ameliorate the frustrating economic condition of eastern U. P.

There is pressure on land and that is why 85 percent of holdings are uneconomic. No body is having more than two and a half acres of land. Out of 3 crores of people 1 crores are Harijans and landless labourers. Steps should be taken to distribute the available land equally. There are no industries in that reason. No development work has been

undertaken since independence and even in future there is no possbility of such step being taken. There is a strong feeling amongst the people of the area that they are being neglected for the last 20 years. therefore they are thinking in terms of bifurcation of the state in order to get rid of their backwardness.

I would request the Government to constitute a development board to look after the development of this region, the Planning Commission has accepted these districts as backward but when the development work was undertaken it was for Badaun and not for these districts.

We have got only one industry i.e. sugar in U. P. where a few people have been employed. The sugar magnate is exploiting the farmers. This industry should be nationalized at the earliest possible date.

If the Government has any sympathetic consideration for the Harijans and landless labourers of the area they should take steps to set-up small-scale industries on co-operative basis so that these people may earn their livelihood. A delegation consisting the people of that area met the Prime Minister and explained their grievances. The Prime Minister has assured to give proper attention to the area. Let us see what step are taken to remove backwardness of the region.

Shri Ranjeet Singh (Khalilabad) : I would like tot hank those members who have drawn the attention of the Government towards the backwardness of Uttar Pradesh. The figures produced by Shri Rajdeo Singh have proved that out of the tatal backward regions in the Country Uttar Pradesh is the most and particularly its 22 districts surpass all the 49 backward distiets in rest of the country. The peope there are leading life worst than the animals.

Development Commission, small scale Industries has selected seven distict from eastern U. P. and the rest of them have been ignored. One of the factors responsible for utter negligence of the region is that no high officer of State Government belonged to that region. All the last four Chief Secretaries have been from western region. Therefore, whenever any big or heavy industry has been allocated it has been for western U. P. and the claims of eastern distict have consistantly been ignored.

We do not want our development at the Cost of other regions. We only want the regional imbalances tobe removed. At one time the Government of U. P. had declared that they were having surplus electric power and they could supply it to Railways. But now the reason given for not providing electric connections is that they are deficient in electric power. It is very strange that the Central assistance in one year given to TamilNadu is 80 Crores whereas the claims of U. P. have entirely been ignored.

The Prime Minister in her several speeches delivered in U. P. has tried to find out some excuses as to what has hindered the development work in Uttar Pradesh. She has said that the Chinese aggression in 1962 and Pakistani agression in 1965 have obstructed all the development plans regarding Uttar Pradesb. I would like to know, why this excuseis in case of Uttar Pradesh only ?

Uttar Pradesh is a very big State even then we are not demanding any bifurcation of the State. But we people think that in order to remove the imbalances between eastern and western regions, Government should set up seperate development boards for eastern region, Bundelkhand and hilly regions and the Centre should finance them. It is really depressing that all the three Prime Ministers have been from Uttar Pradesh and the State has been badly neglected for the last 23 years.

सभापति महोदय : श्री जनेश्वर मिश्र ।

श्री जनेश्वर मिश्र : Mr. Chairman, Sir, the whole of the Conıry is backward and the reason is the defective planning.

As regards backwardness of Uttar Pradesh, particularly of eastern region I would like to mention that leaders of Uttar Pradesh are occupied with interparty wringlings. There is mud throwing between the Centre and the State. Centre blames the state and the state blames the Centre.

No doubt, Uttar Pradesh has given three Prime Ministers to the nation but it has proved a costly bargain. The development and interests of the state have always been ignored. There are inadequate road and Railways facilities. Schools and Hospitals are very few in number if we keep in view the population of the State. No discrimination while providing employment or granting license to some industry should be made by the Government. Such a discrimination always hinders the way to progress and socialism.

The Political leaders of Uttar Pradesh, especially those who are playing power politics, are deeply involved in favouritism and nepotism, with the result that the State has not achieved any progress. Ever since we achieved independence, U. P. has been giving Prime Minister to the country. I am of the view that unless this is stopped Uttar Pradesh cannot dream of achieving progress. The old leaders of U P. have become findal minded and extravagant. Shri C. B. Gupta once in a Statement said that a ten days tour of the Prime Minister involved an axpenditure of Rs. four lakhs. This means the expenditure per day was to the tune of Rs. forty thousand. I would go to the extent of saying that if only the tours of the Prime Minister are stopped, the State can make progress This extravagance should be stopped, which is spread over the wide range of administration right up to the Prime Minister.

The leaders of Uttar Pradesh, being allured to power, ignored the progress of the State. Therefore I would reiterate my plea that in order to build a socialistic society in U. P. and to achieve progress on all fronts, no leader from U P. must be allowed to become the Prime Minister. Coming to the aid given to states, I would like to point out that when other states are given Rs. 14 crores only Rs. 1.5 crore will fall to the share of U. P. We are not jealous of other States. They also form parts of our country. But it should not be done under political pressure. In order to remain in the saddle of power, if the Govenment neglects Uttar Pradesh let the people and the non-congress Government in U. P. resort to some other means, so that the Centre may be forced to think in the right direction.

Shri K. N. Tiwari (Gopal Ganj) : In north Bihar from where, I come there is no indus-

try. Barring sugar industry. There is no small-scale industry. Therefore, the people of north Bihar have demanded that a separate Development Board should be set up. All political leaders of Bihar, irrespective of their party affiliation, submitted a memorandum to the Central Goverument and it was placed on the Table of the House also. But we see that nothing has come out so far. Therefore, I would submit to the Government that directions be issued to the state Government to set up a Development Board. It is said that in Bihar, there are big factories like Bokaro, Hatrea etc. But in spite of these big factories, the fact remains that the Government could not eliminate the backwardness of the state. Since Bihar is divided into two regions by the river Ganges, the north Bihar by and large remained an agricultural region. Almost all the industries flourished in the South. In fact, a place which is not industrially advanced remains backward. The backwardness can by and large be attributed to the defective planning.

The question regarding the slum Clearance is always raised in the Planning Commission. Does the Government pay any heed to the vast slum areas in millions of our villages stretching far and wide of the Country ? The conditions prevalent in the slum areas of Bihar are almost the same as those of U. P. and Orissa. I would like to know as to what action the Government is taking to improve the slums in these states. The amount allotted for the improvement of rural sector, goes in the general budget. The Chief Ministers are more or less unwilling to earmark amounts for the development of rural areas. This situation cannot be allowed to be there in this way. I would ask the Minister to see the writing on the wall. If the Government is unmindful of the earnest requests and legitimate demands of the rural population, it. will lose the ground very soon.

Finally, I would make one more submission that the Gantak project should be completed soon. This will increase the food production to 29 lakh tonnes. If that is achieved, Bihar will become a surplus State and we may be able to help other deficiet States. Therefore, I urge the Government to take immediate steps to complete the Project.

श्री जी० कुचेलर (वेल्लौर) : तमिलनाडु के केवल एक जिले को ही केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े इलाके की सूची में शामिल किया है, जबकि यहां चार जिले ऐसे हैं जो बहुत अधिक पिछड़े हैं और जिनका विकास तुरंत किया जाना चाहिए। ये जिले हैं तिरुनलवेली, रामनाडु, धर्मपुरी और उत्तर आर्कोट, अब तक इन जिलों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने कोई भी योजना नहीं बनाई पर्याप्त राशि के अभाव में हम इन जिलों का विकास नहीं कर पाए ।

तिरुनलवेली में सिंचाई की सुविधायें नहीं है। बहुत पहले से ही ओहेनाकल नाम से एक परियोजना का प्रस्ताव किया जा रहा है, किंतु अब तक उसका निर्माण नहीं किया जा सका । तिरुनलवेली के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए देश के सुदूर भागों में जाना पड़ता है । उत्तर आर्कोट जिले में एक नदी हैं जिसका नाम है 'पालुस', मगर इस में पानी उपलब्ध नहीं होता । अतः खेतीबाड़ी का काम प्राय: असम्भव है इस जिले में 'मोरे थाना', 'बांदवापल्लि' आदि बांध परियोजनायें पर्याप्त राशि के अभाव में पूरी नहीं की जा सकी हैं। राज्य सरकार ने एक भूमिगत जलाशय की योजना केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है। पता नहीं सरकार ने उसपर विचार किया है या नहीं ।

केन्द्रीय सरकार ने उत्तर आर्कोट, चिंगलपेट और तांजूर जिलों में 45 लाख रुपए की लागत

की एक सर्वेक्षण योजना पर विचार किया है । इस के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । तमिल नाडु के तमाम लोगों को तांजूर में उत्पादित धन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अन्य जिलों में सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं । विकास कार्यों के लिए राशि जुटाने के लिए हमने लौटरी की योजना चलाई और यह अब तक वह बिना रोकटोक चल रही है मगर माननीय रेलवे मंत्री श्री नन्दाजी रेलवे स्टेशनों में टिकटों के बेचे जाने का विरोध कर रहे हैं । अगर केन्द्रीय सरकार का यह रवैया है, तो राज्यों के विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किस प्रकार होगा ? मैं आशा करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु राज्य की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक सहायता देगी ।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Uttar Pradesh comes first in the list of most backward States in India. of the 58 backward districts of the whole country, 22 districts are in U. P. The backwardness is evident in the fact that no district in U. P. can be said to have been developed.

There are three main regions in Uttar Pradesh viz. Poorvanchal, Bundelkhand and the hilly areas. My suggestion is that a separate region should be carvedout including the fourteen dist icts of Poorvanchal and the western regions of Bihar. A new Reorganisation Commission should be set up to review the whole situation and make necessary changes in the structure of the Hindi belt in view of the total backwardness of this region. Similarly the entire fallow land should be acquired by the Government and distributed to the landless peasants, labourers and Harijans. Glass factories, leather factories etc. should be set up in public sector in Azamgarh, Gazipur, Balia, and Jaunpur regions, and the conventional industries such as handloom and powerloom should be developed and be freed from the clutches of capitalists.

My next suggestion is that the vast Narayani—Sarayoo—Tapti river valley project should be constructed so that the growing demand of electricity and irrigation canals in the eastern region can be fulfilled. This is the only way to develop the Poorvanchal.

Every year the huge floods rauage most of the districts in U. P. The Government should take effective steps to control the floods such as raising the level of the land which is affected by thefloods, etc. Despite Three Five Year Plans, the roads could not be developed properly. The Government should give proper attention to this. A reservoir should be, constructed so that the rain water can be stored and utilised for useful purposes. The Divisional Head quarters of North Eastern Railway should be in Gonda itself. The main centres of Poorvanchal should be linked together with broad railway lines. A bridge should be constructed on Ganges in Gazipur. The vast mineral reserves in Mirzapur Chakia and the adjoining areas in Bihar should be exploited. In certain areas lift-irrigation facilities should be given. Electricity should be supplied to the entire villages. Separate autonomous Development Boards should be set up for the development of the three backward regions. The system of lottery, which makes the people some sort of gamblers, should be stopped and prohibition should be strictly enforced.

The entire developmental programmes are dead locked under the prefect of pencity of resorvreesen the Fourth plan, texes the time of Bs. 2700 crores will be inposed. Neverthless, there will be a deficit to the time of B. 2000 crores. In order to west kils deficit, new takes

and nationalisation of vital industries, whether indigenous or foreigu, are the two alternatives. I want that all key industries should be nationalised.

Economy measures should be undertaken continuously. The first step should be taken immediately to ban the import of all luxury goods which amount to Rs. 100 crores. Such measures alone can help the development of the Eastern Region.

Both the Centre and the State Governments are responsible for the Backwardness of the Eastern Region and U. P. The Central Government have always been giving a stepmotherly treatment to U. P. and its Eastern Region, for which one of the reason is that our Prime Ministers have been coming from U. P. and for fear of being charged with favouritism they did not pay adequate attention towards this State. That is why U. P. did not get its proper share.

There have been certain historic reasons also for this State's backwardness. The Britishers neglected this region, because of this region's patriotism, and revolutionary activities against the British Empire. But the Government of Free India also neglected this State because of its being the centre of all trade unionism and agitations of workers and farmers. My point is that if adequate development programmes are not taken up for Purvanchal and Bundelkhand the discontent of the people will explode one day. Let the administration bear it in mind and endeavour to solve the problem of this region.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machli Shahar) : This House has been discussing the economic conditions in Eastern Uttar Pradesh from time to time. Patel commission's recommendations in this regard were not implemented because of Chinese aggression in 1962 and also one to Pakistan aggression in 1965. We were, therefore, expecting special attention of the Government for the eastern U. P. in the Five Year plan during peace time. But we regret that this region has even now been totally neglected and the economic condition of this area is constantly deteriorating. The leaders have only been giving verbal and boastful assurances on which we cannot rely anymore. The Government should at best provide transport and power facilities to this area. Neither there is electricity nor Government tubewells are installed. The applications of the farmers for pumping sets and power connections are kept pending for one or two years.

The area between the Saryu and the Jamuna rivers had once been the most fertile piece of land in India and the people of that area were prosperous and happy. But now, those very people are living in acute poverty and pitiable condition. When they hear about numerous development plans and programmes for other areas but none for them, they feel very much aggrieved and try to make the Government hear their voice also. But the Government is always turned a deaf ear towards them.

If the attitude of Government remains the same, we will be compelled to ask for a division of U. P. into three or four small states, each comprising of 13 disticts, on the basis of economic conditions. At present the people of Uttar Pradesh and particularly those of the Eastern U. P. are very much aggrived.

The Government should take up adequate measures to remove the backwardness and other grievances of this area.

श्री उमानाथ (पुछुकोटै) : पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उन से सहमता हूँ । मैं इसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को ही उत्तरदायी मानता हूँ । सरकार ने योजना आयोग के दल की सिफारिशों को स्वीकार किया था । उस दल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार ज़िलों के सभी क्षेत्रों के लिए ठोस कार्यक्रम तैयार करने की तथा तीसरी योजना में 10.49 करोड़ और चौथी योजना में 74.64 करोड़ रु० निर्धारित करने की सिफारिश की थी । इस दल के प्रतिवेदन में उद्योग कृषि आदि सभी बातों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया था । मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय विस्तार में बतायें कि सरकार ने इस सन्दर्भ में क्या प्रगति की है । वहां के दुखी लोगों की दशा देखकर हमारी आखें खुल जाती हैं ।

सरकार का रवैया यह है कि वह पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को केवल आश्वासन देकर ही बहका रही है तथा क्रियात्मक रूप से कुछ भी नहीं कर रही है ।

वर्ष 1962 में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में पिछड़ेपन की सीमा का निर्धारण करने हेतु 15-सूत्रीय मानदण्ड निर्धारित किया था । बाद में, सितम्बर, 1968 में, उस मानदन्ड को हटाकर दो कार्यकारी दलों का गठन किया गया जिसमें एक दल को पिछड़ेपन का निर्धारण करने हेतु मान दण्ड तय करना था । इसी प्रकार तमिल नाडु के पिछड़े क्षेत्रों पुछुकोटै रामनाडअरणातंगी के बारे में भी विभिन्न प्रश्नों तथा ज्ञापनों के उत्तर में सरकार चुप्पी साधे रही । बाद में तत्कालीन योजना मंत्री श्री अशोक मेहता ने स्वीकार किया कि सरकार ने तमिल-नाडु के 19 जिलों को पिछड़े हुए जिले मान लिया है । परन्तु फिर भी उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि उस पिछड़ेपन को दूर करने का दायित्व राज्य सरकार का है, हमारा नहीं । फिर 17-9-1964 को एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने हेतु उपयुक्त प्रणाली का निर्धारण उक्त क्षेत्रों के आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययन के बाद किया जाएगा ।

उक्त बातों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति कितना उदासीनता पूर्ण तथा उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाये हुए है । 19 जिलों कों पिछड़ा हुआ स्वीकार करने के बाद भी केन्द्र सरकार ने यही कहा कि इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को कदम उठाने है, केन्द्र सरकार को कुछ नहीं करना । फिर मेंने प्रधान मंत्री से मिलकर उन्हें सरकार के आश्वासन की याद दिलाई तब उन्होंने मुझें पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की कुल निधि का 10 प्रतिशत भाग विभिन्न राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए अलग रखा जाएगा और राज्य सरकारें इस राशि को पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर खर्च कर सकेंगी, आप इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से संपर्क कीजिए । मैं तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि से मिला तथा उन्हें प्रधान मंत्री का उक्त पत्र दिखाया तथा सारे तथ्य उनके सामने रखे । परन्तु आज एक वर्ष हो गया, उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला ।

स्थिति यह है कि मैं इस सभा का सदस्य हूं और मुझे एक मुख्य मंत्री से अपने पत्र का उत्तर लेने के लिए 3 स्मरण पत्र तथा पंजीकृत पत्र भेजने पड़े । फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है ।

अब तो यही उपाय दिखता है कि मैं मुख्य मंत्री के घर के सामने भूख हड़ताल कर दूं ताकि मुझे अपने पत्र का उत्तर मिल जाए। या फिर मैं मुख्य मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव इस सभा में पेश करूं। प्रधान मंत्री हमें मुख्य मंत्रियों की ओर धकेल देती हैं और मुख्य मंत्री चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति है।

पुछुकोटै तथा वहां के क्षेत्रो और विभिन्न राज्यों के सभी पिछड़े क्षेत्रों का प्रायः यही हाल है यदि इन पिछड़ेक्षेत्रों के लोग निराश होकर क्रुद्ध हो उठे तथा हताश होकर शस्त्र उठा बैठे तो फिर उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता।

हम मंत्रियों की ऊपरी हमदर्दी नही चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार बताये कि उन्होंने अपने वायदों, आश्वासनों तथा विभिन्न प्रतिवेदनों और अध्ययनों के बाद इस संदर्भ में क्या प्रगति की है और आगे क्या-क्या करने का विचार है। अन्यथा स्थिति एक गंभीर मोड़ ले लेगी तथा लोग सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष तथा लड़ाई का रवैया अपना लेंगे।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : यह विषय तो विशिष्टतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन से सम्बन्धित है, परन्तु वस्तुतः यही स्थिति देश के अन्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की भी है।

योजना आयोग तो वस्तुतः एक सफेद हाथी के समान हैं जिसपर खर्चा तो बहुत होता है परन्तु लाभ बहुत कम। यह तो भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का एक झुण्ड है जो केवल बड़े-बड़े व्यवसायों को लाभ पहुंचाने की ही योजनायें बनाते हैं।

प्रधान मंत्री ने 1 अप्रेल, 1970 के एक उत्तर में भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिव्यक्ति आय का ब्यौरा दिया था। उस से स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय गत बीस वर्षों से क्या करता आ रहा है। वह उन राज्यों को ही धन देता आया है जोकि काफी विकसित हैं तथा जहां की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जैसे महाराष्ट्र तथा गुजरात।

दक्षिण के राज्यों की लगातार उपेक्षा की गई है। वहां की प्रति व्यक्ति आय भी कम है। विहार भी एक ऐसा ही उपेक्षित क्षेत्र है। इन सभी राजनितिज्ञों ने संविधान की अवहेलना की है। संविधान-प्रदत्त अधिकारों से लाभ उठाते हुए इन्होंने सारे धन तथा आर्थिक साधनों का प्रयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया है।

मैं मैसूर राज्य का हूं और अपने क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं, पहली दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मैसूर राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली योजना में 47 करोड़ रुपये की तथा दूसरी योजना में 67 करोड़ रुपये और तीसरी योजना में 149.56 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1966-67 में 36.3 करोड़ रुपये, वर्ष 1967-68 में 36.00 करोड़ रुपये तथा 1968-69 में 36.90 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। केरल को भी स्थिति कुछ

इसी प्रकार की हैं। उस राज्य को प्रथम योजना में 24.00 करोड़ रुपये, दूसरी योजना में 38.00 करोड़ रुपये और तीसरी योजना में 123.11 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई और इसके अतिरिक्त वर्ष 1966-67 में 28.3 करोड़ रुपये, वर्ष 1967-68 में 31.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1968-69 में 30.40 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई।

मैं चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के समान विकास के लिए योजना आयोग सभी राज्यों में एक पृथक विभाग बनाए।

मैं अब एक अन्य महत्त्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां तक सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का प्रश्न है मैसूर राज्य की सदा उपेक्षा की गई है। वर्ष 1924 के समझौते के अन्तर्गत कावेरी घाटी से हम 45 क्यूबिक मीटर पानी आप्त करने के हकदार थे। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1961 से हेमावती परियोजना तथा काबीनी परियोजना, जिन पर कार्य चालू है, के लिए भी तकनीकी अनुमति प्रदान नहीं की है। मंत्री महोदय बताएं कि केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं को, जो कावेरी घाटी में हैं, कब कार्यान्वित किया जायगा। 1924 के समझौते के अन्तर्गत मद्रास को जल पर दावा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने भवानी परियोजना के निर्माण के बारे में अनुमति दे दी है परन्तु केन्द्रीय सरकार मैसूर राज्य के प्रति भेद-भावपूर्ण बर्ताव कर रही है।

Shri Shiva Chandika Prasad (Jamshedpur): Sir, I welcome the debate that is going on in the House. Many parts of the Country are economically backward. I also belong to one of such areas. Per Capita income is lowest in the Bihar state. It is only 299 rupees. The condition in Chotta Santhal is worse. No doubt there are big factories but they provide livelihood to those who come from Bihar and outside.

I want that there should be satisfactory arrangements of irrigation, road construction and electrification of villages.

I have been writing to the Central Government for the last four years for the development of small scale industries, provision for road construction and lift irrigation in the villages of Dalbhoom sub-Division; But the Government has not paid any attention to it. I want the Government to take immediate action for the economic betterment of that area. If the amount allocated in the present Five Year Plan is not sufficient for it, then more amount should be provided to remove unemployment in these areas.

It will be much better if separate development boards are constituted for Chotta Nagpur and Santhal Pargana.

Shri Avedyanath (Gorakhpur): Sir, I want to state that during the last three Five Year Plan periods, the economic condition of the people of 14 Eastern Districts in my constituency could not be improved. The fact is that, even to-day, 85 percent of the population in these districts depend on agriculture which is not economical and remunerative. We have repeatedly requested the Planning Commission to consider over the backwardness of that

region. But the allocations made by the commission were not consistent with the population of various States. As a result of these factors, people of these districts continue tobe poverty-ridden. Therefore, I submit that if the Government are really interested in improving the economic and educational conditions of these people, they should create industrial atmosphere in those districts. It is quite essential that those people should be provided with the facilities of transportation and electricity in order to remove poverty from that region. It is surprising that every village in Haryana has been covered under the programme of rural electrification, while in Eastern Uttar Pradesh a few villages have been provided with electricity. In this context, I would like to warn the Government that if this kind of discrimination against the people of these districts is continued, they would be forced to demand for a seperate State. Thus, I reiterate that industries should be set up and new roads should be constructed in these districts. The people of that region should also be given electricity at concessional rates as is being done in other States.

It has come to my notice to-day that a big thermal power station was proposed to be installed in this area but due to the non-availability of broad gauge Railway Line there, Government had to give up the implementation of that project. It shows that Government do not have sympathetic approach towards the problems of these people. If they want to remove poverty among the people of these districts, they will have to develop this region and all kinds of facilities such as industrialisation, construction of roads and railway lines, etc. will be required to be given to them.

श्री ए० श्रीधरन : (बडागरा) : इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के दो भयंकर परिणाम निकले हैं। एक तो सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों तथा बड़े व्यापार गृहों के हाथ में केन्द्रित हो गई है और दूसरे विकास कार्यों का भी कुछ विशेष क्षेत्र में जमाव होकर रह गया है। यही कारण है कि हमें अपनी तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में असफलता मिली है तथा इसी कारण बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है।

उत्तर प्रदेश की तरह केरल राज्य भी पिछड़ा हुआ है। समूचा राज्य ही अल्पविकसित है। केरल की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। इस प्रदेश में सारे देश की तुलना में अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यह इस देश की विदेशी मुद्रा की कुल कमाई का 15 प्रतिशत उपार्जित करता है और तब भी इस राज्य के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत केरल में उद्योगों के स्थापित करने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाए गए हैं। जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ आधार अवश्य होता है। हमारी सरकार जिस आधार पर योजना बनाती है, क्या यह आधार जनसंख्या है अथवा आर्थिक संसाधन, अथवा क्या तकनीकी संभावनाओं या संभाव्यताओं को इसका आधार बनाया जाता है? गत मध्यावधि चुनाव के दौरान जब प्रधान मंत्री ने केरल का दौरा किया था, तब उन्होंने कहा था कि वह केरल का स्वरूप ही बदल देंगी। लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है? कोचीन पोत प्रांगण में क्या हो रहा है। वहां भर्ती जारी है। हम सरकार पर जोर देते रहे हैं कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगार लोग सबसे अधिक हैं और इसलिए बाहर से लोगों की भर्ती न की जाए। लेकिन बाहर से लोगों की भर्ती की जा रही है। तब सरकार ने कहा था कि पुडुचेरी में सूक्ष्म उपकरण कारखाना स्थापित किया जाएगा, लेकिन उस कारखाने का क्या हुआ?

हमारे राज्य में पैट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं। कोचीन रिफाइनरी में बड़ी मात्रा में नेफ्था का उत्पादन होता है और यदि पैट्रो-रसायन यूनिट यहां बना दिया जाए तो नेफ्था का उपयोग वहां किया जा सकता है। जहां तक आर्थिक संसाधनों का प्रश्न है यह पता लगाया गया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोह अयस्क के काफी निक्षेप हैं। इस लौह-अयस्क का उपयोग किया जाना चाहिए हम केन्द्रीय सरकार को कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन केरल की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। मैं केरल क्षेत्र के लिए ही नहीं कह रहा हूं, सभी पिछड़े हुए क्षेत्रों में विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है। सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि आज देश में जो हिंसा दिखती है उसका कारण यह है कि देश के युवकों ने अलोकतांत्रिक मार्ग अपना लिया है और सरकार द्वारा पिछड़ी हुई आर्थिक नीतियों का अनुसरण करने और धन तथा संसाधनों का केंद्रीयकरण करने और कुछ क्षेत्रों में ही विकास करने के कारण ही ऐसा हो रहा है।

***श्री आर० एस० अरुमुगम** (टेंकांसी) : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने देश के पिछड़े प्रदेशों का पता लगाने के लिए दो कार्यकारी दल गठित किए थे। उनमें से एक कार्य कारी दल ने देश में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए कुछ मान मानदंड नियत किए थे। इन मानदण्डों के अनुसार तामिलनाडु में 19 तालुके पिछड़े क्षेत्र घोषित किए गए जिनमें से 11 तालुके तमिलनाडु के तिरूनेल-वेली तथा रामनाथ पुरम जिलों के हैं।

इन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई उद्यमी तैयार नहीं है। इन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को वित्तीय एवं आर्थिक प्रोत्साहन देने हेतु एक कार्य-कारी दल ने कुछ सुझाव दिए हैं। कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि इन उद्यमियों को आयात लाइ-सेंस देने में केन्द्रीय सरकार उदारता बरते तथा प्रारम्भिक अवस्था में उद्योगपतियों को आयकर आदि से छूट दी जाए। इसने कुछ अन्य रियायतों की भी सिफारिशें कीं। परन्तु सरकार ने अभी तक किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया, जिसका परिणाम यह है कि इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्यो-गिक विकास नहीं हुआ है।

तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा इन क्षेत्रों के व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात् एक ऐसा प्रकाशन निकाला जाना चाहिए जिसमें इन क्षेत्रों में लाभदायक रूप से चल सकने वाले उद्योगों के बारे में सूचना हो। न केवल उद्योगों के मामले में अपितु कृषि के मामले में भी यह क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। गहन कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार के क्षेत्र भी लिए जाने चाहिएं जिससे इनमें कृषि के क्षेत्र में प्रगति हो सके।

जिला तिरूनेल वेली में संकरनकोइल, अलंगुलम, मनूर तथा कोइलपट्टी क्षेत्र बहुत पुराने

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of Speech delivered in Tamil.

सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए वर्षा के जल के टैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है । अत: वहां के लोगों की मांग है कि उस क्षेत्र में नदियों पर बांध बनाए जाएं ।

पूर्वी रामनाथपुरम क्षेत्र एक शुष्क क्षेत्र है । इस क्षेत्र के लिए सेतु समुद्रम परियोजना की बात कई वर्षों से सुनी जा रही हैं । यदि उस परियोजना को ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाए तो इससे न केवल इस क्षेत्र को अपितु सारे देश को लाभ होगा ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : A list of backward areas in the country should be prepared. Then state Governments should be directed to accord priority to such areas. Centre should provide necessary fonds for these ereas.

Such arrangements should be ensured that landless and shelterless people get money from Banks without any difficuly.

Small Scale Industries should be set up in backward areas and facilities such as electricity and water should be provided to those who want to set up industries in these areas.

There are certain backward areas in my constituency also, these areas should also be given priority.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : We should change our attitude towards planning. Instead of laying greater stress on bigger undertakings we should think of laying stress on supplying water and electricity to villages so that production could increase. A av ilability of electricity would increase employment opportunities as people could engage themselves in small scale industries. Villages should also be linked with roads.

Setting up of big undertakings and plants does not serve our purpose of remo ving backwardness. Therefore, instead of opening resources on big plants, we should invest money for providing electricity, water and roads which would help in the upliftment of backward areas.

राज्यमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : सदस्यों द्वारा व्यक्त इस चिन्ता के साथ मैं पूरी तरह सहमत हूं कि लगभग दो दशकों की आयोजना के पश्चात् भी इस देश के कुछ प्रदेश, जिले तथा राज्य तुलनात्मक रूप मे पिछड़े हुए है । मेरा सम्बन्य स्वयं भी एक ऐसे राज्य से है जो सामान्यता पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है । इस कारण मैं वहां के लोगों की भावनाएं जानती हूं ।

योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार इस स्थिति को जानते हैं और इस सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानता को दूर करना उनकी चिन्ता का विषय रहा है ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए कुछ वर्ष पूर्व पटेल समिति गठित की गई थी । इस समिति ने न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों बल्कि समूचे देश के पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में उठाए जाने वाले विशेष कदमों की ओर सकेत किया । समिति ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों

के लिए 10.49 करोड़ रुपये' के अतिरिक्त परिव्यय और चतुर्थ पचवर्षीय योजना के लिए 74.6 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्यों का है। इन क्षेत्रों के विकास की गति में तीव्रता लाने के राज्यों के प्रयासों में सहायता के रूप में 1964-65 तथा 1965-66 में अतिरिक्त सहायता दी गई परन्तु बाद में यह जारी न रखी जा सकी।

विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण के 15 मानदण्डों को योजना आयोग ने 1962 में अन्तिम रूप दिया। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अलग से समिति थी। इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने तथा केन्द्रीय सहायता देने के मानदण्ड नियत करना दो अलग बातें हैं।

विभिन्न राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता बांटने के मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत पिछड़े राज्यों को मिलना चाहिए। उत्तरप्रदेश इस प्रकार का राज्य है और इसे 10 प्रतिशत भाग मिला। इसी प्रकार 15 मानदण्डों में एक यह था कि केन्द्रीय सहायता का 60 प्रतिशत भाग जनसंख्या के आधार पर बांटा जाये। इस मानदण्ड के अन्तर्गत भी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं कुछ अन्य राज्य आते हैं। हमारी योजनाएं भी असन्तुलन स्वीकार करती हैं और उनका उद्देश्य भी यह है कि यह दूर होने चाहिएं। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि यह असन्तुलन भिन्न-भिन्न राज्यों में ही नहीं अपितु एक ही राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भी हैं तथा कुछ उन्नत राज्यों में भी पिछड़े क्षेत्र हैं। इन असन्तुलनों को समाप्त करने का कार्य एक दीर्घावधि प्रक्रिया है और हमने इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ कर दिया है।केन्द्रीय सहायता के आवंटन में पिछड़े राज्यों को तुलनात्मक रूप से अधिक भाग दिया गया है। चौथी योजना में केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत भाग पिछड़े राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा केरल को वितरित करने के लिए आरक्षित किया गया है।

राज्यों को पिछड़े क्षेत्रों की सूची और उनके त्वरित विकास की योजनाएं बनाने को कहा गया है। योजना आयोग अब यह कार्य नहीं करता अपितु इसने केवल मानदण्ड सुझाये हैं। अधिकांश राज्यों ने यह कार्य कर भी लिया है।

संसाधनों के संरक्षण एवं विकास तथा संचार, विपणन, आदि जैसे आधार को स्थापित करने के लिए भी राज्यों को जिलावार योजनाएं बनाने के लिऐ कहा जा रहा है। योजना आयोग इनकी प्रगति पर नजर रखेगा। 1971-72 वर्ष के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिए योजना आयोग ने एक कार्यकारी दल गठित किया है।

जनता के दुर्बल वर्गों की भलाई हेतु कई कार्यक्रम चौथी योजना में सम्मिलित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों की सूचियां प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न राज्यों को कहा

था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सूची दी है उसमें अल्मोड़ा, आजमगढ़, बांदा, बलिया, बस्ती, जौनपुर, झांसी, इटावा, फैजाबाद आदि कई जिले सम्मिलित है। उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन जिलों को रियायती वित्त के लिए भी चुना जाता है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बलिया तथा झांसी जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले भी माना गया है जिनके खिए राज सहायता तथा निवेश अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता का अपना भाग प्राप्त होता है। इसे कम भाग नहीं दिया जाता। राज्यों को दी गई सहायता को पिछड़े प्रदेशों के लिए समुचित रूप से बांटना तथा इस बात को देखना कि प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्र समुचित रूप से विकसित हों राज्य सरकार का काम है।

किसी राज्य या क्षेत्र के आर्थिक विकास का स्तर उद्योगो में केन्द्रीय निवेश के अनुसार ही मुख्यतया निश्चित नहीं होता। बिहार इस संबन्ध में ज्वलन्त उदाहरण है। उद्योगों में सब से अधिक केन्द्रीय निवेश होते हुए भी यह सब से अधिक दरिद्र राज्य हैं। विभिन्न राज्यों की वैभवता का आधार लघु उद्योगों की अधिक संख्या और कृषि उत्पादकता होती है।

चर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में विद्युतिकृत गांवों की संख्या कम है। सम्पूर्ण देश के 25453 गांवों में से उत्तर प्रदेश के विद्युतीकृत गांवों की संख्या 1961 में 4866 थी और 1969 में यह बढ़कर 12310 हो गई है। आने वाले वर्षों में ग्राम विद्युतीकरण की गति और भी बढ़ जाएगी।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के विकास के लिए एक पृथक बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इसपर विचार करना तो मुख्यतया राज्य सरकार का कार्य है। केन्द्रीय सहायता की दृष्टि से हम राज्य सरकार को जिलावार समन्वित योजनाएं बनाने के लिए कहते रहे हैं।

जहां तक बिहार के पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां चार जिलों को इस रूप में स्वीकार किया गया है। ये चारों जिले रियायती दर पर धन पाने के हकदार है। एक जिला नए औद्योगिक एककों के लिए पूंजीगत राज्य सहायता पाने का हकदार है तथा एक अन्य को कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए चुना गया है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति हम बहुत जागरूक हैं तथा इस सम्बन्ध में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि पहिले ही बांटी जा चुकी है। यह कुछ व्यापक मानदंडों के आधार पर बांटी गई थी अतः इसमें सौतेले भाई जैसे व्यवहार की कोई बात नहीं थी।

तमिलनाडू के पिछड़े क्षेत्र अभी योजना आयोग द्वारा निश्चित नहीं किये जा सके है। हरियाणा के महिन्द्रगढ़ तथा हिसार जिले इस सूची में सम्मिलित है। केरल के जिलों पर अभी विचार

किया जा रहा है । चित्रदुर्ग, रामचूर, बेलारी, बीजापुर और बिहार मैसूर के पिछड़े समझें जाने वाले जिले हैं ।

देश के पिछड़े जिलों और प्रदेशों का त्वरित विकास केन्द्रीय सरकार एवं योजना आयोग की चिन्ता का विषय है। राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाना तथा उनके विकास के लिए पर्याप्त धन का आंवटन करना राज्य सरकारों का भी उत्तरदायित्व है।

यह सब कार्य करना जहां केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है वहां इसके लिए राज्य सरकारें एवं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी समान रूप से उत्तरदायी है । इस प्रकार के कार्यों में राजनीति को प्रवेश नहीं करनी चाहिए।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 दिसम्बर 1970/13 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 4th December, 1970/13 Agrahayana, 1892 (Saka).

मुद्रक : भारत मुद्रणालय, शाहदरा दिल्ली-32